Par. S. 17. II. 4. 53
285

अंक २
संख्या ४

सोमवार
६ अप्रैल, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग २५५३—२५९८]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग २५९९—२६१०]

(मूल्य ४ आने)

205 P.S.D.

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

वार, ६ अप्रैल, १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कोयला परिवहन के लिये रेल के डिब्बे

***११६९. डा० राम सुभग सिंह :** (क) क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को ज्ञात है कि विभिन्न मिलों तथा निर्माता सार्थों को रेल के डिब्बों के न मिलने के कारण अपनी कोयला सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार डिब्बों की उपलब्धता सम्बन्धी कठिनाई को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही करने का है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) यद्यपि कोयले के सम्भरण की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, तथापि यह सत्य है कि डिब्बों के पर्याप्त संख्या में न मिलने के कारण सब उद्योगों की सारी ज़रूरतें पूरी करना सम्भव नहीं है ।

(ख) सरकार ने इस विषय में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है । बड़ी तथा छोटी लाइनों के बहुत से डिब्बों के लिये आर्डर दिये जा चुके हैं । इनके आजाने पर कोई ३००० डिब्बे प्रति वर्ष अधिक दिये जा सकेंगे । ये अतिरिक्त डिब्बे भिन्न भिन्न प्रकार के यातायात के लिये, जिसमें कोयला भी शामिल है, अलग अलग मांगों और उनके तुलनात्मक महत्व तथा आवश्यकता को देखते हुए, दिये जायेंगे ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार निर्यात प्रयोजनों के लिये डिब्बे उपलब्ध करने पर राजी होने से पहले डिब्बों की देश के भीतर आवश्यकता पर ध्यान देती है ?

श्री के० सी० रेड्डी : सरकार देश की आवश्यकता को तो ध्यान में रखती है, परन्तु इसके साथ साथ वह निर्यातों की आवश्यकता को भी नहीं भुला सकती ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या कठिनाइयां पूर्ण रूप से डिब्बे न मिलने के कारण हैं या डिब्बों का सुव्यवस्थित वितरण न होने के कारण ?

श्री के० सी० रेड्डी : यह अधिकांश रूप से डिब्बों के न मिल सकने के कारण ही हैं ।

श्री सरमा : क्या लेडो से कोयला आसाम के समीपवर्ती चाय बागों को भेजा जा सकता है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं इस प्रश्न की सूचना चाहता हूं ।

सरदार ए० एस० सहगल : ये छोटी लाइन के डिब्बे निर्यात करने के लिये कब तक प्राप्त हो जायेंगे ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं प्रश्न को समझ नहीं सका ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य का निर्देश डिब्बों के निर्यात की ओर है ? प्रश्न कोयले के सम्बन्ध में है, डिब्बों के नहीं ।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं यह जानना चाहता हूं कि छोटी लाइन के डिब्बे कोयले का निर्यात करने के लिये कब तक प्राप्य हो जायेंगे ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं यह नहीं कह सकता कि कोयले का सारा निर्यात छोटी लाइन के डिब्बों द्वारा किया जायेगा या बड़ी लाइन के डिब्बों द्वारा । इस सम्बन्ध में ब्यौरा मैं अभी नहीं दे सकता ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि डिब्बों के बटवारे का क्या तरीका अख्तियार किया जाता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : हमेशा कोशिश हो रही है ।

श्री सरमा उठे —

उपाध्यक्ष महोदय : हमने इन सब बातों पर रेलवे बजट के समय चर्चा की थी ।

श्री सरमा : क्या सरकार कोयले को समीपवर्ती उद्योगों को देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : लक्ष्य तो यही है, परन्तु यह बात हर मामले में लागू नहीं हो सकती । परिवहन का व्यवस्थीकरण करने से पूर्व हमें सारी स्थिति पर विचार करना है ।

श्री आर० के० चौधरी : क्या सरकार को ज्ञात है कि आसाम में स्थानीय कोयले का मूल्य रानीगंज के आयातित कोयले से बहुत ज्यादा है और क्या यह सच है कि डिब्बे न मिलने के कारण रानीगंज का कोयला कुछ समय से आसाम नहीं आ सका है ?

श्री के० सी० रेड्डी : यह बात मुझे माननीय सदस्य से ही मालूम पड़ी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न संख्या ११७०.

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हम प्रश्न संख्या ११७० तथा ११७२ एक साथ लें तो अच्छा हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह भी काफी के सम्बन्ध में है । हां, ठीक है ।

कॉफ़ी की कीमतें

***११७०. डा० राम सुभग सिंह :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कॉफ़ी की कीमतें हाल के महीनों में कुछ गिरी हैं ?

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या सरकार का कोई ऐसी कार्यवाही करने का विचार है जिससे कीमतों में एकदम उतार-चढ़ाव न हो ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं । इस समय ऐसी कोई बात नजर नहीं आती जिससे कीमतों के सामान्य स्तर पर आजाने की सम्भावना हो ।

(ख) इस विषय में सरकार कॉफ़ी बोर्ड से लिखा पढ़ी करती रही है । मैं ने ३१ दिसम्बर, १९५२ को बोर्ड की बंगलौर

में हुई बैठक में भाग लिया था और बोर्ड के सदस्यों के साथ बातचीत भी की थी। मुझे यह कहते हुए खेद है कि तब से कीमतों का रुख बढ़ने का रहा है और सरकार को अपने कीमत कम करने के प्रयत्नों में बोर्ड से कोई सहयोग नहीं मिला है। सरकार कुछ उपायों पर, जिनसे वांछित लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, सक्रिय रूप से विचार कर रही है

काफी का निर्यात

*११७२. **श्री पी० टी० चाको** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कॉफ़ी बाज़ार में अच्छी किस्म के बीजों की कीमत में २० प्रति शत कमी हो जाने के बाद सरकार से यह अभ्यावेदन किया गया था कि कॉफ़ी के बीजों के जमा स्टाक के निर्यात की अनुमति दे दी जाये; तथा

(ख) क्या सरकार ने इस विषय में कोई कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). दिसम्बर १९५२ में कनारा व्यापार मंडल तथा आन्ध्र व्यापार मंडल से ये अभ्यावेदन तो प्राप्त हुए थे कि कॉफ़ी के बीजों के निर्यात की अनुमति दी जाये। परन्तु यह कहना ठीक नहीं होगा कि कॉफ़ी के मूल्य में २० प्रति शत कमी हुई है। वस्तुतः अप्रैल १९५२ से मूल्य धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्लान्टेशन ए किस्म की कॉफ़ी का आधार मूल्य २०९ रुपये प्रति हन्ड्रैडवेट निश्चित किया गया था, कीमत में वृद्धि कोई ११० रुपये प्रति हन्ड्रैडवेट के लगभग हुई है। इन परिस्थितियों में सरकार ने यह सोचा कि १९५२-५३ की फ़सल से कॉफ़ी का निर्यात किया जाना एक बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं होगा क्योंकि इसका देश के उपभोक्ताओं के लिये प्राप्य मात्रा पर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा।

डा० राम सुभग सिंह : क्या हाल के मासों में कॉफ़ी का बहुत स्टाक इकट्ठा हो गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी नहीं। कॉफ़ी के स्टाक में कोई अधिक वृद्धि नहीं हुई है।

श्री ए० एम० टामस : देश को अनुमानतः कुल कितनी कॉफ़ी की आवश्यकता है तथा भारत का कुल कॉफ़ी उत्पादन कितना है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : उत्पादन लगभग १८,००० हन्ड्रेडवेट है। मेरे पास ठीक ठीक आंकड़े तो नहीं हैं. परन्तु ऐसा मालूम होता है कि यदि कीमत उचित हो तो इस समय भारत में कॉफ़ी की खपत भी लगभग उतनी ही होगी जितनी कि उत्पादन।

श्री पी० टी० चाको : क्या नीलाम द्वारा बेचने की वर्तमान प्रणाली की कठिनाइयों के कारण कीमतों का नियन्त्रण केवल मुट्ठीभर व्यापारियों के हाथ में ही रहता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्लान्टेशन ए किस्म की चाय की कीमत के, जो मार्च में १९६ रुपये थी, सितम्बर में बढ़ कर ३१२ रुपये हो जाने के कुछ कारण अवश्य होंगे। मेरे ख्याल में कीमत बढ़ाने के लिये स्वार्थी लोगों द्वारा बाजार में खींचतान पैदा की गई होगी।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : अब कितनी कॉफ़ी इकट्ठी हो गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे सूचना चाहिये।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सच नहीं है कि कॉफ़ी हाउस कर्मचारी संघ ने कॉफ़ी के जमा हुए स्टाक को समाप्त करते रहने के लिये उत्तरी भारत में बहुत से कॉफ़ी हाउस खोले जाने का सुझाव दिया था ? क्या यह सच नहीं है कि भारतीय कॉफ़ी बोर्ड ने बार-बार यह बतलाया है कि उत्तरी भारत के नगरों ने उससे वहां कॉफ़ी हाउस खोलने की प्रार्थनाएं की हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न संगत है परन्तु फिर भी मैं इसकी पूर्वसूचना चाहूंगा ।

श्री पी० टी० चाको : क्या सरकार इस समय कीमतों के उतार चढ़ाव पर काबू पाने के लिये किन्हीं उपायों पर विचार कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : स्थिति यह है : विभिन्न उपभोक्ताओं की इस बढ़ती हुई शिक़ायत पर कि कीमतें काफ़ी चढ़ गई हैं, मैंने जुलाई से इस विषय में कुछ विशेष दिलचस्पी लेना शुरू किया था, परन्तु मेरे बोर्ड से सहयोग दिलवाने के प्रयत्न विफल रहे । मुझे बतलाया गया कि बोर्ड के अध्यक्ष इंगलैण्ड में हैं और जब तक वह वापस नहीं आजायेंगे तब तक कुछ नहीं किया जा सकता । वस्तुतः वर्तमान अधिनियम के अनुसार मुख्य विपणन अधिकारी के अधिकार बोर्ड के अध्यक्ष के अधिकारों के अधीन हैं अतएव ३१ दिसम्बर, १९५२ को बोर्ड की एक बैठक में मैंने बोर्ड को यह बतला दिया था कि यदि वह तीन मास के भीतर कीमतों में कमी करने की कोई तरकीब नहीं निकाले तो उसे सरकार को अपनी इच्छानुसार कार्य करने देना होगा । मुझे खेद है कि तब से कुछ विरुद्ध प्रचार किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा सहयोग दिये जाने की बजाय बोर्ड की १० मार्च, की बैठक में अध्यक्ष द्वारा एक लम्बे चौड़े भाषण में सरकार के 'अन्याय' की निन्दा की गई । अब विधि मंत्रालय इस बात की जांच कर रहा है कि इस विषय में सरकार के क्या अधिकार हैं । अब मैं विधि मंत्रालय से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं ताकि इस सम्बन्ध में कुछ आगे कदम उठाया जा सके ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या सरकार बोर्ड को सहयोग नहीं दे रही है तथा बोर्ड के सदस्यों को इस सम्बन्ध में अनेक शिकायतें हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रायः "यह होता है कि जब बोर्ड ही सरकार से असहयोग करता है तो वह यह कहता है कि सरकार उससे असहयोग कर रही है"।

श्री पुन्नूस : क्या यह सच नहीं है कि कॉफ़ी बोर्ड ने पहले यह मांग की थी कि निर्यात नहीं होना चाहिये जिससे कि कीमतों पर काबू पाया जा सके ? क्या मैं यह आशा करूं कि जब कॉफ़ी के निर्यात के प्रश्न पर विचार किया जायेगा तो सरकार भारतीय उपभोक्ताओं के हित को भी ध्यान में रखेगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस वर्ष निश्चय यह हुआ है कि निर्यात नहीं होना चाहिये और इसका कारण यह था कि कीमतें बढ़ रही थीं तथा निर्यात से उपभोक्ताओं के हित को नुकसान पहुंचता । मैं यह नहीं जानता कि सरकार ने मई १९५२ के पहले क्या क्या किया । मुझ से कहा गया है कि सरकार बोर्ड को परस्पर-विरोधी अनुदेश दे रही है ; परन्तु जहां सरकार के अनुदेश विशिष्ट थे कम से कम वहां तो मुझे आशा थी कि बोर्ड उनका पालन करेगा । स्पष्ट है कि बोर्ड ने ऐसा नहीं किया ।

श्री दामोदर मेनन : क्या सरकार ने कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि होने के कारणों की जांच-पड़ताल की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी नहीं। मैं ने कोई जांच तो नहीं की है, परन्तु मैं समझता हूं कि यह बात स्पष्ट है कि किसी न किसी ने खींचातानी करके कीमतों को बढ़ाया अवश्य है और उससे बोर्ड तथा उत्पादकों ने लाभ उठाया है ।

श्री पी० टी० चाको : क्या सरकार इस समय चालू नीलाम द्वारा विक्रय की प्रणाली का पुनरीक्षण करने का विचार कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जैसा कि मैंने पहले कहा, सरकार इस समय सारे प्रश्न पर विचार कर रही है । वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत सरकार कुछ बहुत बड़ी कार्यवाही कर सकती है, परन्तु जहां तक किन्हीं मध्यम कार्यवाहियों की जाने का प्रश्न है, मैं समझता हूं सरकार की स्थिति तनिक संदिग्ध सी है । यदि सरकार के अधिकार स्पष्ट हों, तब तो मैं सम्भवत: बोर्ड को अपने नीलाम सम्बन्धी नियमों में फेर बदल करने के अनुदेश दे सकता हूं । हमने अब तक केवल इतना किया है कि उससे प्रत्येक मास अधिक कॉफ़ी---लगभग २००० टन कॉफ़ी---नीलाम के लिये प्रस्तुत करने के लिये कहा है । मैं यह नहीं कह सकता कि हमारे इस अनुदेश का अभी तक पालन किया गया है या नहीं ।

श्री पी० टी० चाको : क्या १९५२ में बोर्ड द्वारा यह विनिश्चय किये जाने के बावजूद भी कि कॉफ़ी का निर्यात नहीं किया जायेगा, कॉफ़ी बाहर भेजी गई थी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : १९५२-५३ में तो कॉफ़ी का निर्यात नहीं किया गया था । मैं यह नहीं कह सकता कि १९५२ में निर्यात हुआ था या नहीं । इसके लिये तो मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री ए० एम० टामस : क्या सरकार को ज्ञात है कि १९५१-५२ की फसल में बेचे जाने के लिये अनुमत कॉफ़ी की मात्रा में से बहुत सी व्यापारियों द्वारा छिपा कर रख ली गई थी और अब वे ही व्यापारी कॉफ़ी का निर्यात करने के लिये अनुमति मांग रहे हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : निर्यात की अनुमति दी जाने की मांग तो विभिन्न क्षेत्रों से की जा रही है व्यापार मंडलों से और उत्पादकों से भी । यह मांग विधान सभाओं में भी उठाई गई है । यह कहना अत्यन्त कठिन है कि निर्यात की इस मांग के पृष्ठ में क्या उद्देश्य छिपा है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार ने देश में---विशेष रूप से भारत के उन क्षेत्रों में जहां कॉफ़ी का उपभोग बहुत कम होता है---कॉफ़ी की खपत बढ़ाने के लिये कोई ठोस कदम उठाये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . इस समय तो मुझे चिंता यह है कि हम उचित कीमत पर मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या कीमतों में वृद्धि उत्पादन में कमी होने के कारण हुई है या खपत में बढ़ोत्तरी होने के कारण ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक उत्पादन का प्रश्न है, मैं नहीं समझता कि इस में कोई विशेष कमी हुई है । इसके विपरीत, यद्यपि मद्रास तथा मैसूर में कॉफ़ी का प्रति एकड़ उत्पादन कम है, फिर भी कुल उत्पादन बढ़ गया है । सम्भवत: दूसरी बात ही ठीक है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

मध्य एशिया से व्यापार

*११७१. **डा० राम सुभग सिंह :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत का लद्दाख के पहाड़ी मार्गों से होकर व्यापार सितम्बर १९४९ से करीब करीब बंद हो गया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उसे पुनः चालू करने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) सिंकियांग एक ऐसा क्षेत्र है जो विदेशियों के लिये बंद है । इस समय वहां की स्थानीय दशा भी भारत तथा सिंकियांग के बीच व्यापार पुनः चालू किये जान के अनुकूल नहीं है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार को उन भारतीय व्यापारियों के बारे में कोई जानकारी है जो सिंकियांग में १९४९ के पूर्व बसे थे ?

श्री करमरकर : भारतीय व्यापारियों के साथ कुछ नहीं हुआ है; बस व्यापार बंद हो गया है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या वे भारत आ गये हैं या अब भी वहीं हैं ?

श्री करमरकर : यह तो हमें पता लगाना पड़ेगा ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : १९४९ के पूर्व भारत तथा सिंकियांग के बीच कितना व्यापार था ?

श्री करमरकर : मुझे सूचना चाहिये ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : यातायात तथा व्यापार के बन्द हो जाने के क्या कार हैं ? क्या चीन की लोक सरकार मार्ग में कोई रुकावट डाल रही है ?

श्री करमरकर : शायद मेरे माननीय मित्र यह जानना चाहेंगे कि १९४९ के अन्त में चीन की लोक सरकार द्वारा सिंकियांग प्रान्त लिये जाने के परिणामस्वरूप, हमारे कशगर स्थित महा वाणिज्यदूतालय को, जो वहां दिसम्बर, १९४८ में चीन की राष्ट्रीय सरकार की सहमति से खोला गया था, बंद होना पड़ा था क्योंकि नई चीनी सरकार ने उसको मान्यता देने से इन्कार कर दिया था ।

श्री पुन्नूस : इस समय स्थिति क्या है ? क्या सरकार ने चीन की लोक सरकार से यह सवाल उटाया है ?

श्री करमरकर : जी हां ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा ऐसे स्थानों पर, जो अब पाकिस्तान में हैं, करवाये गये कार्यों के सम्बन्ध में दावे

*११७३. **श्री बहादुर सिंह :** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा ऐसे स्थानों पर, जो अब पाकिस्तान में हैं, करवाये गये कार्यों के सम्बन्ध में विभाजन के पहले के कोई दावे थे ; तथा

(ख) क्या उक्त दावों के भुगतान का दायित्व भारत सरकार ने ले लिया है या अभी वे विचाराधीन हैं ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का ध्यान तारीख २३ मई, १९४८ की प्रेस विज्ञप्ति की ओर दिलाया जाता है जिसकी एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है । [देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २०]

सरदार बहादुर सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि कुल दावे कितने रुपये के थे ?

सरदार स्वर्ण सिंह : अब तक महा-लेखापाल के पास ४१,२५,००० रुपये के दावे पंजीबद्ध कराये गये हैं ।

सरदार बहादुर सिंह : क्या किन्हीं दावों का निपटारा असरकारी बातचीत या मध्यस्थ-निर्णय द्वारा भी किया गया है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : किसी का नहीं ।

सरदार बहादुर सिंह : कितने रुपये के दावे खारिज कर दिये गये हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैंने जो राशि बतलाई है उसमें से कोई भी दावे खारिज नहीं किये गये हैं ।

सरदार बहादुर सिंह : क्या कोई दावे ऐसे भी हैं जो स्वीकार तो कर लिये गये हैं किन्तु उनका भुगतान नहीं किया गया है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जी नहीं ।

सरदार बहादुर सिंह : क्या यह सत्य है कि कुछ ऐसे दावों का, जो पाकिस्तान सरकार द्वारा सत्यापित कर दिये गये हैं, भुगतान या समायोजन नहीं किया गया है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह तो एक सामान्य सा प्रश्न हो गया । यदि किसी विशिष्ट दावे का उल्लेख किया जाये, तब तो मैं जांच कर सकता हूं । मेरे पास जो जानकारी है उसके आधार पर मैं केवल इतना बता सकता हूं कि ऐसा कोई दावा नहीं है जिसका पाकिस्तान सरकार द्वारा सत्यापन कर दिया गया हो और उसका अभी तक भुगतान न किया गया हो ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या सरकार पाकिस्तान सरकार से किये गये दावों के बारे में—मेरा अभिप्राय इस सम्बन्ध में किये गये कुल दावों से है — कोई जानकारी दे सकती है ? क्या अब तक कोई दावे नहीं किये गये हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : स्पष्ट है कि यह प्रश्न तो हमारे यहां भुगतान कर दिये जाने के बाद उत्पन्न होगा ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह सच है कि दावे सत्यापन के लिये पाकिस्तान भेजे गये थे ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जी हां ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या पाकिस्तान से उत्तर मिल गये हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : कुछ के बारे में, सब के नहीं ।

सरदार हुक्म सिंह : उनके पास जितने दावे सत्यापन के लिये भेजे गये थे उनमें से कितने सत्यापित कर दिये गये हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : वास्तव में इस सम्बन्ध में कोई संभ्रान्ति प्रतीत होती है । सत्यापित करने का कार्य मुख्य रूप से सरकारों का नहीं है; परन्तु वह वहां कुछ अधिकारियों के द्वारा किया जाता है । कुछ मामलों में तो हम वहां जाकर अभिलेखों की जांच करने तथा दावे सत्यापित करने के लिये अपने अधिकारी भेज सकते हैं ताकि वे वहां जाकर वास्तविक स्थिति को स्वयं समझ सकें ।

श्री श्यामनन्दन सहाय : क्या सरकार को ज्ञात है कि कुछ ठेकेदारों को, जिनसे ऐसे स्थानों पर माल देने के लिये कहा गया था जो अब पाकिस्तान में हैं, उनके हिसाब का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, यद्यपि माल का आर्डर अविभाजित भारत की सरकार द्वारा दिया गया था ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यदि ऐसा कोई मामला है तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा ।

श्री श्यामनन्दन सहाय : यदि बात ऐसी है, तो सरकार उक्त दावेदारों को भुगतान करने के लिये क्या प्रबन्ध करेगी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इस प्रकार के ठेके सम्बन्धी दावों के भुगतान के बारे में भी वही प्रक्रिया लागू होती है। उन्हें भी एक निश्चित तारीख के पहले अपने दावे पंजीबद्ध कराने होंगे। जिन्होंने अपने दावे पंजीबद्ध करा दिये हैं उनके दावों पर विचार पाकिस्तान के प्राधिकारियों के परामर्श से किया जायेगा।

श्री गिडवानी : मंत्री महोदय ने कहा कि सरकार को पाकिस्तान से वहां जाकर अभिलेखों की जांच किये जाने के सम्बन्ध में सब सुविधाएं मिल रही हैं ; यदि ऐसा है, तो फिर सब दावों का निपटारा किये जाने में इतना विलम्ब क्यों हुआ है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैंने यह तो नहीं कहा कि पाकिस्तान वहां जाने की सब सुविधाएं दे रहा है।

श्री गिडवानी : आपने यह कहा कि अधिकारी वहां जा सकते हैं और अभिलेखों की जांच कर सकते हैं। आपने यह कहा था। इसीलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि इस काम में इतना विलम्ब क्यों हुआ है। आखिर साढ़े पांच वर्ष निकल चुके हैं।

सरदार स्वर्ण सिंह : सुविधाएं सदैव उपलब्ध नहीं होतीं और न ही अधिकारियों के भेजे जाने के लिये हर समय उपयुक्त होता है।

सबाई घास से कागज बनाया जाना

*११७४. **श्री जजवाड़े :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जानती है कि बिहार के सन्थाल परगना के दामिन क्षेत्रों में सबाई घास बहुत अधिक मात्रा में पैदा होती है ?

(ख) क्या इस घास से कागज का गृह उद्योग के रूप में निर्माण पुनः चालू करने के लिये कोई योजना बनाई गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

श्री जजवाड़े : क्या सरकार को पता है कि इस क्षेत्र में सबाई घास का उत्पादन धीरे धीरे कम होता जा रहा है ; तथा यदि पता है, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री करमरकर : हमारी जानकारी तो इसके विपरीत है। वर्ष १९५१-५२ में इसका उत्पादन कोई १ लाख ७५ हजार टन तक हो गया था जबकि वर्ष १९५०-५१ में यह केवल ९५ हजार टन ही था।

श्री जजवाड़े : क्या सरकार ने इस उद्योग पर आदिवासियों के एक गृह उद्योग के रूप में विचार किया है जिनकी संख्या कई लाख है ?

श्री करमरकर : पहाड़िया लोगों को तो पहले ही सहायता पहुंचाई जा चुकी है। हमने उन्हें सात आने प्रति मन के दर से २ लाख मन घास की निकासी की गारंटी दे दी है। कीमत की गारंटी दी हुई है और मात्रा की भी गारंटी है, परन्तु वे कम ही मात्रा देते हैं। अतः उनके हित तो सुरक्षित ही हैं।

श्री श्यामनन्दन सहाय : क्या सरकार ने पिछले वर्षों के आंकड़ों पर ध्यान दिया है ? यदि नहीं दिया है, तो क्या वह अब ध्यान देगी क्योंकि यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है और मैं माननीय मंत्री को अपने व्यक्तिगत अनुभव से बतला सकता हूं कि उत्पादन कम होता जा रहा है।

श्री करमरकर : माननीय सदस्य के कहने के अनुसार मैं और पता लगाने का यत्न करूंगा । वैसे इस समय तो मेरी जानकारी दूसरी ही है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या सबाई घास का 'गारंटी मूल्य' सारे छोटा नागपुर में लागू कर दिया गया है ?

श्री करमरकर : मैं समझता हूं कि मैं ने सन्थाल परगना के बारे में कहा था । छोटा नागपुर के विषय में तो मैं पता लगाऊंगा ।

श्री जाटवबीर : क्या सरकार को मालूम है कि इन पहाड़ियों की बस्ती में आग लग गई थी और उससे एक हजार मन घास जल गई थी ? यदि मालूम है, तो क्या वह इसकी जांच करायेगी कि किसी इन्टरेस्टेड पार्टी (स्वार्थी लोगों) ने तो यह काम नहीं किया ?

श्री करमरकर : अब तक ऐसी खबर नहीं मिली है । लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो भी कुछ घास की कीमत और उसके लाने का खर्च उन पहाड़ियों को दिया जायेगा ।

श्री श्यामनन्दन सहाय : क्या सबाई घास भारत सरकार द्वारा ली जाती है या भारत सरकार ने कागज मिलों के साथ ये प्रबन्ध किये हैं कि घास को वे लें ? माननीय मंत्री ने अभी कहा कि सरकार ने दो लाख मन घास की निकासी की व्यवस्था कर रखी है । क्या सबाई घास उत्पादकों को प्रत्याभूत मात्रा का प्रत्याभूत मूल्य मिल जाता है ?

श्री करमरकर : अब तो घास की मालिक सरकार है । पिछले वर्षों में हमने इसे कागज मिलों को देने का प्रबन्ध किया था । एक वर्ष हमने टीटागढ़ पेपर मिल्स को दी और एक वर्ष बंगाल पेपर मिल्स को । परन्तु इस वर्ष कोई कागज मिल नहीं आई ; अतः हमने घास सब से अधिक बोली देने वाले व्यक्ति, अर्थात् राजकुमार सिंह, को दे दी ।

श्री सौरेन : क्या यह सच है कि जब से सरकार ने सबाई घास का काम पहाड़ियों से लिया है तब से इसका उत्पादन कम हो गया है ?

श्री करमरकर : मैं ने यह पता लगाने का वायदा किया है । जैसा कि थोड़ी देर हुई मैं ने सदन को बतलाया, सरकार इस विषय में सीधे ही कार्यवाही कर रही है ।

बेकार अभ्रक के निर्यात पर प्रतिबन्ध

*११७५. **श्री के० के० बसु :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बेकार अभ्रक के निर्यात पर प्रस्तावित प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में अभ्रक मंत्रणासमिति की सिपारिशों पर क्या विनिश्चय किया गया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : अभ्रक मंत्रणा समिति की सिपारिश अब भी सरकार के विचाराधीन है ।

श्री नाना दास : क्या सरकार अब भी यह समझती है कि बेकार अभ्रक का प्रयोग अभ्रक के टुकड़ों के स्थान में किया जा रहा है और उससे अभ्रक के टुकड़ों के निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह तो अपनी अपनी राय का प्रश्न है ।

श्री वी० पी० नायर : देश में उत्पादित अभ्रक की कितनी प्रतिशत मात्रा बाहर भेजी जाती है और कितनी प्रतिशत का उपभोग स्थानीय उद्योगों में किया जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रश्न तो बेकार अभ्रक के विषय में है ।

श्री श्यामनन्दन सहाय : क्या सरकार के सामने कोई ऐसी प्रस्थापना है जिसके अन्तर्गत बेकार अभ्रक से, जो इस समय बाहर नहीं भेजी जाती, माइकानाइट बनाने का विचार हो ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं समझता हूं कि ऐसी कोई प्रस्थापना है अवश्य । परन्तु जब तक इसके लिये कोई अलग प्रश्न न पूछा जाये तब तक में इस के बारे में निश्चय के साथ कुछ नहीं कह सकता ।

काफी, रबड़ तथा रेशम मंत्रणा बोर्ड

*११७६. **श्री के० के० बसु** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास कॉफ़ी, रबड़ तथा रेशम मंत्रणा बोर्ड में इन उद्योगों के मज़दूरों तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी लेने की कोई प्रस्थापना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : स्थिति यह है कि भारतीय कॉफ़ी बोर्ड तथा भारतीय रबड़ बोर्ड में तो पहले ही मज़दूरों के तीन तीन प्रतिनिधि हैं । हां, वर्तमान केन्द्रीय रेशम बोर्ड में मजदूरों का कोई प्रतिनिधि नहीं है और न ही केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, १९४८ में बोर्ड के मज़दूरों का प्रतिनिधि भी लिये जाने के सम्बन्ध में कोई उपबन्ध है । परन्तु अब केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९५२ के अन्तर्गत बोर्ड की फिर से रचना करने का विचार है जिसमें मज़दूरों के प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था रहेगी ।

श्री के० के० बसु : इन बोर्डों में मज़दूरों के प्रतिनिधि सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जाते हैं या कतिपय अभिज्ञात संघों द्वारा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : उन्हें श्रम मंत्रालय के परामर्श पर सरकार नाम निर्देशित करती है ।

श्री के० के० बसु : क्या बोर्डों की नई रचना में, जिस पर सरकार विचार कर रही है, सरकार अभिज्ञात संघों द्वारा सुझाये गये प्रतिनिधियों का नामनिर्देशन करने की सम्भावना पर विचार करेगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : संशोधक विधेयक सदन के सम्मुख पेश किये जायेंगे और माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर उपयुक्त समय पर उचित ध्यान दिया जायगा ।

श्री पी० टी० चाको : क्या यह सच है कि रबड़ बोर्ड में मज़दूरों के कुछ प्रतिनिधियों ने बोर्ड की किसी भी बैठक में भाग नहीं लिया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं सूचना चाहता हूं : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री पुन्नूस : क्या सरकार को पता है कि मज़दूरों में इस कारण असन्तोष की भावना बढ़ रही है क्योंकि उनके प्रतिनिधि बोर्ड में नहीं लिये जाते ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह तो अपनी अपनी राय है । बोर्ड में उनके कुछ प्रतिनिधि तो अवश्य होंगे । हां, यह हो सकता है कि वे प्रतिनिधि उन मज़दूरों का प्रतिनिधित्व न करते हों जिनसे मेरे माननीय मित्र परिचित हैं ; हो सकता है कि उन्हें अन्य मजदूरों का विश्वास प्राप्त हो । यह तो अपने अपने मत का प्रश्न है ।

श्री पुन्नूस : मेरा सवाल तो यह है कि क्या सरकार को मज़दूरों में फैले असन्तोष का ज्ञान है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कभी कभी असन्तोष बनावटी भी होता है। हम यह नहीं कह सकते कि कब असन्तोष वास्तविक होता है और कब बनावटी।

श्री वी० पी० नायर : क्या माननीय मंत्री को किसी ऐसे बनावटी असन्तोष का ही ज्ञान है ?

श्री पी० टी० चाको : क्या यह सच है कि रबड़ बोर्ड के एक मज़दूर प्रतिनिधि ने हाल ही में त्यागपत्र दे दिया है; तथा यदि ऐसा है तो क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार उस रिक्तता को भरने के लिये किसी प्रतिनिधि का नामनिर्देशन करेगी या नहीं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर देने के लिये मुझे सूचना चाहिये ; अतः दूसरा भाग उठता ही नही।

वैस्टर्न इंडिया आयल डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी लिमिटेड

*११७७. **श्री के० के० बसु** : क्या **निर्माण गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हाल ही में वैस्टर्न इन्डिया ऑयल डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी लिमिटेड को बर्मा शेल तथा स्टैन्डर्ड वैकुअम ऑयल कम्पनियों द्वारा व्यापार युद्ध चालू रखे जाने के कारण कुछ कठिनाइयों का सामना करते रहना पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस कम्पनी से सहायता के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; तथा

(ग) यदि प्राप्त हुए हैं ; तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) क्योंकि यह कम्पनी गत युद्ध के प्रारम्भ से कारबार नहीं कर रही है, अतः व्यापार युद्ध का तो प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री के० के० बसु : क्या माननीय मंत्री हमें यह आश्वासन दे सकते हैं कि वैस्टर्न ऑयल डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा विश्व एकाधिकारप्राप्त बर्मा शैल कम्पनी तथा अन्य कम्पनियों के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की गई है ?

श्री बुरागोहिन : यद्यपि सरकार ने कम्पनी को, उससे युद्धकाल के दौरान में लिये गये टैंकों के प्रतिकर के रूप में, सन् १९४८ में दस लाख रुपये दिये हैं, तथापि कम्पनी ने अपनी पुनर्स्थापना के लिये कोई प्रयत्न नहीं किये हैं। हां, उसके सन् १९५१ में एक तैल परिष्करणी चालू करने की प्रास्थापना रखी थी, जिसके उत्तर में सरकार ने यह कहा था कि सरकार स्वयं कोई तैल परिष्करणी स्थापित नहीं करेगी और न ही ऐसी किसी परिष्करणी को अर्थ सहाय्य देगी। हां, यदि कोई कम्पनी ही ऐसी किसी योजना में दिलचस्पी रखती हो, तो सरकार उसे केवल ऐसी अन्य सहायता दे सकेगी जो आवश्यक हो।

उद्योगपतियों द्वारा कच्चे रबड़ का क्रय

*११७८. **श्री पी० टी० चाको** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि उद्योगपति कच्चे रबड़ को नियन्त्रित दर पर खरीदने से इन्कार कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार जानती है कि भारत के उद्योगपति अब पेल-लेटेक्स-क्रेप रबड़ खरीदने से इन्कार कर रहे हैं ; तथा

(ग) क्या सरकार ने, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उद्योगपतियों ने सरकार द्वारा निश्चित मूल्य पर कच्चा रबड़ खरीदने से इन्कार कर दिया है, रबड़ उत्पादकों को सहायता पहुंचाने के लिये कोई कदम उठाया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) हमें इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं ।

(ग) निर्माता तो अपने देशी रबड़ का सामान्य कोटा उठाते रहे हैं। हां, उत्पादकों के पास रबड़ का कुछ स्टाक जमा हो गया है । इस स्टाक के जमा न होने देने के लिये सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये हैं :

(क) रबड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजे जाने पर से पाबन्दी हटा ली गई है जिससे कि निर्माता रबड़ की जितनी भी मात्रा चाहें, खरीद सकें ।

(ख) वर्ग ४ की ४०० टन रबड़ के निर्यात की, जिसमें पेल लेटेक्स क्रेप भी सम्मिलित है, अनुमति दी जा रही है ।

(ग) २०० टन तलों के क्रेप रबड़ के निर्यात की अनुमति दी जा रही है ।

(घ) ऋणदान जैसी अन्य प्रस्थापनाएं भी सरकार के विचाराधीन हैं जिससे कि उत्पादकों के पास जो अतिरिक्त स्टाक जमा है उसकी बाजार में निकासी हो सके ।

श्री पी० टी० चाको : पेल-लेटेक्स क्रेप रबड़ निर्माताओं द्वारा इस वर्ष क्यों नहीं खरीदी जा रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं इसका कारण तो नहीं बतला सकता ; परन्तु सुना मैं ने भी है कि निर्माता इस प्रकार की रबड़ खरीदने को अनिच्छुक हैं । हमने निर्माताओं से कहा है कि वे खरीद बंद न कर दें इसी बीच में ने पेल-लेटेक्स-क्रेप रबड़ के विक्रेताओं द्वारा निर्यात सम्बन्धी सुविधाएं दी जाने के लिये की गई प्रार्थनाओं के बारे में रबड़ बोर्ड से रिपोर्ट मांगी है ।

श्री पी० टी० चाको : इस समय कच्चे रबड़ के स्टाक की स्थिति क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरी जानकारी यह है कि गत मास के अन्त में विक्रेताओं तथा अन्य मध्यजनों के पास रबड़ का स्टाक कोई ५१०० टन था ।

श्री पी० टी० चाको : भारत के रबड़ निर्माताओं के पास बने हुए रबड़ के सामान का स्टाक कितना है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इसके लिये मुझे सूचना चाहिये ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या सरकार को ज्ञात है कि भारत के बाहर कीमतें यहां की अपेक्षा कम हैं और यदि हां, तो क्या सरकार इस बात को जानते हुए भी कि वहां कीमतें कम हैं, व्यापारियों को नुकसान उठा कर निर्यात करने देगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर तो मैं स्वीकारात्मक दूंगा क्योंकि विश्व मूल्य और भी ज्यादा कम हो रहे हैं । मैं समझता हूं आज सिंगापुर रबड़ का मूल्य १ शिलिंग ९ पैंस से लेकर १ शिलिंग ८ और ५।८ पैंस से कुछ कम है । निर्यात के प्रश्न पर बार-बार

ज़ोर दिया गया है; परन्तु, जैसा कि एक 'प्लान्टिग जर्नल' ने अपने २८ मार्च के अंक में उल्लेख किया है, सम्भवतः लोग खतरे की आवाज़ समय से कुछ पहले उठा रहे हैं। फिर भी मामला विचाराधीन है और यदि सरकार यह देखेगी कि रबड़ यहां नहीं लिया जा रहा है तो स्वभावतः वह निर्यात की अनुमति दे देगी। सरकार जानती है कि इस समय निर्यात से उत्पादकों को बहुत नुकसान पहुंचेगा।

श्री पुन्नूस : क्या मैं जान सकता हूं कि जब रबड़ से भारत की ही ज़रूरतें पूरी नहीं हो सक रही हैं तो फिर इसके निर्यात की अनुमति दी जानी क्यों आवश्यक हो गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह ठीक है कि रबड़ की सप्लाई कम है। वर्तमान उत्पादन प्राक्कलनों के अनुसार भी कोई १,००० से लेकर १,५०० टन तक की या इससे भी अधिक कमी पड़ेगी। परन्तु रबड़ के उत्पादन तथा निर्माताओं द्वारा किये जाने वाले क्रय के बीच कुछ अन्तर है। हम तो केवल यह प्रयत्न कर रहे हैं कि यह अन्तर दूर हो जाये, अर्थात् जितना रबड़ उत्पादित किया जाये उतना ही निर्माताओं द्वारा खरीद किया जाये। यदि हमें अपने इस उद्देश्य में सफलता मिल गई, तब तो किसी निर्यात की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। परन्तु यदि हम सफल नहीं हुए तो स्वभावतः कुछ न कुछ मात्रा के निर्यात की अनुमति दी ही जानी होगी।

श्री पुन्नूस : क्या यह सच है कि फायरस्टोन तथा डनलप कम्पनियां रबड़ खरीदने से जानबूझ कर इन्कार कर रही हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक डनलप कम्पनी द्वारा किये जाने वाले क्रय का प्रश्न है, वह सामान्य से कुछ अधिक ही रहा है। हां, फायरस्टोन द्वारा क्रय सामान्य से कम रहा है। मेरा ख्याल है कि फायरस्टोन कम्पनी में हड़ताल हो गई थी और यही मुख्य कारण है कि वह अपनी रबड़ की निकासी में वृद्धि नहीं कर पाई है।

अभ्रक उद्योग

*११७९. **श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२ में निर्यात किये गये अभ्रक की मात्रा ;

(ख) अभ्रक उद्योग में बहुत अधिक मंदी आने का कारण ; तथा

(ग) उद्योग की हालत सुधारने के लिये भारत सरकार द्वारा उठाये गये क़दम।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) ९,५८,५२,५६८ रुपये के मूल्य की ३,०६,९७६ हण्डरवेट।

(ख) अभ्रक उद्योग में वास्तविक मंदी का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। वर्ष १९५१-५२ को छोड़ कर, जिसमें स्टाक जमा करने का असामान्य जोश पाया जाता था, अन्य वर्षों में निर्यात का स्तर सन्तुलित रहा है।

इसमें सन्देह नहीं है कि "विक्रेता बाज़ार" के समाप्त होने के बाद क्रेताओं द्वारा यह मांग की जा रही है कि माल अधिक अच्छी क़िस्मों का दिया जाये।

(ग) उद्योग में स्थिरता स्थापित करने के लिये सरकार को यह परामर्श दिया जा रहा है कि अभ्रक के निर्यात की मात्रा में, उसका वर्गीकरण करने के लिये कोई एकरूप मान अपना कर; सुधार किया जाये। अब इस

दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं। अन्य सुझावों में ये भी सम्मिलित हैं :

(क) निर्यात सम्बन्धी कार्यों को संभालने के लिये एक केन्द्रीय संगठन की रचना ;

(ख) बेकार अभ्रक के निर्यात पर रोक लगाना ; तथा

(ग) देश में अभ्रक के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिये अनुसन्धान कार्य की संवृद्धि।

इस समय इन सुझावों की जांच की जा रही है।

श्री जी० पी० सिन्हा : १९५२ में अभ्रक का कुल कितना स्टाक जमा हो गया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास केवल निर्यात के आंकड़े हैं, जमा हुये स्टाक के नहीं।

श्री एन० पी० सिन्हा : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि अब हमें दामोदर घाटी निगम क्षेत्र में काफ़ी बिजली मिलने वाली है, क्या सरकार का विचार यह पता लगाने का है कि अभ्रक का केवल निर्यात ही न किया जा कर उसकी भारत में ही और अधिक खपत की जाने की कितनी सम्भावना है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : क्या माननीय सदस्य का अभिप्राय यह है कि सरकार के सम्मुख बिजली का सामान बनाने की कोई प्रस्थापना है या नहीं जिसमें अभ्रक की काफ़ी मात्रा की खपत हो सके ? यदि अभिप्राय यही है, तो मैं समझता हूं कि सरकार के सम्मुख ऐसी कोई प्रस्थापना है।

श्री वी० पी० नायर : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य फ्लोगोपाइट अभ्रक का मुख्य स्रोत है तथा इस बात को ध्यान में रखते हुये कि अभ्रक जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि इस उद्योग से अधिक लाभ की सम्भावनायें हैं, क्या सरकार ने त्रावनकोर-कोचीन राज्य में इस उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे सूचना चाहिये।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या मैं जान सकता हूं कि ब्राज़ील और मैडागास्कर की अभ्रक विदेशों में भारतीय अभ्रक का कहां तक मुक़ाबला करती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं समझता हूं कि इस समय मुक़ाबला कोई बहुत अधिक तीव्र नहीं है।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या पोतनिर्माण और विद्युत उपकरणों के निर्माण में विकास होने के फलस्वरूप देश में अभ्रक की खपत में भी कोई वृद्धि हुई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं समझता हूं कि विद्युत यंत्रों के निर्माण सम्बन्धी गतिविधियों में वृद्धि इतनी नहीं हुई है जिससे कि देश में अभ्रक की खपत की स्थिति में कोई सुधार हो सके।

श्री रघवय्या : भारत सरकार ने देश में उत्पादित अभ्रक की यहीं खपत करने के लिये क्या प्रयत्न किये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस प्रश्न का उत्तर पहले दिया जा चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, यह पहले पूछा गया था और उसका उत्तर भी दे दिया गया था।

श्री नाना दास : क्या सन् १९५२ में बाहर भेजी गई अभ्रक की मात्रा १९५१ के मुकाबिले कम थी ; तथा यदि हां, तो कितनी कम ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जैसा कि मैं बतला चुका हूं, स्थिति यह है कि केवल उन वर्षों को छोड़ कर, जिनमें स्टाक जमा

करने की प्रवृत्ति थी, अन्य वर्षों में अभ्रक का निर्यात न्यूनाधिक सामान्य रहा है। वर्ष १९५०-५१ तथा वर्ष १९५१-५२ में —जब कि स्टाक जमा करने की प्रवृत्ति ज़ोरों पर थी—निर्यात के आंकड़े प्रत्येक वर्ष कोई ४ लाख हण्डरवेट से कुछ अधिक थे। मेरा ख्याल है कि १९५२ के आंकड़े सामान्य वर्ष—१९४९-५०—के निर्यात आंकड़ों, अर्थात् २,९७,००० हण्डरवेट, से भी आगे निकल जायेंगे।

श्री पुन्नूस : अभ्रक जांच समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य में खानों से अभ्रक निकालने का काम पिछले पचास वर्षों में अक्सर किया जाता रहा है। क्या सरकार ने इस काम को स्थायी रूप देने के लिये कोई क़दम उठाया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे सूचना चाहिये।

श्री नाना दास : क्या अभ्रक के मूल्य में १९५२ में कोई कमी हुई थी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी हां, हुई है।

श्री रघवय्या : क्यों कि अभ्रक जांच समिति की सिफ़ारिशों में एक यह भी है कि बेकार अभ्रक के निर्यात पर रोक लगा दी जाये, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को विश्वास है कि बेकार अभ्रक के निर्यात से बाहर भेजी जाने वाली अभ्रक की चादरों के अच्छे मूल्य प्राप्त किये जाने मे बाधा पहुंच रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जैसा कि मैं ने पहले बतलाया, इस प्रश्न पर विचार हो रहा है। अभी सरकार किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है।

पिछड़े हुए वर्गों के उत्थान के लिये बिहार को बांट में दी गई धनराशि

*११८०. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पंचवर्षीय योजना की कालावधि में पिछड़े हुये वर्गों के उद्धार के लिये बिहार को बांट में दी गई धनराशि ;

(ख) अब तक व्यय की गई धनराशि तथा

(ग) यह धन राशि किस मद के अन्तर्गत व्यय की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) बिहार सरकार के अनुच्छेद २७५(१) के अन्तर्गत निम्न प्रकार से केन्द्रीय सहायक अनुदान प्राप्त हुआ है :

१९५१-५२—१५ लाख रुपये।
१९५२-५३—१८ लाख रुपये।

(ख) तथा (ग)। जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बिहार में अब तक कितने स्कूल तथा होस्टल खोले गये ?

श्री हाथी : मुझे उसका ब्यौरा ज्ञात नहीं है।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अनुसूचित आदिम जातियों के अतिरिक्त पिछड़े हुये वर्गों के लिये कोई कल्याण कार्यक्रम है ?

श्री हाथी : जहां तक पिछड़े हुये वर्गों का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाऊंगा कि संशोधन के अनुच्छेद ३४० के अन्तर्गत एक आयोग नियुक्त किया गया है। आयोग इस सम्बन्ध में अपनी सिफ़ारिशें देगा कि जो वर्ग सामा-

जिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुये हैं उनके सम्बन्ध में क्या क़दम उठाये जायें। केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले सहायक अनुदान ी उन्हीं सिफ़ारिशों पर निर्भर होंगे ?

विशाखापटनम में पोत निर्माण

*११८१. **श्री अल्तेकर** : (क) क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विशाखापटनम में बनने वाले पोतों के कौन कौन से हिस्से भारत में ही बनते हैं और क्या किन्हीं हिस्सों के विदेशों से मंगाये जाने की भी ज़रूरत पड़ती है ?

(ख) इस समय जो हिस्से विदेशों से मंगाये जाते हैं उनके भारत में ही बनाये जाने में अभी कितना समय और लगेगा ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) पोत का पेटा (हल), ऊपरी ढांचा (सुपरस्ट्रक्चर), डैक तथा केबिन, जिनसे पोत का ६० प्रतिशत भाग बनता है, विशाखापटनम में ही बनाये जाते हैं। बिजली का सामान (इलैक्ट्रिकल फ़िटिंग्स), तांबे के पाइप, स्टीम फ़िटिंग्स, सब मुख्य तथा सहायक मशीनों सहित, जिन से शेष ४० प्रतिशत भाग बनता है, अधिकांश रूप से संयुक्त राजतंत्र से मंगाई जाती है।

(ख) इस विषय पर सरकार ध्यान दे रही है और आशा है कि धीरे धीरे ये चीज़ें भी भारत में बनाई जा सकेंगी। हां, यह एक दीर्घकालीन समस्या है, जिस पर देश के वित्तीय तथा टैक्निकल संसाधनों को ध्यान में रखते हुये, ध्यानपूर्वक विचार किया जाना है। इस अवस्था पर यह नहीं कहा जा सकता कि हम इस विषय में कब तक पूर्णतः आत्म-निर्भर हो जायेंगे।

श्री अल्तेकर : जो ४० प्रतिशत हिस्से बाहर से मंगाये जाते हैं उनका मूल्य क्या है और जो ६० प्रतिशत यहां बनाये जाते हैं उनका कितना है ?

श्री के० सी० रेड्डी : प्रत्येक पोत में संयुक्त राजतंत्र से आयात किया गया जो सामान लगता है उसका अनुमानित मूल्य कोई २०,५०,००० रुपये, भारत में खरीदे गये विदेशी सामान का लगभग १,५३,९४३ रुपये और देशी सामान का १४,८८,३८४ रुपये बैठता है।

श्री अल्तेकर : क्या लकड़ी जैसे कच्चे माल का भी आयात किया जाना है।

श्री के० सी० रेड्डी : हां, कुछ विशेष प्रकार की लकड़ी का आयात किया जाना है ?

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रत्येक वर्ष इस प्रयोजन के लिये कितने मूल्य की लकड़ी बाहर से मंगाई जाती है और क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि सरकार ने भारतीय लकड़ी का उपयोग करने के लिये कोई कार्यवाही की है या नहीं ?

श्री के० सी० रेड्डी : सरकार ने जहां तक सम्भव हो सकता है स्थानीय लकड़ी का उपयोग करने का प्रयत्न किया है। जैसा कि मैं ने एक और अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुये बतलाया, कुछ विशेष प्रकार की लकड़ी के बाहर से मंगाये जाने की आवश्यकता पड़ती है और उसे बाहर से मंगाना पड़ता है। मैं कुल आयातित लकड़ी की लागत के आंकड़े तो नहीं दे सकता, हां प्रत्येक पोत के सम्बन्ध में आंकड़े दे सकता हूं। ८,००० डी० डब्ल्यू० टी० वाले प्रत्येक पोत के लिये लकड़ी निम्न प्रकार से मंगाई जाती है :

औरिगन पाइन लकड़ी—कोई ६०,००० रुपये

बर्मा टीक लकड़ी—कोई ८०,००० रुपये की।

डा० जयसूर्य : मैं समझता हूं कि मैं ने "सहायक मशीन" शब्द सुने थे। क्या इंजन तथा बायलर भी इस देश में बनाये जाते हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस समय इंजनों तथा बायलरों का निर्माण नहीं किया जा रहा है ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या भारत में इंजन तैयार करने की कोई योजना है तथा यदि है, तो वे कब तैयार किये जायेंगे ?

श्री के० सी० रेड्डी : कम्पनी को फ्रांसीसी विशेषज्ञों से, जिन्हें हमने रखा है, हाल ही में रिपोर्ट मिली है । सरकार इस प्रश्न पर विचार रिपोर्ट की पूरी जांच किये जाने के बाद ही करेगी ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या इन जहाजों के इंजन किन्हीं विशेष सार्थों से मंगाये जाते हैं या साधारणतया यह बात कम्पनियों के ऊपर छोड़ दी जाती है कि वे जहां से चाहें वहां से खरीद लें ।

श्री के० सी० रेड्डी : निस्सन्देह यह समझा जाता है कि वे विशेष सार्थों से ही खरीदे जाते हैं, औरों से नहीं ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या संयुक्त राजतंत्र के कुछ विशेष विदेशी सार्थों के साथ कोई पक्का संविदा मौजूद है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मुझे खेद है कि यह जानकारी मैं इस समय नहीं दे सकता ।

श्री दामोदर मेनन : माननीय मंत्री ने कहा कि पोत निर्माण के लिये बर्मा टीक लकड़ी का आयात किया जा रहा है । क्या यहां की लकड़ी इस प्रयोजन के लिये उपयुक्त नहीं है ?

श्री के० सी० रेड्डी : यह तो स्पष्ट है ।

श्री पी० टी० चाको : सरकार किस आधार पर यह समझती है कि बर्मा से आने वाली टीक लकड़ी एक विशेष प्रकार की होती है जब कि सत्य यह है कि भारतीय, विशेष रूप से मालाबार की, टीक लकड़ी बर्मा की टीक लकड़ी से भी ज्यादा बढ़िया होती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : किस की राय मानी जाये ?

श्री पी० टी० चाको : अभी तो मैं यह समझने का आधार जानना चाहता हूं ।

गृह निर्माण बोर्ड तथा केन्द्रीय गृह निर्माण कोष

*११८२. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार निकट भविष्य में एक गृह निर्माण बोर्ड स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

(ख) क्या उसने केन्द्रीय गृह निर्माण कोष के लिये, वर्ष १९५३-५४ में, कोई धन रखा है ?

(ग) यदि रखा है, तो कितना ?

(घ) यदि नहीं रखा है, तो सरकार का इस विषय में कब कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) इस सवाल पर विचार किया जा चुका है । इस समय एक केन्द्रीय गृह निर्माण बोर्ड स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

(ख) से (घ) । इराका यह है कि यदि सरकार की वित्तीय दशा अनुमति दे तो गृह निर्माण के विषय में योजना आयोग के कार्यक्रम के अनसार ही कार्य किया जाये । कोई केन्द्रीय गृह निर्माण कोष तो नहीं बनाया गया है, परन्तु वर्तमान वित्तीय वर्ष में गृह निर्माण के मद पर ९ करोड़ ८४ लाख रुपये व्यय किये जाने की व्यवस्था की गई है ।

श्री के० सी० सोधिया : इस बोर्ड का रचना किसी अधिनियम के अन्तर्गत होगी या कार्यपालक प्राधिकार के अन्तर्गत ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं ने अभी कहा है कि इस समय केन्द्रीय गृह निर्माण बोर्ड स्थापित करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। अतः यह प्रश्न तो उठता ही नहीं कि इसकी रचना किसी केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत होगी या राज्य अधिनियम के अन्तर्गत ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : केन्द्रीय गृह निर्माण बोर्ड राष्ट्रीय भवन निर्माण संस्था से किस प्रकार भिन्न होगा ?

सरदार स्वर्ण सिंह : पहले विचार यह था कि केन्द्रीय गृह निर्माण बोर्ड के पास गृह निर्माण योजनाओं की क्रियान्विती का पूर्ण प्रभार हो, परन्तु अब यह समझा जाता है कि इसके मंत्रालय द्वारा प्रशासन की वर्तमान व्यवस्था अधिक अच्छी है और उस पर खर्चा भी कम आता है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या विभिन्न राज्यों में कोई प्रादेशिक बोर्ड भी बनाये गये हैं और क्या इन बोर्डों को वित्त देने के लिये कोई योजना तैयार की गई है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : गृह निर्माण बोर्ड कितने ही राज्यों में विद्यमान हैं। चार राज्यों के बारे में तो मैं जानता हूं कि वहां ये गृह निर्माण बोर्ड मौजूद हैं । जहां ये बोर्ड हैं वहां तो गृह निर्माण योजनाओं की क्रियान्विति का उत्तरदायित्व राज्य सरकारें साधारण-तया उन गृह निर्माण बोर्डों को दे ही देती हैं; परन्तु अन्य राज्यों में, जहां ये बोर्ड नहीं हैं, उन गृह निर्माण योजनाओं की क्रियान्विती राज्य सरकारें खुद करती हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सरकार जानती है कि एक असरकारी अखिल-भारतीय गृह निर्माण सोसाइटी बनाई गई है तथा यदि हां तो सरकार उस सोसायटी को किस प्रकार सहायता देगी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : सरकार को ज्ञात है कि एक ऐसी सोसायटी बनाई गई है और सोसायटी ने अभी कोई निश्चित योजना नहीं बनाई है । परन्तु सरकार अभी इस नतीजे पर नहीं पहुंची है कि वह उस केन्द्रीय संस्था को किस रूप में सहायता दे ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : यदि इस राशि का उपयोग चालू वर्ष के अन्त तक नहीं किया गया तो क्या यह व्ययगत हो जायेगी या इसका उपयोग अगले वर्ष में हो सकेगा ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जहां तक सम्भव हो सकेगा इसका उपयोग चालू वर्ष में ही किया जायगा । यदि चालू वर्ष में राशि का कुछ भाग व्यय किये जाने से बच जायेगा तो वह व्ययगत हो जायेगा ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि सैंट्रल हाउसिंग फण्ड को मुक़र्रर करने के लिये सरकार विचार करेगी ।

सरदार स्वर्ण सिंह : यह आवश्यक नहीं है ।

हीराकुड योजना के कार्य में प्रगति

*११८३. **श्री एल० जे० सिंह :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हीराकुड योजना के कार्य में प्रगति काफ़ी कम हुई है और उसके परिणाम आशा से बहुत कम अच्छे निकले हैं ;

(ख) यदि ऐसा है, तो उसके क्या कारण हैं ; तथा

(ग) हीराकुड योजना के कार्य में एकरूप प्रगति लाने के लिये सरकार द्वारा क्या क़दम उठाये गये या उठाये जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां । गत कार्य काल के अन्त में ही राकुड में जो प्रगति हुई थी उसे क़ायम रखा जा रहा है ?

(ख) तथा (ग) । प्रश्न नहीं उठते ।

आपकी अनुमति से मैं यह और बतला दूं कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि कार्य सन्तोषजनक ढंग से हो, यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक कार्य काल के बाद अगले कार्यकाल में किये जाने वाले कार्य का निश्चयन कर लिया जाये और उसका मासवार विभाजन कर दिया जाये । जिससे कि प्रत्येक मास यह पता लगाया जा सके कि कार्य सन्तोषजनक ढंग से चल रहा है या नहीं ।

श्री एल० जे० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि मुख्य बांध कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ?

श्री हाथी : १९५५-५६ तक ।

श्री एल० जे० सिंह : सम्बलपुर ज़िले में नहरों का बड़ा भाग कब तक बन जायेगा जिससे कि वहां पानी आ सके ।

श्री हाथी : मेरा ख्याल है कि १९५५-५६ में ।

श्री एल० जे० सिंह : क्या यह सच है कि जलागार क्षेत्र से हटने वाले लोगों को फिर से बसाने का कार्य तेज़ी के साथ आगे नहीं बढ़ रहा है ; तथा यदि हां तो क्यों ?

श्री हाथी : मैं इसकी जांच करूंगा ।

श्री सारंगधर दास : डा० सैवेज ने १९४८ में अपनी रिपोर्ट में मट्टी तथा कंकरीट के काम का जो लक्ष्य निर्धारित किया था, क्या वह अब तक क़ायम है ?

श्री हाथी : मेरा ख्याल है वह क़ायम रखा गया है । मुझे इस सम्बन्ध में ठीक ज्ञात नहीं है ।

श्री टी० एन० सिंह : माननीय मंत्री की बात से यह पता लगता है कि हीराकुड में कार्यक्रम के अनुसार प्रगति हो रही है । क्या यह कहना ठीक है ?

श्री हाथी : जी, हां । माननीय सदस्य ने क्या समझा है, यह तो मैं नहीं जानता । हां, मैं ने यह कहा है कि गत कार्यकाल में जो प्रगति हुई थी वह क़ायम रखी गई है ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या काम की मासिक प्रगति रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास आती है ?

श्री हाथी : जैसा कि मैं ने बतलाया, रिपोर्ट आती तो है, परन्तु उसमें तो केवल यह बतलाया जाता है कि कितने घन फ़ुट मिट्टी खोदी गई, आदि । अब इसकी जांच करने के लिये यह तय किया गया है कि इसके साथ चार्ट और होने चाहियें ।

श्री रघवय्या : क्या मंत्रालय को यह मालूम है कि इस बांध के निर्माण सम्बन्धी कार्य में हिसाब उचित रूप से नहीं रखा गया, बाहर से मंगाये गये सामान का दुरुपयोग हुआ तथा ऐसी ही अन्य अनियमितायें हुईं ।

उपाध्यक्ष महोदय : उसका विस्तार पूर्ण उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री रघवय्या : इसका उत्तर नहीं दिया गया है, श्रीमान् । मेरा प्रश्न विशेष रूप से इस बात से सम्बन्ध रखता है, इस बांध के निर्माण सम्बन्धी कार्य में सब प्रकार की अनुचित बाते हुई हैं, जैसे सामान का दुरुपयोग किया गया, हिसाब ठीक तरह से नहीं रखा गया, आदि .....

उपाध्यक्ष महोदय : यह समय वाद-विवाद करने का नहीं है । हीराकुड परियोजना सम्बन्धी रिपोर्ट पर चर्चा करते हुये

माननीय योजना मंत्री ने ब्यौरेवार बातें समझाई थीं । अब इस समय यह सम्भव नहीं है ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या कार्यक्रम यह था कि १९५३ तक सहायक बांध का निर्माण तो पूरा कर ही दिया जाये, परन्तु इसके साथ साथ मुख्य बांध का भी कम से कम ४० फ़ीट भाग तैयार कर दिया जाये ? क्या इतना काम पूरा हो गया है ?

श्री हाथी : यह तो १९४७ की बात है । बाद में उस कार्यक्रम में परिवर्तन हो गया था । मैं तो १९५१ के पुनरीक्षित कार्यक्रम की चर्चा कर रहा हूं ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या सहायक बांध तथा अधूरे पुल के निर्माण का कार्य सदैव के लिये छोड़ दिया गया है या निकट भविष्य में उसके पुनः चालू किये जाने की सम्भावना है ?

श्री हाथी : फ़िलहाल तो छोड़ ही दिया गया है ।

श्री सारंगधर दास : क्या मैं जान सकता हूं कि आजकल प्रति दिन कितनी कंकरेट डाली जा रही है ?

श्री हाथी : मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या जैसा कि लोक लेखा समिति की रिपोर्ट में निर्देश है, अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले कुप्रबन्ध को रोकने के लिये भी कोई योजना बनाई गई थी ?

श्री हाथी : क्या माननीय सदस्य प्रश्न को पुनः दोहराने की कृपा करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सरकार लोक लेखा समिति की रिपोर्ट में व्यक्त अनियमिताओं को न होने देने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री हाथी : अवश्य ; रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उचित कार्यवाही करने के लिये रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है । अगला प्रश्न ।

श्री वी० पी० नायर : यह अध्ययन कितने दिन तक होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

नारियल की जटा का उद्योग

*११८४. **श्री अच्युतन** : (क) क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि त्रावनकोर-कोचीन में नारियल की जटा के उद्योग में आई मंदी की स्थिति इस समय कैसी है ?

(ख) इस उद्योग में आये संकट को दूर करने के लिये सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

(ग) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने वर्ष १९५२-५३ में सरकारी प्रयोजनों के लिये कितनी राशि की नारियल की जटा की वस्तुयें खरीदीं ?

(घ) सन् १९५३ की पहली तिमाही में नारियल की जटा की बनी हुई वस्तुओं का स्टाक कितना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जून १९५२ से नारियल की जटा की वस्तुओं के निर्यात में धीरे धीरे वृद्धि हुई है ।

इससे स्थिति में सुधार के लक्षण प्रतीत होते हैं ।

(ख) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २१]

(ग) तथा (घ) । जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री अच्युतन : मुद्रा मूल्य में कमी के कारण निर्यात में कितनी कमी हुई ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : १९५१ में ११,५८,८४,००० रुपये के मूल्य का निर्यात हुआ और १९५२ में ७,३५,७१,००० रुपये के मूल्य का।

श्री अच्युतन : विवरण में यह बतलाया गया है कि जटा का आयात करने वाले देशों में स्थित हमारे व्यापार प्रतिनिधियों से इसका व्यापार बढ़ाने के लिये कहा गया है। तो उन्हें इस काम में कहा तक सफलता मिली है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वैसे तो ये व्यापार क़रार कुछ समय से चले आ रहे हैं। परन्तु यह पता नहीं लगाया जा सका है कि इनसे वास्तव में कितना लाभ हुआ है। गत जनवरी तथा फ़रवरी में स्थिति में थोड़ा सा सुधार हुआ है : जनवरी में तो ज़रूर हुआ है। परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि यह सुधार व्यापार क़रारों के कारण हुआ है या अन्यथा।

श्री अच्युतन : मंदी के कारण अनुमानतः कितने लोग बेकार हो गये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह तो एक ऐसी चीज़ है जिसका ठीक ठीक पता कभी नहीं लगाया जा सका है।

श्री अच्युतन : क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई स्थूल अनुमान भी नहीं है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : उस सम्बन्ध में मेरे पास कोई जानकारी नहीं रही है।

श्री पुन्नूस : इस समय कितने प्रतिशत कारखाने उत्पादन कर रहे हैं और कितने भारतीय कारखाने बन्द हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में हमने त्रावनकोर-कोचीन राज्य से रिपोर्ट मांगी है। अब रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

श्री पुन्नूस : क्या सरकार अपनी यह धारणा सुधारने को तैयार है कि त्रिवेन्द्रम में कोई सामुदायिक विकास योजना है। वस्तुतः वहां ऐसी कोई भी योजना नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो दूसरी बात है।

श्री पुन्नूस : क्या सरकार यह जानती है कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य में चालू की गई दो सामुदायिक योजनाओं के क्षेत्र संकटापन्न जटा उद्योग केन्द्रों से कम से कम १०० मील से भी अधिक दूरी पर हैं और वे बेकार मज़दूरों को सहायता नहीं दे सकते।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह सम्भव है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें ज्ञात नहीं है। अब हम हीराकुड सम्बन्धी अन्य प्रश्न लेते हैं।

श्री वी० पी० नायर : मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं, श्रीमान्। क्या सरकार ने त्रावनकोर-कोचीन राज्य में जटा उद्योग में आये संकट के फलस्वरूप भुखमरी तथा रोगापात में वृद्धि होने का विस्तारपूर्ण पर्यालोकन करने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस प्रकार की विस्तारपूर्ण जानकारी के लिये हम एक बड़ी सीमा तक राज्य सरकार पर निर्भर हैं। अब तक हमें राज्य सरकार द्वारा जो जानकारी दी गई है उससे उन बातों का पता नहीं चलता जो माननीय सदस्य जानना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री पुन्नूस : एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, श्रीमान्।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इतने प्रश्न पूछे जाने की अनुमति तो दे चुका हूं।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : यह एक महत्वपूर्ण विषय है।

श्री पुन्नूस : यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्ध रखता है। मुझे मौक़ा मिलना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आप 'आधे घंटे की चर्चा' की मांग कर सकते हैं। अभी तीन और प्रश्न निपटाये जाने हैं। अगला प्रश्न।

हीराकुड परियोजना के मुख्य इंजीनियर का वित्तीय नियंत्रण

*११८५. **पंडित लिंगराज मिश्र** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या हीराकुड बांध परियोजना में चालू लेखा प्रणाली तथा वित्तीय नियंत्रण में उपयुक्त रूपभेद कर दिया गया है ताकि मंत्रणा समिति द्वारा अपनी मार्च, १९५२ में की गई सिफ़ारिशों के अनुसार उसके मुख्य इंजीनियर को भी वैसे ही अधिकार दिये जा सकें जो भाकरा-नंगल परियोजना के मुख्य इंजीनियर को प्राप्त हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : मैं माननीय सदस्य का ध्यान सिंचाई तथा विद्युत मंत्री के उस वक्तव्य की ओर आकृष्ट करूंगा जो उन्होंने २७ मार्च, १९५३ को लोक लेखा समिति द्वारा अपने षष्ट प्रतिवेदन में की गई सिफ़ारिशों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा किये गये विनिश्चयों की घोषणा करते हुये दिया था। जैसा कि उन्होंने कहा था, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक हीराकुड बांध परियोजना की लेखा प्रणाली की क्रियान्विति का मौक़े पर निरीक्षण करने के लिये शीघ्र ही हीराकुड जावेंगे और उनके निरीक्षण के बाद दिया जाने वाला परामर्श सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जायेगा और उस पर अमल किया जायेगा।

पंडित लिंग राज मिश्र : क्या सरकार, इस बात को ध्यान में रखते हुये कि लोक लेखा समिति ने हीराकुड बांध परियोजना सम्बन्धी व्यय में अनियमिताओं के विषय में गम्भीर आरोप लगाये थे, मंत्रणा समिति द्वारा सुझायी गई वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को अधिक उदार बनायेगी।

श्री हाथी : जैसा कि मैं ने अभी कहा, यह बात नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक पर छोड़ दी गई है। इस सम्बन्ध में उनका परामर्श स्वीकार कर लिया जायेगा।

श्री टी० एन० सिंह : अभी अभी जो बात कही गई है, यदि वह पहले दिये गये उत्तर के साथ पढ़ी जाये तो कुछ भ्रामक सी लगेगी। मैं यह जानना चाहता हूं। लोक लेखा समिति की १६ सामान्य सिफ़ारिशें तो स्वीकार कर ली गई हैं; अतः महालेखापरीक्षक को तो अन्य विषयों की जांच करनी है।

श्री हाथी : यदि जो कुछ मैं ने कहा उससे कोई भ्रामक अर्थ निकलता है, तो उसके लिये मुझे खेद है। वे १६ सिफ़ारिशें तो स्वीकार कर ही ली गई हैं। उसमें तो तनिक भी सन्देह नहीं है।

सीप के बटनों का निर्माण

*११८७. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सीप के बटन बनाने वाले उद्योग देश के किन किन क्षेत्रों में विद्यमान हैं; तथा

(ख) इन बटनों की आवश्यकता स्थानीय उत्पादन से कहां तक पूरी होती है तथा इनके उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या कार्य-

वाहियां की गई हैं ताकि उद्योग सारी आवश्यकता पूरी कर सके ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) बिहार राज्य में, अधिकांश रूप से चम्पारन ज़िले में ।

(ख) सीप के बटनों की आवश्यकता तथा उत्पादन के विश्वसनीय आंकड़े प्राप्य नहीं हैं । उद्योग की देखभाल बिहार सरकार द्वारा की जाती है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सीप का उद्योग केवल बिहार में ही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास केवल बिहार के सम्बन्ध में ही जानकारी है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार जानती है कि साधारणतः सीप से अभिप्राय समुद्री सीप से होता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस समय बिहार में कितने सार्थ सीप का व्यापार कर रहे हैं ? उनकी उत्पादन क्षमता क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस उद्योग को इस वर्ष ३१ दिसम्बर तक कर सम्बन्धी संरक्षण प्राप्त रहेगा । १९५० में हुई जांच के समय बिहार के उद्योग निदेशक ने टटकर बोर्ड को यह सूचना दी थी कि बिहार में ५० कारखाने ऐसे हैं जो सीप से बटन बनाने का काम करते हैं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या यह सच है कि हम अब भी सीप के बटन बहुत अधिक मात्रा में जापान से मंगवा रहे हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ऐसा नहीं समझता ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या ये गृह उद्योग है या वहां कोई कारखाना भी हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं नहीं समझता कि इसके कोई कारखाने भी होंगे ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : माननीय मंत्री ने अभी कहा : "मैं नहीं कह सकता कि हम जापान से बटन मंगवाते हैं" । क्या यह सच है कि पहले हम जापान से बटन मंगवाया करते थे और अब यह आयात बन्द कर दिया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : *काफ़ी समय पहले । मैं समझता हूं कि गत युद्ध के प्रारम्भ से ही इसका आयात बन्द है ।

रेशमी कपड़ा और कच्चा रेशम

*११८८. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) इस देश में रेशमी कपड़े तथा कच्चे रेशम की आवश्यकता किस हद तक स्थानीय उत्पादन से पूरी होती है ;

(ख) शेष आवश्यकता किन किन देशों से आयात करके पूरी की जाती है ; तथा

(ग) देश में रेशम उत्पन्न करने वाले मुख्य मुख्य क्षेत्र कौन से हैं तथा केन्द्रीय सरकार ने देश को रेशम सम्बन्धी आवश्यकताओं के विषय में आत्मनिर्भर बनाने के लिये क्या क्या कार्यवाही की, जिसके अन्तर्गत ऋण देना तथा अर्थसाहाय्य भी सम्मिलित है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग) . सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २२]**

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न का घंटा समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पाकिस्तान को कोयले की प्रदाय

*११८६. **श्री अमजद अली** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत-पाकिस्तान व्यापार वार्ता के अन्तर्गत, जो १९ मार्च, १९५३ को समाप्त हुई, भारत को कितना कोयला रेल से पाकिस्तान भेजना है ?

(ख) पाकिस्तान को दिये जाने वाले कोयले के सम्बन्ध में भारत को अधिकार की कितनी राशि छोड़नी है ?

(ग) इस प्रकार भारत में उत्पन्न कितना प्रतिशत कोयला पाकिस्तान भेजा जायगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) कोई ७०,००० टन प्रति मास । हां, इसमें १०,००० टन प्रति मास की वृद्धि करने के प्रयत्न किये जायेंगे ।

(ख) अब जो क़ीमतें स्वीकृत की गई हैं उन्हें देखते हुये तथा जितनी मात्रा का निर्यात किया जायेगा उसे ध्यान में रखते हुये भारत की आय कोई ९ लाख रुपये प्रति मास कम हो जायेगी ।

(ग) कोई ३ प्रतिशत ।

मैसूर में विकास योजनायें

८९४. **श्री एन० राचय्या** : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मैसूर राज्य में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भिन्न भिन्न विकास मदों पर अब तक किया गया कुल व्यय ; तथा

(ख) अब तक हुई प्रगति ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). मैसूर सरकार से जानकारी प्राप्त की जाने की प्रतीक्षा है । आ जाने पर सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

विदेशी चलचित्र

८९५. **श्री नानादास** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९४७ से १९५२ तक की कालावधि में कितने विदेशी चलचित्र, तथा किन किन देशों के, भारत में प्रदर्शित किये गये, वर्षवार तथा देशवार ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केलकर): देश में प्रदर्शित विदेशी चलचित्रों का कोई अभिलेख नहीं रखा जाता । १५ जनवरी, १९५१ से, जब कि केन्द्रीय फ़िल्म सैन्सर बोर्ड स्थापित हुआ, सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये प्रमाणित विदेशी चलचित्रों की संख्या के विषय में जानकारी श्री बी० रथ द्वारा २४ नवम्बर, १९५२ को राज्य परिषद् में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३ के भाग (ख) के उत्तर में पहले ही सदन पटल पर रखी जा चुकी है । पहले दिये गये उत्तर की एक प्रतिलिपि पटल पर रखी जाती है । [देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २३]

नीलोखेरी को पौलीटैकिनक में विस्थापित व्यक्तियों को प्रशिक्षण

८९६. { **सरदार हुक्म सिंह**
श्री अजीत सिंह :

(क) क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नीलोखेरी के पौलीटैक्निक में, उसके प्रारम्भ से अब तक, कितने विस्थापितों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है ?

(ख) इस समय कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

(ग) इस योजना के अन्तर्गत किन किन व्यवसायों की शिक्षा दी जाती है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) २९२० ।

(ख) २३३ ।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यवसायों की शिक्षा दी जाती है:

ओवरसियर (इलैक्ट्रिकल तथा मैकेनिकल का काम)
फ़िटिंग (जनरल मैकेनिकल) का काम।
लोहार का काम।
नमूने बनाने का काम।
धातु की चादरें बनाने का काम।
ढलाई का काम।
बिजली का काम।
मशीनिस्ट और टर्नर का काम।
इन्टरनल कम्बशन एंजिन मैकेनिक का काम।
रेडियो मैकेनिक का काम।
मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन का काम।
छापेखाने का काम।
व्यवसायिक चित्रकारी का काम।
ट्रैक्टर मैकेनिक का काम।

पैट्रोलियम का आयात

८९७. **श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में प्रति वर्ष कितने पैट्रोलियम का आयात किया जाता है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन) : सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

पैट्रोलियम उत्पादों का भारत में आयात (मात्राएं दस लाख गैलनों में)

उत्पाद	१९४७-४८	१९४८-४९	१९४९-५०	१९५०-५१	१९५१-५२
वायुयानों का तैल	२१	१५·३	१९·७	२४·४	२६
मोटर का तैल	८७·६	१०७·१	१५७·६	१६९·६	२२९·४
मिट्टी का तैल	१७७·८	१०४·६	१९८·८	२२९·३	२५३·५
ईंधन का तेल	२६५	२४७	३३८·३	३३२·६	३६६·४
पटसन की कताई में काम आने वाला तैल	१५	८	१७·८	१३·७	१४·६

केन्द्रीय ऐनफोर्समेंट ब्रांच द्वारा जांच

८९८. **श्री जांगड़े** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) मध्य प्रदेश में आज तक काले बाज़ार के लिये अत्यावश्यक संभरण (अस्थायी शक्ति) अधिनियम के अधीन या अन्य विधियों के अधीन केन्द्रीय एनफ़ोर्समेंट ब्रांच या अन्य अभिकरणों के द्वारा कितने मामलों में जांच की गई, लोगों का चालान किया गया या उन पर मुक़दमे चलाये गये ; तथा

(ख) क्या मध्य प्रदेश में ऐसा कोई मामला हुआ है जिसके लिये केन्द्रीय सरकार को हस्तक्षेप करके जांच, चालान या अन्य कार्यवाही करनी पड़ी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २४**]

(ख) जी नहीं। हां, एक मामला ऐसा अवश्य हुआ था जिसमें एनफ़ोर्समेंट

विभाग के डायरेक्टर ने जांच करने में राज्य सरकार की सहायता की थी ।

मध्य प्रदेश में टसर के धागे और वस्त्र का उत्पादन

८९९. **श्री जांगड़े** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मध्य प्रदेश में कोसा उर्फ़ टसर के धागे और वस्त्र के उत्पादन के आंकड़े मध्य प्रदेश सरकार से जानने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कार्यवाही की है या करेगी ;

(ख) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिये कार्यवाही की है या करेगी कि कोसा उर्फ़ टसर के वस्त्र बनाने का उद्योग घरेलू उद्योग है या इस में कलों का भी प्रयोग किया जा सकता है ; तथा

(ग) प्रति वर्ष टसर वस्त्र का उत्पादन ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) मध्य प्रदेश में टसर रेशम तथा टसर कपड़े का अनुमानित उत्पादन क्रमशः १४०,००० पौंड तथा ८४०,००० गज़ प्रति वर्ष है ।

(ख) टसर रेशम का कपड़ा बनाने का उद्योग एक घरेलू उद्योग है और इस समय उसमें कलों के प्रयोग किये जाने की तब तक कोई गुंजाइश नहीं है जब तक कि सूत की किस्म, नाप, मात्रा में सुधार न हो ।

(ग) कोई पन्द्रह लाख गज़ ।

चमड़ा तथा खालें (आयात)

९००. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२ में कितना चमड़ा तथा खालें भारत में आयात हुईं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : १९५२ में १९,५८,०३९ खालों का भारत में आयात किया गया जिसका भार कोई ४,४०० टन था ।

औषधियों का आयात तथा निर्यात

९०१. **श्री लक्ष्मण सिंह चरक** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५०-५१ तथा वर्ष १९५१-५२ में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा संयुक्त राजतंत्र से भारत आने वाली औषधियों में से मुख्य कौन कौन सी हैं ?

(ख) इस कालावधि में इन देशों से आयातित औषधियों का मूल्य तथा परिमाण क्या था ?

(ग) इस कालावधि में कौन कौन सी मुख्य औषधियां भारत से बाहर भेजी गईं तथा उनका मूल्य तथा परिमाण क्या था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग). सदन पटल पर तीन विवरण रखे जाते हैं । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २५**]

संयुक्त राज्य अमरीका से सूती माल का आयात

९०२. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५०-५१ तथा वर्ष १९५१-५२ में संयुक्त राज्य अमेरिका से कुल कितने रुपये का सूती माल भारत आया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातित सूत की वस्तुओं का मूल्य—

वर्ष	मूल्य
	रु०
१९५०-५१	२४,७८,०५७
१९५१-५२	३४,२१,७३३

इन वस्तुओं में मुख्यतः सूती बटा हुआ धागा तथा सूत, सीने का धागा तथा कुछ प्रकार के रंगे तथा छपे हुये कपड़े, जैसे औरगंडी, मखमल और सूती मखमल आदि और कम्बल हैं।

भारत सेवक समाज

९०३. **श्री भीखा भाई**: क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) फ़रवरी १९५३ के अन्त तक भारत सेवक समाज के सदस्यों की कुल संख्या ; तथा

(ख) भारत सेवक समाज के सदस्यों में सरकारी कर्मचारियों की प्रतिशतता ।

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख) . भारत सेवक समाज एक असरकारी तथा स्वयंसेवी संगठन है जिसकी रचना तथा कार्यसंचालन के विषय में सरकार के पास कोई विस्तारपूर्ण जानकारी नहीं है। अब सरकार ने इस सम्बन्ध में जानकारी मांगी है कि समाज के सदस्यों में सरकारी कर्मचारियों की संख्या तथा प्रतिशतता क्या है। उक्त जानकारी प्राप्त हो जाने पर, सदन पटल पर रख दी जायेगी।

नमक

९०४. **श्री अमजद अली**: क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में साधारण नमक की प्रति व्यक्ति खपत ;

(ख) १९५०, १९५१ तथा १९५२ में साधारण नमक का कुल उत्पादन ;

(ग) देश नमक के विषय में कब तक आत्मनिर्भर हो जायेगा ;

(घ) १९५३ में साधारण नमक का अनुमानित उत्पादन ; तथा

(ङ) क्या यह नमक अखिल देश में उचित मूल्य पर बिक रहा है और क्या इसकी क़िस्म में सुधार करने का भी प्रयत्न किया गया है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) बम्बई तथा मद्रास (त्रावनकोर-कोचीन राज्य सहित) को छोड़ कर शेष समस्त राज्यों में प्रति व्यक्ति खपत का अनुमान कोई १४ पौंड प्रति वर्ष लगाया जाता है ; बम्बई तथा मद्रास में इसकी खपत का अनुमान क्रमशः १२.७ तथा २० पौंड लगाया जाता है।

(ख) १९५०, १९५१ तथा १९५२ में नमक का कुल उत्पादन इस भांति था :

	लाख मन
१९५०	७१३
१९५१	७४४
१९५२	७६८

(ग) देश नमक के विषय में सन् १९५१ से आत्मनिर्भर है।

(घ) १९५३ में नमक के उत्पादन का अनुमान कोई ८०० लाख मन लगाया जाता है।

(ङ) १९५२ में पूरे वर्ष क़ीमतें उचित स्तर पर क़ायम रहीं। नमक की क़िस्म सुधारने पर निरन्तर ध्यान दिया जा रहा है, और खाने के नमक के लिये सोडियम क्लोराइड तत्व का निर्धारित न्यूनतम स्तर वर्ष प्रति वर्ष शनैः शनैः बढ़ाया जा रहा है।

सड़क परिवहन विभाग, हैदराबाद के लिये सामान

९०५. **श्री विट्ठल राव** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री सड़क परिवहन विभाग, हैदराबाद के लिये सामान मंगवाये जाने के सम्बन्ध में ५ नवम्बर, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५१ के उत्तर

का निर्देश करने तथा यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सड़क परिवहन विभाग, हैदराबाद द्वारा भेजे गये कोई २० लाख रुपये के व्यादेश के अन्तर्गत तब से प्राप्त हुये सामान का मूल्य ;

(ख) क्या सरकार को इंडिया स्टोर डिपार्टमेंट, लन्दन के डायरेक्टर जनरल से कोई नियतकालिक रिपोर्ट प्राप्त हुई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उस रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखने का है ;

(घ) क्या निकट भविष्य में सब सामान के आ जाने की सम्भावना है ; तथा

(ङ) ये व्यादेश किन किन सार्थों को दिये गये हैं ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उप-मंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) सड़क परिवहन विभाग, हैदराबाद ने पुर्ज़ों आदि के लिये जो व्यादेश दिया था उसके अन्तर्गत नवम्बर १९५२ से कोई २ लाख रुपये के मूल्य का अतिरिक्त सामान लन्दन से जहाज़ द्वारा आ गया है । सड़क परिवहन विभाग, हैदराबाद को ठीक ठीक कितने मूल्य का माल प्राप्त हुआ है, इस सम्बन्ध में जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) तथा (ग). ३१ मार्च को समाप्त होने वाली कालावधि की रिपोर्ट रवाना तो कर दी गई है किन्तु अभी यहां प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) आशा है कि यदि ठेकेदारों को कच्चा माल आदि प्राप्त करने में कोई और कठिनाइयां न हुई तो १९५३ के अन्त तक सब सामान आ जायेगा ।

(ङ) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें ठेकेदारों के नाम दिये गये हैं । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २६**]

जिन पुर्ज़ों के मंगाने के लिये व्यादेश दिया गया है वे सब स्वत्वाधिकार प्राप्त वस्तुओं के अन्तर्गत आते हैं ।

भारतीय मान संस्था के अधीन समितियां

९०६. **डा० अमीन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारतीय मान संस्था के अधीन कार्य करने वाली समितियों तथा उप-समितियों के नाम तथा संख्या ;

(ख) इनमें से कितनी समितियों तथा उपसमितियों में इम्पीरियल कैमिकल इन्डस्ट्रीज़ (इंडिया) लिमिटेड के प्रतिनिधि हैं ; तथा

(ग) इन समितियों तथा उपसमितियों में इम्पीरियल कैमिकल इन्डस्ट्रीज़ (इंडिया) लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीयों की संख्या क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) इस समय भारतीय मान संस्था के अधीन ८३ समितियां तथा २८३ उपसमितियां (पैनल सहित) कार्य कर रही हैं । सदन पटल पर उनके नामों की सूची रखी जाती है । [**पुस्तकालय में रखी गई—देखिये संख्या एस—२१/५३**]

(ख) ८ समितियां तथा १४ उप-समितियां ।

(ग) एक ।

ताज प्रतिरूप (माडल) का निर्माण

९०७. **श्री पी० एन० राजभोज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २५ मार्च, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९८०

के एक अनुपूरक प्रश्न का निर्देश करने तथा यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आगरे में ताजमहल के प्रतिरूप (माडल) बनाने के उद्योग में कितने परिवार संलग्न हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय अयस्क का निर्यात

९०८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १९५१-५२ में १०.४१ करोड़ रुपये के मूल्य का ९,३५,०४२ टन अयस्क निर्यात किया गया और १९५२-५३ के प्रथम आठ मास में १७.१३ करोड़ रुपये के मूल्य का १४,३४,६३० टन अयस्क निर्यात किया गया और यदि ऐसा है, तो उस वर्ष के शेष चार मासों में कितना अयस्क निर्यात हुआ ; तथा

(ख) क्या यह तथ्य है कि भारत का दो तिहाई अयस्क संयुक्त राज्य अमरीका आयात करता है और इस वर्ष उस देश को निर्यात की मात्रा गत वर्ष से दुगनी हो गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) अयस्क के निर्यात के संगत आंकड़े इस भांति हैं :

वर्ष	मात्रा (००० टन)	मूल्य (लाख रुपयों में)
१९५१-५२	१५२८.६	१८१५
१९५२-५३		
(क) अप्रैल-नवम्बर।	१४३४.६	१७१३
(ख) दिसम्बर-फ़रवरी।	७८८.१	७८९
मार्च	आंकड़े इस समय प्राप्त नहीं है।	

(ख) जी नहीं ।

अंक ३

संख्या ६

सोमवार

६ अप्रैल, १९५३

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक कार्यवाही

विषय-सूची

पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ विधान मंडल (शक्ति का प्रत्यायोजन) विधेयक—पुरः स्थापित [पृष्ठ भाग २८७८]

अनुदानों की मांगें [पृष्ठ भाग २८७८—२९४७]

मांग संख्या २६—वित्त मंत्रालय [पृष्ठ भाग २८७९—२९४७]

मांग संख्या १७—सीमा शुल्क [पृष्ठ भाग २८७९—२९४७]

मांग संख्या २८—संघ उत्पाद शुल्क [पृष्ठ भाग २८७९—२९४७]

मांग संख्या २९—आय कर निगम कर सहित [पृष्ठ भाग २८७९—२९४७]

मांग संख्या ३०—अफीम [पृष्ठ भाग १८७९—२९४७]

मांग संख्या ३१—टिकट [पृष्ठ भाग २८७९—२९४७]

कृपया पलटिये

(मूल्य ६ आने)

277 P.S.D.

मांग संख्या ३२--खजानों के प्रबन्ध और अभि-कर्तृत्व विषयों के प्रशासन के लिए अन्य सरकारों तथा विभागों इत्यादि को भुगतान	[पृष्ठ भाग २८७९--२९४७]
मांग संख्या ३३--लेखा परिक्षा	[पृष्ठ भाग २८७९--२९४७]
मांग संख्या ३४--मुद्रा	[पृष्ठ भाग २८७९--२९४७]
मांग संख्या ३५--टकसाल	[पृष्ठ भाग २८७९--२९४७]
मांग संख्या ३६--प्रादेशिक तथा राजनैतिक पैन्शनें	[पृष्ठ भाग २८७९--२९४७]
मांग संख्या ३७--वृद्धावकाश भत्ता तथा पैन्शनें	[पृष्ट भाग २८७९--२९४७]
मांग संख्या ३९--राज्यों को सहायतार्थ अनुदान	[पृष्ठ भाग २८७९--२९४७]
मांग संख्या ४०--संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	[पृष्ठ भाग २८८०--२९४७]
मांग संख्या ४१--असाधारण भुगतान	[पृष्ठ भाग २८८०--२९४७]
मांग संख्या ४२--विभाजन पूर्व के भुगतान	[पृष्ठ भाग २८८०--२९४७]
मांग संख्या ११६--भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी विनियोग	[पृष्ठ भाग २८८०--२९४७]
मांग संख्या ११७--मुद्रा पर पूंजी विनिवोग	[पृष्ठ भाग २८८०--२९४७]
मांग संख्या ११८--टकसालों पर पूंजी विनियोग	[पृष्ठ भाग २८८०--२९४७]
मांग संख्या ११९--पैन्शनों का लघुकृत मूल्य	[पृष्ठ भाग २८८०--२९४७]
मांग संख्या १२०--छांटे गये कर्मचारियों को भुगतान	[पृष्ठ भाग २८८०--२९४७]
मांग संख्या १२१--वित्त मंत्रालय के अन्य पूंजी विनियोग	[पृष्ठ भाग २८८०--२९४७]
मांग संख्या १२२--केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली पेशगियां तथा ऋण	[पृष्ठ भाग २८८०--२९४७]
माग संख्या ३८--वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	[पृष्ठ भाग २८८०--२९४७]

संसदीय वाद विवाद

(भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

सोमवार ६ अप्रैल १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे].

प्रश्न तथा उत्तर

(देखिये भाग १)

३ प० म०

पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ विधान-मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मैं पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ के विधान-मंडल की विधियां बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को सौंपने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि प्रत्यायोजन संबंधी विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा० काटजू : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अनुदानों की मांगें

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा वित्त मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेगी।

मांग सं० २६—वित्त मंत्रालय १,३२, ३३,००० रुपये।

मांग सं० २७—सीमा-शुल्क ३,०९, ३७,००० रुपये।

मांग सं० २८—संघ उत्पादन-शुल्क ४,९८,९१,००० रुपये।

मांग सं० २९—निगम कर सहित निगम कर ३,१२,४३,००० रुपये।

मांग सं० ३०—अफीम ३७,३४,००० रुपये की धन राशि।

मांग सं० ३१—मुद्रांक १,०९,५४,००० रुपये।

मांग सं० ३२—खजानों के प्रबन्ध और अभिकर्तत्व विषयों के प्रशासन के लिए अन्य सरकारों तथा विभागों इत्यादि को देनगी। १०,१७,००० रुपये।

मांग सं० ३३—लेखा परीक्षा ६,४८,९४,००० रुपये।

मांग सं० ३४—मुद्रा १,५०,६५,००० रुपये।

मांग सं० ३५—टकसाल ८८,२०,००० रुपये।

मांग सं० ३६—प्रादेशिक तथा राजनैतिक पैन्शनें। २०,९२,००० रुपये।

मांग सं० ३७—वृद्धावकाश भत्ता तथा पैन्शन २,७६,१९,००० रुपये।

मांग सं० ३९—राज्यों को सहायतार्थ अनदान १०,७२,४२,००० रुपये।

[उपाध्यक्ष महोदय]

मांग सं० ४०—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच प्रकीर्ण समायोजन १,६१,००० रुपये।

मांग सं० ४१—असाधारण देनगियां २१ ०१,१०,००० रुपये।

मांग सं० ४२—विभाजन-पूर्व की देनगियां १,७८,१६,००० रुपये।

मांग सं० ११६—भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी विनियोग ७,२०,००० रुपये।

मांग सं० ११७—मुद्रा पर पूंजी विनियोग २,२१,००० रुपये।

मांग सं० ११८—टक्सालों पर पूंजी विनियोग ४६,१७,००० रुपये।

मांग सं० ११९—पैन्शनों का लघुकृत मूल्य ९५,१५,००० रुपये।

मांग सं० १२०—छंटाई किए गए कर्मचारियों को देनगियां १,६८,००० रुपये।

मांग सं० १२१—वित्त मंत्रालय के अन्य पूंजी विनियोग ६,५१,७५,००० रुपये।

मांग सं० १२२—केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली पेशगियां तथा ऋण २४,४९,६०,००० रुपये।

इन मांगों के अतिरिक्त वित्त मंत्रालय अधीनप्रकीर्ण विभागों और व्यय सम्बन्धी मांग सं० ३८ जो २७ मार्च १९५३ को प्रस्तावित की गई थी, पर चंचा, की जाएगी।

दलों के नेता तथा स्वतन्त्र सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव १५ मिन्ट के बीच सचिव को दे सकते हैं। सदस्यों को सम्बन्धित दल की ओर से कटौती प्रस्ताव देने चाहियें। जो प्रस्ताव ठीक होंगे और उन्हें प्रस्तुत करने वाले सदस्य उपस्थित होंगे तो उन्हें पुरःस्थापित किया जाएगा।

मांग—वित्त मंत्रालय

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन व मावेलिक्करा) : कटौती एक सौ रुपया। विषय—ट्रावनकोर कोचीन को खाद्य सहायता जारी रखने की आवश्यकता।

मांग—वित्त मंत्रालय

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : कटौती—१०० रुपया। विषय—अनुसूचित जातियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अतिरिक्त सहायता।

मांग—वित्त मंत्रालय

श्री लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम) : कटौती—१०० रुपया। विषय—पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित बैंकों की समस्याएं।

मांग—वित्त मंत्रालय

श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर) : कटौती—१०० रुपया। विषय—प्रशासन में मित व्यय।

मांग—वित्त मंत्रालय

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला भटिंडा) : कटौती – १०० रुपया। विषय—भारतीय नागरिकों द्वारा धारित पाकिस्तानी अंश भागों और प्रतिभूतियों का विनिमय।

मांग—वित्त मंत्रालय

श्री आर० एन० एस० देव (कालाधंदी—बोलनगिर) : कटौती—१०० रुपया। विषय—तम्बाकू की खड़ी फसलों पर उत्पादन शुल्क।

मांग—वित्त मंत्रालय

श्री नानादास (ओंगोल-रक्षित—अनुसूचित जातिया) : कटौती—१०० रुपया। विषय—सम्पूर्ण रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा के संधारण के लिए सुयोजित व्यय।

मांग—वित्त मंत्रालय

श्री नानादास : कटौती—१०० रुपया। विषय—कर पूछ ताछ समिति में दो विदेशी

वित्त विशेषज्ञों आमंत्रित करने की अनावश्यकता ।

मांग—वित्त मंत्रालय

श्री नानादास : कटौती—१०० रुपया। विषय—सरकार की अधिक कर प्रणाली के कारण भूमि काश्त करने वाले और औद्योगिक श्रमिक की न्यून क्रय शक्ति ।

मांग—वित्त मंत्रालय

श्री विट्ठल राव (खम्भम) : कटौती —१०० रुपया । विषय—१ अप्रैल १९५१ की अपेक्षा १ अक्तूबर १९५२ से सरकारी कर्मचारियों के मकान के किराये के भत्तों और प्रतिकरात्मक भत्ते की संगणना के लिये जन संख्या अनुसार नगरों का श्रेणी विभाजन ।

मांग—वित्त मंत्रालय

श्री विट्ठल राव : कटौती—१०० रुपया । विषय—हाली सिक्का मुद्रा के समाप्त करने पर हैद्राबाद सरकार की टक्साल और सुरक्षा मुद्रणालय के कर्मचारियों को विकल्पित उपयुक्त नौकरियां देने में सरकार की असफलता ।

मांग—सीमा शुल्क

श्री नानादास : कटौती—१०० रुपया। विषय—उपभोग पर कर घटाने की आवश्यकता ।

मांग—संघ के उत्पादन कर

श्री पी० सुब्बा राव (नौरंगपुर) : कटौती—१०० रुपया । विषय—उड़ीसा के कोरपट ज़िला में उत्पन्न किए गए तथा तैयार किये गये तम्बाकू पर उत्पादन कर की समाप्ति ।

मांग—संघ के उत्पादन कर

श्री वी० पी० नायर : कटौती—१०० रुपया । विषय—एकीकरण तथा राज्यों को वितरण का ढंग ।

मांग—संघ उत्पादन शुल्क

श्री आर० एन० एस० देव : कटौती—१०० रुपया । विषय—खड़ी फसलों पर उत्पादन कर लगाने से पिछड़ी हुई जातियों और छोटे उत्पादकों को कठिनाइयां ।

मांग—निगम कर सहित आय पर कर

श्री कमल कुमार बसु : कटौती—१०० रुपया । विषय—आय-कर विभाग का कार्य और विशेषतया अंग्रेज़ी समवायों का कर से बच निकलना ।

मांग—निगम कर सहित आय पर कर

श्री नानादास : कटौती—१०० रुपया । विषय—प्रबंधक अभिकर्ताओं को समवाय के आधार पर नहीं वरन निजी तौर पर भत्ते देने की आवश्यकता ।

मांग—लेखा परीक्षण

श्री कमल कुमार बसु : कटौती—१०० रुपया । विषय—सरकारी समवायों तथा औद्योगिक उपक्रमों के विशेषतया लागत लेखा के अधिक अच्छे लेखा परीक्षण के लिए प्रबंध ।

मांग—मुद्रा

श्री वी० पी० नायर : कटौती—१०० रुपया । विषय—विदेशी पूंजी तथा लाभ का देश में प्रवेश तथा बाहर जाने को रोकने में असफलता ।

मांग—राजनैतिक और प्रादेशिक पैन्शनें

श्री कमल कुमार बसु : कटौती—१०० रुपया । विषय—पूर्व के भारतीय राज्यों के शासकों की पैन्शनों पर कर लगाना ।

मांग—राजनैतिक और प्रादेशिक पैन्शनें

श्री वी० पी० नायर : कटौती—१०० रुपया । विषय—राजनैतिक पीड़ितों को पैन्शन देने में असफलता ।

मांग—वृद्धावकाश भत्ते तथा पैन्शनें

श्री नानादास : कटौती—१०० रुपया। विषय—इंगलैंड में वृद्धावकाश भत्तों और पैन्शनों का देना तुरन्त बन्द करने की आवश्यकता।

मांग—वित्त मंत्रालय के अधीन प्रकीर्ण विभाग तथा व्यय

श्री बसु : कटौती—१०० रुपया। विषय—सामुदायिक विकास परियोजनाएं और अमरीकन प्रतिनिधियों का उन में अधिकार।

मांग—वित्त मंत्रालय के अधीन प्रकीर्ण विभाग तथा व्यय

श्रीमती रेण चक्रवर्ती (बसीरहाट) : कटौती—१०० रुपया। विषय—देश में विदेशी पूंजी की मात्रा के सम्बन्ध में विशेष पूछ ताछ आयोग नियुक्त करने की आवश्यकता।

मांग—राज्यों को सहायता अनुदान

श्री पी० सुब्बा राव : कटौती—४,८७,००,००० रुपये। विषय—मित व्यय—हिमाचल प्रदेश, विंध्या प्रदेश, अजमेर और भूपाल को क्रमानुसार पंजाब, मध्य भारत, राजस्थान और मध्य भारत में संविलीन करना।

मांग—राज्यों को सहायता अनुदान

श्री चौधरी (धाटाल) : कटौती—१०० रु०। विषय—अनुदानों का अनुचित वितरण।

मांग—असाधारण भुगतान

श्री नम्बियार (मयूरम) : कटौती—१०० रु०। विषय—मद्रास राज्य के रामनद कोयम्बटूर दक्षिण तथा उत्तरी अर्काट, मलाबार और तंजौर के जिलों में गंभीर दुर्भिक्ष अवस्था और केन्द्र द्वारा सहायता अनुदान की आवश्यकता।

मांग—असाधारण भुगतान

श्री बसु : कटौती—१०० रु०। विषय—औद्योगिक गृह व्यवस्था योजनाओं की वित्तीय सहायता।

मांग—असाधारण भुगतान

श्री बसु : कटौती—१०० रु०। विषय—भूमिहीन कार्यकर्ताओं के लिये अपर्याप्त उपबन्ध।

मांग—असाधारण भुगतान

श्री बसु : कटौती १०० रु०। विषय—दल के प्रयोजनार्थ युवक शिविर और श्रमिक सेवाओं का उपयोग।

मांग—असाधारण भुगतान

श्री नानादास : कटौती—१०० रु०। विषय—पिछड़ी हुई जातियों के कल्याण के लिये अपर्याप्त निधि का उपबन्ध।

मांग—असाधारण भुगतान

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : कटौती—१०० रु०। विषय—औद्योगिक गृहव्यवस्था योजना के लिये न्यून उपबन्ध।

मांग—विभाजन पूर्व के भुगतान

डा० लंका सुन्दरम् : कटौती—१०० रु०। विषय—पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित बैंकों से संबंधित निधियों की वसूली की समस्या।

मांग—टकसालों पर पूंजी-विनियोग

श्री बसु : कटौती—१०० रु०। विषय—अलीपुर टकसाल की रचना सम्बन्धी त्रुटि और श्रमिकों के लिये निवास स्थान तथा अन्य सुविधाओं की अपर्याप्ति।

मांग—सेवा निवृत्ति वेतन का घटाया हुआ मूल्य

श्री बसु : कटौती—१०० रु०। विषय—सेवा निवृत्ति के घटाये हुए मूल्य के अतिरिक्त भगतान की नीति विशेषतः इंगलैंड में।

छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान

श्री बसु: कटौती—१०० रु० । विषय—छंटनी किये गए व्यक्ति और विशेषतः मंत्रालय कर्मचारीवृन्द तथा श्रमिकवर्ग के निवृत्तिवेतन का अपर्याप्त अनुबन्ध ।

वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी विनिमय

श्री बसु : कटौती प्रस्ताव १०० रु० । विषय—सामुदायिक योजनाओं को अनुदान और कोलम्बो योजना तथा अन्तर्निहित नीति ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण तथा अग्रिम राशि

श्री आर० एन० एस० देव : कटौती प्रस्ताव १०० रु० । विषय—कृषि संबंधी योजनाओं के लिये दिये गये अग्रिम ऋण में अन्तर्निहित नीति ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण

श्री आर० एन० एस० देव : कटौती प्रस्ताव १०० रु० । विषय—राज्यों को ऋण स्वीकृत करने के पूर्व एकीकरण और सहयोगी विकास योजना की आवश्यकता ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण

श्री बसु : कटौती प्रस्ताव १०० रु० । विषय—कृषकों तथा अन्य राष्ट्रनिर्माणकारी कार्य के लिये अपर्याप्त अग्रिम धन ।

श्री दामोदर मेनन (कोजिकोडे) : मेरा कटौती प्रस्ताव प्रशासन की मितव्ययिता से संबंधित है । बहुधा इस विषय पर सदन में बहस की जा चुकी है किन्तु वित्त मंत्री का कथन है कि वह इन आलोचनाओं से ऊबने वाले नहीं हैं और हमारी ओर से कहा जा सकता है कि हम आलोचना करने से थके नहीं हैं ।

गत मई के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा था कि उनका मंत्रालय प्रशासन में बचत करने के लिये अनवरत प्रयत्न कर रहा है और विभिन्न मंत्रालयों में बचत करने के उपाय प्रस्तावित कर रहा है । प्रशासन का असैनिक व्यय २३९ करोड़ रु० है इस राशि में १०० करोड़ रु० की कमी की जा सकती थी किन्तु मंत्री महोदय का मत है कि केवल ४० करोड़ रु० ही कम किया जा सकता है । तदनन्तर वित्त मंत्री ने कहा कि ४० करोड़ की इस राशि में वस्तुतः पांच प्रतिशत व्यय कम करने योग्य है । मेरा विचार है कि मंत्री जी रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपना रहे हैं । राजाओं की निजी थैलियों और उच्च अधिकारियों के वेतन में कमी आदि अन्य उल्लेखनीय कार्यवाही उन्होंने नहीं की है ।

इस सम्बन्ध में मद्रास के वित्त मंत्री का कार्य महत्वपूर्ण है । उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा था कि वह मद्रास सरकार के अधिकारियों के वेतन में दस प्रतिशत कमी करने पर विचार कर रहे हैं । उन्होंने केन्द्रीय सरकार के समक्ष इस आशय की सिफारिश भेजते हुए कहा है कि यह कमी इन पदाधिकारियों पर भी लागू की जाय । मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने उस विषय में क्या विचार निर्धारित किये हैं । वित्त मंत्री ने यह नहीं बताया कि उक्त सिफारिश स्वीकृत कर लेने पर कितनी निधि बचाई जा सकती है और कौन मंत्रालय उस से प्रभावित होंगे । मुझे आशा है कि वह इन तथ्य को सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।

गत वर्ष वित्त मंत्री ने इस आरोप पर आश्चर्य व्यक्त किया था कि उन के मंत्रालय में खर्च पर कोई नियंत्रण नहीं है । हम यह नहीं कहते किन्तु हमारी शिकायत है कि यह नियंत्रण उपयुक्त अथवा प्रभावमय नहीं है । लोक लेखा समिति की सिफारिशों ने इस मत की पुष्टि कर दी है । मैं उसका एक वाक्य उद्धरित करूंगा :

[श्री दामोदर मेनन]

"हीराकुड में वित्तीय नियंत्रण की समुचित व्यवस्था विलम्ब से करने पर वित्त मंत्रालय को अपना उत्तरदायित्व मानना ही पड़ेगा।"

अतः उक्त मत कुछ सदस्यों तक ही सीमित नहीं है यह लोक लेखा समिति की भी राय है। जिसका सभापतित्व कांग्रेस दल के एक सदस्य ने किया है। महालेखा परीक्षक ने भी कहा है कि सरकार को लेखा पद्धति में सुधार की गुंजायश है।

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

वित्त मंत्रालय के तीसवें पृष्ठ पर लिखा है :

"नियंत्रक और महालेखा परीक्षक विगत कुछ समय से यह अनुभव करते हैं कि केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रस्तुत लेखा पद्धति में परिवर्तन और सुधार की आवश्यकता है।"

मैंने जिस दूसरे कटौती प्रस्ताव की सूचना दी है वह बैंकों और बीमा कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण से सम्बन्धित है। इस विषय में सरकार और वित्त मंत्री के मत हम से भिन्न हैं। प्रायः कहा जाता है कि यह सुझाव बामपक्ष से प्रेरित है और वित्तमंत्री दक्षिण पंथी है अतः इस सुझाव की ओर सन्देहमय दृष्टि से देखते हैं। सरकार तथा शासक-दल के नेता सामान्यतया हम से सहमत हैं किन्तु सुझावों को कार्यान्वित करते समय कठिनाई अनुभव करते हैं। हम लोकहितकारी राज्य की योजना का निर्माण कर रहे हैं अतः हमें 'मार्ग के नियम' पर चलना चाहिये हमारा मार्ग बायीं ओर ही है।

वित्त मंत्रालय के वृत्तान्त में रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम के संशोधन संबंधी विधेयक का उल्लेख किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य ग्राम प्रत्यय को सम्भव बनाना एवं घरेलू उद्योगों को वित्तीय सहायता देना है। यह इस तथ्य का द्योतक है कि इस दिशा में सरकारी नियंत्रण की आवश्यकता है। यदि यह सही है तो इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर समस्त बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर देते ? बीमे के विषय में भी इस वृतान्त में कहा गया है कि सन् १९५२-५३ में और तीन बीमा समवाय नियंत्रण में ली गई हैं। इस तरह कुल संख्या आठ हो गई है। योजनाओं के लिये हमें अधिक रुपयों की आवश्यकता है और यह निधि हमें बीमा समवायों से प्राप्त हो सकती है। मकान-निर्माण के लिये भी इन से निधि उपलब्ध हो सकती है।

अब मैं दूसरे विषय की ओर निर्देश करूंगा। मंत्रालय के वृत्तान्त में बतलाया गया है कि भारत में व्यापार प्रारम्भ करने के लिये विदेशी कम्पनियों द्वारा लगभग ७५ प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए थे। सरकार ने इन में से ६३ प्रार्थियों को व्यापार प्रारम्भ करने की अनुमति दे दी है। ये विदेशी कम्पनियां इस देश में लगभग साढ़े पांच करोड़ रुपये की पूंजी लगायेंगी। माननीय वित्त मंत्री ने अपने उत्तर में कहा कि इन कम्पनियों द्वारा यहां व्यापार प्रारम्भ करने में कोई हानि नहीं है। किन्तु जिन क्षत्रों में इन विदेशी कम्पनियों को व्यापार के प्रवेश की अनुमति दी गई है वहां हम सामान्यतया भारतीयों को ही अनुमति देने की आशा करते हैं। उदाहरण के लिये हम केडबरी की मिठाइयां और स्याही का उत्पादन कर सकते थे फिर इन विदेशी उद्योगों द्वारा यहां पूंजी लगाने की आवश्यकता शेष नहीं रहती है। मैं यह नहीं कहता कि विदेशी पूंजी आवश्यक नहीं है किन्तु हमारे उद्योगों की उन्नति की रुकावट की कीमत पर उन्हें अनुमति नहीं दी जानी

चाहिये । अन्यथा वर्तमान नीति हमें आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र स्तर निर्माण करने में सहायक सिद्ध नहीं होगी ।

अब भारतीयों द्वारा अधिकृत पाकिस्तान प्रतिभूतियां तथा अंश और पाकिस्तानियों द्वारा अधिकृत भारतीय प्रतिभूतियां तथा अंश के विनिमय के प्रश्न की ओर निर्देश करूंगा । इस कार्य के लिये सरकार ने १७ सितम्बर १९४९ की तिथि निश्चित की है; इन तिथि तक तथा इसके पूर्व दिवस पर अधिकृत की गई प्रतिभूतियां ही परावर्तित तथा विनिमन साध्य हैं । किन्तु इस तिथि के पश्चात विनिमय करने की अनुमति देने में क्या हानि है ? सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि उक्त परावर्तन अथवा विनिमय राजकीय विनिमय-दर पर नहीं किन्तु समानता के आधार पर होना चाहिये । मैं वित्त मंत्री जी से इसका कारण पूछना चाहता हूं कि उनके विचार में राजकीय विनिमय-दर भारतीयों के लिये हितकर क्यों नहीं है । मैं यह जानने के लिये भी इच्छुक हूं कि उक्त तिथि के पश्चात परावर्तित की गई प्रतिभूतियों के विनिमय की अनुमति क्यों नहीं दी जाती है ।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक अन्य तथ्य की ओर आमंत्रित करना चाहता हूं । यह कहा गया है कि सरकार कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि करने पर विचार कर रही है । अधिक उम्र के अनुभव से लाभ उठाना उचित है इससे इन्कार नहीं किया जा सकता । किन्तु स्वयं वित्त मंत्री ने कहा है कि मध्यम श्रेणी और विशेषतया कालेज की शिक्षा प्राप्त नवयुवकों में बेकारी बढ़ती जा रही है । क्या सरकार ने इस पर विचार किया है कि सेवा निवृत्ति की आयु में वृद्धि करने का क्या परिणाम होगा । वर्तमान अवस्था में जब कि हमारी विकास योजनाएं इस स्तर पर नहीं पहुंच पाई हैं कि देश के समस्त नवयुवकों को काम दिया जा सके उक्त आयु सीमा में वृद्धि करना अनुचित है ।

अब मैं थोड़ी बचत की योजनाओं पर आता हूं । मंत्रालय के वृत्तान्त में बतलाया गया है कि अ-राजकीय संस्थाओं और संगठनों को इस योजना के अन्तर्गत अधिक रुपया बचा कर सरकार की मदद करने के लिये कहा गया है । राज्य की सरकारों को भी उत्साह एवं प्रलोभन दिये गये हैं कि जितनी अतिरिक्त निधि वे एकत्रित करेंगी वह उन्हें विकास योजनाओं की सहायतार्थ दे दिया जायगा । माननीय वित्त मंत्री से मेरा सुझाव है कि यह उत्साह तथा प्रलोभन सामाजिक सेवा संघठनों को भी दिया जाना चाहिये । उन्हें इस तरह का आश्वासन देने की आवश्यकता है कि जितनी निधि वे एकत्रित करेंगे वह उन की सामाजिक सेवा योजनाओं के प्रसारार्थ व्यय कर दिया जायेगा ।

श्री बी० बी० गांधी (बम्बई नगर—उत्तर) : गत वर्ष वित्त मंत्रालय द्वारा अनुदान की मांगों पर बोलते हुए मैं ने मुद्रास्फीति के क्षेत्र में भारत की स्थिति का वर्णन किया था । हम ने इस पर भी विचार किया था कि भारत को मुद्रास्फीति रोकने में कहां तक सफलता मिली है । हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि अमेरिका और ब्रिटेन सरीखे व्यवस्थित आर्थिक व्यवस्था वाले देशों की तुलना में भारत की स्थिति काफी संतुलित थी । किन्तु आज मुद्रास्फीति का भय पुनः दृष्टिगत हो रहा है और बजट में घाटे का लक्षण उसका प्रमाण है । यद्यपि हमें इस विषय में सावधान रहने की आवश्यकता है किन्तु साथ ही यह प्रश्न भी है कि घाटे का बजट क्या वस्तुतः मुद्रास्फीति का परिचायक है । क्या ऐसी कोई पद्धति नहीं है कि घाटे का बजट होते हुए भी हम मुद्रास्फीतिकरण से सुरक्षित रह सकें । सर्व प्रथम काम हम

[श्री वी० बी० गांधी]

यह कर सकते हैं कि हम मूल्य स्तर का निरीक्षण करते हुए उसमें स्थायित्व लाने का प्रयत्न करें । इस के लिये हमें नियंत्रण मान्य होने चाहिये और सरकार को मूल्य रेखा निर्धारित करने में सहायता देना चाहिये। हमारे लिये यह अध्ययन भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है कि घाटेकी उत्पत्ति सरकार की शासन संचालन योग्यता की अक्षमता तो नहीं है या यह सरकार की उच्चस्तरीय पूंजी लगाने का परिणाम है। हमें यह निर्धारण करना है कि घाटा से कहीं नवीन राष्ट्रीय परिसम्पत् की सृष्टि तो नहीं कर रहा है अर्थात वह राष्ट्रीय आय के वृद्धिगत स्तर से संबंधित है । तीसरे, हमें इस विषय में स्पष्ट होना चाहिये कि इस घाटे से आश्चर्यान्वित होने के लिये हम उत्तरदायी हैं अथवा नहीं ।

मेरे विचार कतिपय प्रमुख लक्षणों तक ही सीमित रहेंगे । पहला लक्षण इस देश की जनसंख्या है । यह सर्वविदित है कि भारत की जनसंख्या निरन्तर वृद्धि की ओर ही उन्मुख होती रही है । यह भी स्पष्ट है कि जनसंख्या की प्रत्येक बढ़ती हुई पीढ़ी अधिक पूंजी की मांग करती है। इसके बाद बेकारी का प्रश्न है । तीसरा प्रश्न देश में धन की पूर्ति से संबंधित है । धन की पूर्ति प्रायः दो भागों से जुड़ी हुई है : धन और उस के प्रसार की गति। इस गति में मुद्रास्फीति की ओर अग्रसर करने की प्रवृत्तियां निहित हैं ।

इन तथ्यों पर विचार करते हुए कि जनसंख्या की वृद्धि से सम्बन्धित होने के परिणामस्वरूप धन की अधिक अनुपातिक मांग है; समस्त व्यक्तियों को नौकरी देने की स्थिति की अनुपस्थिति और धन पूर्ति की मन्द गति से हम लाभ की स्थिति में हैं अतः हमारे देशवासियों के लिये यह उचित है कि वे कमी वाले बजट को समझ एवं स्थिर चित्त दृष्टि से स्वीकृत करें और उस राष्ट्र के समुचित कार्य करें जिस ने व्यवस्थित आर्थिक व्यवस्था के आधार पर प्रगति करने का बीड़ा उठाया है ।

मुझे यह भी कहना है कि वस्तुतः समूची मुद्रास्फीति बुरी नहीं है। सौम्य गति में मुद्रास्फीति क्रिया संचित पूंजी की शक्ति का ह्रास करने में सहायक होती है । संक्षेप में यह सम्पदा शुल्क का कार्य करती है ।

मुद्रास्फीति से प्रायः निर्धन संकटाग्रस्त होते हैं और मुनाफा कमाने वाले उस के लिये दुआ करते हैं । किन्तु हम, सदन के सदस्यगण तथा हमारी सरकार दृढ़संकल्प हैं कि निर्धन की रक्षा की जायगी और मुनाफा कमाने वालों की प्रार्थना व्यर्थ सिद्ध होगी ।

श्री नानादास : राज्य वित्तों के सम्बन्ध में कांग्रेस सरकार की नीति बिल्कुल अंग्रेज शासकों जैसी रही है । साम्राज्यवादी शासकों के पुलिस-राज्य तथा कांग्रेस के लोकहितकारी राज्य में कोई अन्तर नहीं दिखाई देता । राज्यों को कार्य तो अत्यन्त महत्वपूर्ण सौंपे गए हैं पर उन्हें कराधान के आवश्यक साधन नहीं उपलब्ध किए गए हैं। सारे लचकीले साधन संघ सरकार ने अपने पास रख छोड़े हैं। वित्त आयोग द्वारा जो राज्यों के लिये आयकर के विभाज्य संकोष का ५५ प्रतिशत तथा संघ करों का ४० प्रतिशत भाग दिए जाने की सिफारिश की है वह भी अपर्याप्त है और कंजूसी से की गई है। इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता। संघ और राज्यों के बीच कराधान के साधनों का विभाजन फिर से होना आवश्यक है । लोकहितकारी राज्य के निर्माण के हेतु यह आवश्यक है

कि राज्यों को उत्पादन राजस्व के सारे साधन तथा आय कर का अधिक भाग दिया जाय।

नए आन्ध्र राज्य के आपातिक तथा प्रारम्भिक व्ययों के लिये केन्द्रीय आय व्ययक में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। श्री वांचू के प्रतिवेदन के अनुसार इसकी व्यवस्था होनी आवश्यक है।

दूसरी बात यह है कि आन्ध्र राज्य के निर्माण को ध्यान में रखते हुए आय कर के विभाज्य संकोष तथा संघ करों के राज्यों को दिये जाने वाले प्रतिशत भागों का तुरन्त पुर्नविचार होना चाहिए और सहायक अनुदान उदारतापूर्वक दिए जाने चाहियें। कम से कम आन्ध्र राज्य को पांच या छै वर्ष के लिये उत्पादन साधनों के सम्बन्ध में उक्त रियायत अवश्य दी जानी चाहिए। इससे न केवल आन्ध्र राज्य ही फले फूलेगा बल्कि पड़ौस के अन्य पिछड़े हुए राज्यों को भी लाभ पहुंचेगा। देश के आर्थिक ढांचे को लोकहितकारी राज्य की दृष्टि से, नए सिरे से बदलने की बहुत आवश्यकता है।

केन्द्रीय राजस्व का सत्तर प्रतिशत भाग अप्रत्यक्ष करों के द्वारा प्राप्त होता है। ऐसे कर इस वर्ष और अधिक बढ़ा दिए गए हैं। इनके फलस्वरूप बेचारे गरीबों की दशा और भी खराब होती जायेगी क्योंकि उन्हें आवश्यक वस्तुओं के ऊंचे मूल्य देने पड़ेंगे। इस के विपरीत सरकार ने बड़े बड़े व्यवसायों पर कर कम किए हैं, यह कह कर कि इससे पूंजी की वृद्धि होगी जिसके फलस्वरूप उद्योगों का विकास होगा। पर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।

सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर आधारित होते हैं और अत्यन्त अनिश्चित होते हैं। अतः केन्द्रीय सरकार का अपने राजस्व के लिए सर्वथा इन्हीं पर निर्भर रहना खतरे से खाली नहीं है। उसको दूसरे साधनों की सहायता लेनी चाहिए। जब तक कि उत्पादन के साधनों का समाजीकरण नहीं होता और जब तक कि राष्ट्रीय सम्पत्ति तथा आय उचित रूप से विभाजित नहीं की जाती तब तक केन्द्र अपनी आर्थिक समस्याओं को नहीं सुलझा सकता।

जन साधारण का जीवन स्तर सुधारने के हेतु यह आवश्यक है कि कृषक को अपनी भूमि का स्वामी बना दिया जाय और उसका प्रत्येक प्रकार का शोषण रोक दिया जाना चाहिए। एक बुद्धिमान सरकार को चाहिए कि वह अपना राजस्व राज्य-उपक्रमों से प्राप्त करे। भारत में ऐसा बहुत कम होता है। इसके अतिरिक्त सरकार को धनी लोगों पर दो कारणों से अधिक कर लगाना चाहिए। एक तो यह कि राज्यों को अधिक राजस्व मिलना चाहिए और दूसरे यह यह कि देश में सम्पत्ति और आय की असमानताएं दूर होनी चाहिए।

कर एकत्रित करने की वर्तमान व्यवस्था भी अत्यन्त त्रुटिपूर्ण, अदक्ष तथा अप्रभावशाली है। फलस्वरूप कर टालने के बहुत से मामले होते हैं जिससे देश बहुत अधिक राजस्व खो देता है। यह बात 'बिड़ला भवन का रहस्य' नामक पुस्तक पढ़ कर भली प्रकार जानी जा सकती है।

तम्बाकू उत्पादन प्रशासन में भारत में स्थित अंग्रेजी कम्पनियों को बहुत सी ऐसी रियायतें दी गई हैं जो अन्य देशी कम्पनियों को प्राप्त नहीं हैं। इस प्रकार का भेदभाव करना अत्यन्त लज्जाजनक एवं असंवैधानिक है। यही नहीं इसके कारण देश को करोड़ों रुपए की क्षति होती है। ऐसा भेदभाव असहनीय है।

कर टालने के मेरे पास अनेक उदाहरण है। एक उदाहरण प्रबन्ध अभिकरण व्यवस्था भी है। हम को इस व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए।

श्री मुरारका (गंगानगर झुंझनूं) : अकाल पीड़ित क्षेत्रों को तुरन्त सहायता पहुंचाने तथा वहां की स्थिति का अध्ययन करने के लिये सरकारी दलों के भेजने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। पर खेद है कि यद्यपि राजस्थान में घोर अकाल पड़ा हुआ है फिर भी उसकी ओर अभी तक समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार को उक्त प्रकार का कम से कम एक सरकारी दल वहां पर अवश्य भेजना चाहिए और कुछ सहायता भी देनी चाहिए। वहां पर लगभग तीस चालीस लाख व्यक्ति अकाल से पीड़ित हैं।

गाडगिल समिति की महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में सिफारिश के स्वीकार किये जाने के लिये भी मैं वित्त मंत्री को बधाई देना चाहता हूं। इससे एक विशेष वर्ग के सरकारी कर्मचारियों को बहुत सहायता मिलेगी विशेषकर सेवा से निवृत्त होने पर।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव अध्यक्ष पद पर आसीन हुए]

पर इसके साथ ही मैंने यह भी सुना है कि सरकार कदाचित ७५० रु० प्रतिमास से अधिक वेतन पाने वाले व्यक्तियों का महंगाई भत्ता समाप्त कर देगी। यह तो एक बड़ी कठोर बात होगी, विशेषकर इस मंहगाई के काल में। इससे बहुत से सरकारी कर्मचारियों की घरेलू आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जायेगी। अतः मेरा अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में सरकार कोई भी जल्दबाजी का काम न करे और मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री इस ओर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देंगे।

यदि सरकार अर्थ बचत के लिए बाध्य है, तो मेरा सुझाव यह है कि उस को कुछ ऐसे विभागों के कार्य संचालन की ओर देखना चाहिए जिनमें प्रति वर्ष धन की अत्यधिक मात्रा व्यय होती है, पर परिणाम अपेक्षाकृत बहुत कम महत्व के निकलते हैं। उदाहरण के लिए बहुप्रयोजनीय राष्ट्रीय नमूने के द्वारा परिमाप को ही लीजिये। इस वर्ष इस विभाग के उपयोग के लिये ४३,५०,००० रुपए रखे गए हैं, लेकिन उसके द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़े राष्ट्रीय आय समिति को ही स्वीकार नहीं होते, जिसके लाभ के लिए यह विभाग स्थापित किया गया था। इस विभाग का आंकड़े एकत्रित करने का कार्य अत्यन्त त्रुटिपूर्ण और अवैज्ञानिक ढंग का है, अतः मुझे भय है उसके कार्यों का उपयोग किसी भी प्रयोजन के लिये नहीं हो सकता है।

१९४३-४४ तक प्राचीन ढंग पर ही खाद्यान्नों के उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े पटवारियों की सहायता से एकत्रित किये जाते थे। प्रशासकीय प्रयोजनों के लिये यह तरीका काफी सन्तोषजनक पाया गया था। पर जब युद्ध छिड़ा और खाद्य समस्या दिन पर दिन जटिल होती गई तो पटवारियों ने उत्पादन को जान बूझ कर कम आंकना शुरू किया। इस बुराई को दूर करने के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने फसल काटने के समय नमूने के खेतों में अपने सामने फसल कटवा कर और तौला करवा कर पटवारियों के अनुमानों को ठीक करने का काम शुरू किया। यह ढंग बहुत सफल रहा और दुनियां भर में इसकी बहुत प्रशंसा भी हुई थी।

किन्तु गत जनवरी में यह कार्य अचानक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से छीन कर राष्ट्रीय नमूने के द्वारा परिमाप (नेशनल सैम्पिल सर्वे) को सौंप दिया गया। जिस कार्य को करने के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तीन लाख रुपए खर्च करती थी उसी को करने के लिये इसको ४३ लाख

रुपए दिए गए थे। किन्तु इस विभाग का कार्य करने का ढंग अत्यन्त अधूरा और असन्तोषजनक है। वे अपने पदाधिकारियों को मनमानी तौर चुने हुए गांवों में परिमाप के लिये भेज देते हैं। वे पदाधिकारी स्थानीय लोगों से पूछताछ करके ही आंकड़े जमा करते हैं और अपने सामने फसल की कटाई और तौल नहीं करवाते। आम तौर पर यह कार्य फसल के तीन चार महीने बाद होता है। ऐसी दशा में भला सही आंकड़ कैसे एकत्रित हो सकते हैं। बेचारे गांव वाले कितनी बातें याद रख सकते हैं और वे उनके प्रश्नों से ही घबड़ा जाते हैं। उस विभाग के कार्य का महत्व और स्तर इसी से स्पष्ट हो जाता है।

मेरी दूसरी आलोचना यह है कि उस विभाग ने अभी तक पटसन, रूई और चीनी के उत्पादन-आंकड़े प्रकाशित नहीं किए हैं। तीसरे, इसने डाक्टर गाडगिल की पूना के गोखले इन्सटीट्यूट में विश्लेषण किए गए आंकड़ों सम्बन्धी प्रतिवेदन अभी तक नहीं प्रकाशित किया है।

अभी हाल ही में एक प्रेस सम्मेलन के सामने खाद्य समस्या के सम्बन्ध में इस विभाग के अध्यक्ष ने कहा था कि हमारी खाद्यसमस्या का मुख्य कारण उत्पादन की कमी नहीं, बल्कि खाद्यान्नों का कुवितरण है। यह एक अत्यन्त जल्दबाजी से और बिना सोचे समझे दिया गया वक्तव्य है, जिसके परिणामस्वरूप हमें बाहर से खाद्यान्नों की प्राप्ति में बहुत कठिनाई होगी।

अन्त में मैं यह भी बता दूं कि इस विभाग की कटु आलोचना 'एकोनामिक वीकली' ने भी की है। अतः मेरा अनुरोध है कि माननीय वित्त मंत्री इस ओर समुचित ध्यान दें और इस विभाग के कार्य संचालन की जांच किसी योग्य अर्थशास्त्री के द्वारा करवायें ताकि ४४ लाख रुपए का वार्षिक अपव्यय रोका जा सके। विस्तृत आंकड़े राजस्व तथा प्रशासकीय प्रयोजनों के लिए तथा अकाल के समय बहुत आवश्यक होते हैं।

बीमा के सम्बन्ध में गत कई वर्षों से जनता की यह मांग रही है कि जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिए। जीवन बीमा निधियां राष्ट्र की बचत हैं। उनका उपयोग राष्ट्र निर्माण के कार्यों में सरकार के द्वारा होना चाहिए। राष्ट्रीयकरण की मांग का मुख्य कारण यही है।

मैं कुछ थोड़ा सा भारतीय कम्पनियों के अधिनियम के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं। भारतीय कम्पनी विधि जांच समिति ने यह सिफारिश की है कि भारतीय कम्पनी विधि के प्रशासन के हेतु एक केन्द्रीय प्राधिकार नियुक्त किया जाना चाहिए। पर इस सम्बन्ध में अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है और हमें यह पता नहीं है कि वह सिफारिश स्वीकार की गई है अथवा अस्वीकार। उसके अभाव में इस कार्य के लिए धन राशि की शत प्रतिशत बढ़त क्यों की गई है?

भारतीय कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, १९५१ के आधीन सरकारी और गैर सरकारी व्यक्तियों की एक समिति बनाई गई थी। मुझे उसके किसी पदाधिकारी के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है। पर मैं यह चाहता हूं इस पद पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाय जिसके विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक स्वार्थ हों। ऐसा व्यक्ति निष्पक्ष निर्णय नहीं दे सकता।

अन्त में मैं इस मन्त्रालय की प्रशंसा करूंगा कि उसने ग्रामीण बैंक जांच समिति की सिफारिशों को केवल मान ही नहीं लिया है बल्कि इम्पीरियल बैंक से गांवों में अधिकाधिक शाखायें खोलने को कहकर उनको कार्यान्वित करना भी प्रारम्भ कर दिया है।

[श्री मुरारका]

ऐसी १९ शाखाएं खुल चुकी हैं और जुलाई तक १२ और खुल जायेंगी।

आयकर विभाग में भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने के उद्देश्य से बनाए गए एक नए जांच निदेशालय का सदन स्वागत करता है।

श्री एस० एन० दास (दरभंगा मध्य) : सब से पहले मैं अपने अर्थ मंत्री को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि यद्यपि देर से आये लेकिन वह दुरुस्त आये हैं। टैग्ज़ेशन इनक्वायरी कमेटी की नियुक्ति के लिये जनता और जनता के प्रतिनिधि की तरफ से वर्षों से मांग हो रही थी और मेरे ख्याल से उस कमेटी की नियुक्ति विधान परिषद् की नियुक्ति के साथ हो जानी चाहिये थी। जैसे विधान का बनाना ज़रूरी था वैसे ही देश की आर्थिक व्यवस्था के सुधार के लिये और सरकार की कर नीति को निर्धारित करने के लिये ज़रूरी था कि देश में जो विविध रूप से जनता से कर लिये जाते हैं उनका असर जनता के किस वर्ग पर किस तरह पड़ता है इसकी जानकारी हो। इसकी जानकारी हमको अभी नहीं है। सन् १९२४ में जब हम गुलाम थे उस समय इस देश की सरकार ने टैग्ज़ेशन इंक्वायरी कमेटी की नियुक्ति की थी। लेकिन तब से गंगा के पुल के नीचे बहुत पानी बह गया। दुनियां और देश में बहुत परिवर्तन हो गये। फिर भी इस देश की सरकार को सन् १९४७ ई० से लेकर सन् १९५३ ई० तक इस बात की आवश्यकता नहीं महसूस हुई कि कर के भार की जांच करने के लिये टैग्ज़ेशन इंक्वायरी कमेटी की नियुक्ति की जाये। इसलिये देर से ही सही हमारे अर्थ मंत्री दुरुस्त आये हैं। मैं उनको बधाई देता हूं।

साथ ही साथ दूसरी बात के लिये भी मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने देर से ही सही, लेकिन ऐस्टेट ड्यूटी बिल इस संसद् के सामने पेश किया है। हिन्दुस्तान में जब विधान बनाया गया तो यद्यपि हमने अपने सामने एक बड़ा आदर्श रखा, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय स्थापित करने का। लेकिन साथ ही साथ विधान बनाते समय, मुझे, सभापति महोदय, यह कहना पड़ता है कि सदियों से जो संचित शोषण द्वारा प्राप्त धन था और स्थापित स्वार्थ थे उनकी रक्षा के लिये हमने उस में एक धारा का समावेश कर दिया। फिर भी बहुत से ऐसे रास्ते सरकार के लिये खुले हुए थे, कि जिन रास्तों को अख्तियार कर के हमारी सरकार देश में जो धन की विषमता या मौके की विषमता है उस को दूर कर सकती थी। लेकिन बहुत दिनों के बाद १९५० में ऐसा कह सकते हैं, कि, और उस के कुछ पहले भी, इस तरह का एक बिल सभा के सामने उपस्थित किया गया था जिसके द्वारा सम्पत्ति पर कर लगाया जाना था। परन्तु न मालूम किस कारण से वह बिल बराबर खटाई में पड़ा रहा। खैर, देर से ही सही १९५२ में वह बिल संसद् के सामने पेश किया गया और उसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया। सिलेक्ट कमेटी से वह बिल आ गया है। मैं समझता हूं कि अब हमारे अर्थ मंत्री किसी भी प्रकार की विघ्न वाधा अपने सामने न आने देकर इस संसद् में इस बिल को पास करावेंगे ताकि जनता की समझ में वह बात आ जाय कि हिन्दुस्तान में जो आर्थिक विषमता है उसको कम करने के लिये सरकार ने सही कदम उठाया है यद्यपि यही पूरा कदम नहीं है।

अब, सभापति महोदय, अपने अर्थ मंत्री के बजट-भाषण के एक विषय की तरफ हमारा ध्यान जाता है। जब मा सामने

बजट पेश किया जाता है तो उस भाषण में अर्थ मंत्री देश की दशा का दिग्दर्शन कराते हैं। देश की दशा का

हर साल हमारे अर्थ मंत्री यह पेश करते हैं कि इस देश में अमुक अमुक पदार्थों का उत्पादन इतना हुआ, वस्तु के मूल्य का इंडैक्स नम्बर ऐसा ऐसा रहा। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की बदली हुई परिस्थिति में और जिस तरह की हिन्दुस्तान की अवस्था है, जैसे विभिन्न प्रकार के लोग हमारे देश में मौजूद हैं ऐसी हालत में इस तरह का, देश की आर्थिक दशा का दिग्दर्शन उपयुक्त और पर्याप्त नहीं है। देश की दशा का दिग्दर्शन कराते हुए अर्थ मंत्री को बताना चाहिये कि इस देश की बेकारी का समाधान कहां तक हुआ, देश में फ़ैली बेकारी को दूर करने की दिशा में साल भर में क्या क्या प्रयत्न हुए। उन प्रयत्नों के किस क्षेत्र में क्या परिणाम हुए। हमारे अर्थ मंत्री को अपने भाषण में संक्षिप्त रूप में यह भी बताना चाहिये कि जहां उत्पादन बढ़ा वहां हिन्दुस्तान के किस वर्ग ने उन पदार्थों का किस रूप में उपभोग किया। उत्पादन बढ़ने से देश में धन अवश्य बढ़ता है लेकिन देश में जो पिछड़े हुये लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका कहां तक कनजम्पशन बढ़ता है, यह भी महत्व रखता है। जब तक यह नहीं मालूम हो, हमको अपने देश की आर्थिक अवस्था और समृद्धि का ठीक ठीक पता नहीं लग सकता। इसलिये मैं अपने अर्थ मंत्री से अनुरोध करूंगा कि अगले साल जब बजट पेश करें तो विभिन्न इंडैक्स वगैरह की बात करते हुए यह बात भी बताने की कृपा करें कि जो करोड़ों लोग बेकार हैं जो काम नहीं मिलने के कारण भूखे रहते हैं उनकी समस्या को हल करने की दिशा में कहां तक उन्होंने तरक्की की है।

हमारा देश कृषि प्रधान है। हमारे अर्थ मंत्री भी इस को मानते हैं और योजना कमीशन ने भी इस बात को पूरी तरह महसूस किया है और मान लिया है। इसीलिये खेती पर बहुत ज्यादा ज़ोर दिया गया है। मैंने आज योजना कमीशन की रिपोर्ट को एक दृष्टि से देखने की कोशिश की कि उसमें एग्रीकल्चरल फाइनेंस के बारे में क्या कहा गया है। उन करोड़ों आदमियों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के बारे में क्या कहा गया है जो खेती से अपना निर्वाह करते हैं, जिनका शहर से कम संपर्क है और व्यापार और उद्योग से जिनका कम सम्बन्ध है। वे आज अपनी खेती की उन्नति के लिये, विकास के लिये, पूंजी कहां से प्राप्त करते हैं। मैंने सोचा कि योजना कमीशन ने अपने दो वर्ष के समय में इस बात का पूरा पता लगाया होगा, इसका असैसमेंट किया होगा कि हिन्दुस्तान में किसानों पर कर्ज़ा कितना है, हिन्दुस्तान में जो खेती के लिये पूंजी देने की समस्या है वह किस रूप में है। चार पांच पन्ने के अन्दर यह बता दिया गया है कि रिज़र्व बैंक एक इंक्वायरी कर रहा है। और रिज़र्व बैंक का जो सरवे हो रहा है उस की जब रिपोर्ट निकलेगी तब ठीक ठीक अन्दाज़ा हम लोगों को लगेगा कि खेती के लिये कितनी पूंजी की ज़रूरत है, खेती में लगे हुए लोगों के लिये, समय पर बीज के लिये, बैल के लिये और दूसरी प्रकार के खेती के काम के लिये थोड़े समय के कर्ज़ उस से कुछ अधिक समय के लिये और लांग टर्म के कर्ज़ आदि के बारे में सारी विवेचना जब रिज़र्व बैंक की वह रिपोर्ट आवेगी तब हो सकेगी। तभी खेती की कर्ज़ व्यवस्था के बारे में एक विस्तृत और सुसम्बद्ध नीति निर्धारित की जा सकेगी। हमारे यहां कहावत है कि जब तक देवता का आगमन होगा तब तक रोगी ही खत्म हो जायगा। यह कहावत इस बात पर बिल्कुल चरितार्थ होती है। दो वर्ष तक मेहनत करने के बाद योजना कमीशन को यह पता नहीं लगा कि

[श्री एस० एन० दास]

हिन्दुस्तान में सात लाख गांव में जो खेती करने वाले लोग हैं, उनको वक्त पर कम सूद और आसानी से कर्जा देने के लिये क्या किया जाये। सुझाव पर सुझाव आते हैं। गवनमेंट कहती है और चाहती है कि कोआपरेशन के जरिये कार्य हो, सहयोग से काम हो। विभिन्न राज्यों में कोआपरेटिव मूवमेंट भी जारी हैं। पर इससे अभी तक एग्रीकल्चरल क्रडिट का सवाल हल नहीं हुआ। इस आंदोलन की विफलता के कई कारण बताये जाते हैं। पर मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता। इतना ही कहूंगा कि यह सवाल ऐसा है कि इस पर गम्भीरतापूर्वक और शीघ्रता से विचार होना चाहिये।

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस दिशा में रिज़र्व बैंक आफ इंडिया को बहुत ज्यादा रोल प्ले करना चाहिये। रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया ऐक्ट में कुछ तबदीलियां हुई हैं जिनसे खेती के कर्ज के लिये नौ महीने से एकोमोडेशन को बढ़ा कर पन्द्रह महीने किया गया है इसके अलावा और अन्य तबदीलियां भी होने वाली हैं जिससे रिज़र्व बैंक खेती के लिये कुछ अधिक रक़म कर्ज़ में दे सकेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इस व्यापक समस्या का इससे स्थायी हल नहीं हो पायगा। इसलिये रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया में जो एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट को स्थायी रूप देना चाहिये और स्थायी रूप देकर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन ऐक्ट की तरह एग्रीकल्चर फाइनेंस कारपोरेशन ऐक्ट के ज़रिये एक एग्रीकल्चर फाइनेंस कारपोरेशन कायम किया जाये जिसमें केन्द्रीय सरकार, राज्य की सरकारें और रिज़र्व बैंक का पूरा सहयोग मिले। अगर सरकार सचमुच इस समस्या से खिलवाड़ नहीं करना चाहती और वास्तव में चाहती है कि खेती में तरक्की हो, किसानों की हालत अच्छी हो और खेती सचमुच में एक व्यवसाय के रूप में इस देश में चले तो और समस्याओं के हल करने के साथ साथ एक समस्या यह भी है कि उनके लिये सस्ते सूद पर जल्दी से बिना किसी कठिनाई के उनको समय पर कर्ज मिले। मैं यहां इस बात को कहे बगैर नहीं रह सकता कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से विभिन्न राज्यों को ग्रो-मोर फूड आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिये जो अनेक प्रकार की सहायता और कर्ज दिया जाता है उनके वितरण का जो वर्त्तमान तरीका है वह इतना दोष-पूर्ण है कि किसान उनसे पूरा लाभ नहीं उठा सकते। उनको न तो वक्त पर कर्ज़ मिलता है और देर से प्राप्त कर्ज से वे बीज, बैल तथा दूसरे खेती के सामान समय पर नहीं खरीद पाते हैं।

नतीजा उसका यह होता है कि जो रुपया हम करोड़ों की तादाद में स्टेट् गवर्नमेंट को देते हैं और जिसको स्टेट गवर्नमेंट्स खुद तकावी कर्ज़ के रूप में या किसी कोआपरेटिव के ज़रिये जनता में वितरण कराती है वह रुपया और सहायता ठीक वक्त पर नहीं, पहुंच पाती और वह रुपया और दूसरे कामों विवाह, शादी आदि में खर्च हो जाता है अन्न उत्पादक कार्यों में खर्च हो जाते हैं जिससे न तो किसानों को फ़ायदा पहुंचता है और न अन्न का उत्पादन बढ़ पाता है। मैं चाहता हूं कि हमारे अर्थ मंत्री महोदय इस तरफ़ अपना ध्यान दें और जल्द से जल्द विभिन्न राज्य की सरकारों से परामर्श कर खेती के लिये कर्ज देने के लिये उपयुक्त संगठन देश में फैलावें। साधारणतः ऐसे कामों को करने से पहले सरकार कमेटी की नियुक्ति करती है। इंक्वायरी कमेटी पिछली गवर्नमेंट भी बिठाती थी और यह सरकार भी बिठाती है और मैं कोई इस के बिठाने के विरुद्ध नहीं हूं अलबत्ता

यह हमारे सब का अनुभव रहा है कि इंक्वायरी कमेटी बिठाने में भी देरी होती है और रिपोर्ट तैयार करने में भी देरी होती है और रिपोर्ट अगर तैयार भी हो जाय तो उसको विचाराधीन रख कर निर्णय पर पहुंचने में और भी अधिक देरी होती है, नतीजा यह होता है कि जिस वक्त जो काम करना चाहिये, सरकार उसे नहीं कर पाती।

दूसरी बात मैं अपने अर्थ मंत्री महोदय से बेकारी के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। उन्होंने अपने बजट भाषण में बेकारी की समस्या के बारे में बोलते हुए कहा था कि बेकारी की समस्या एक ऐसी समस्या है जिस पर हमें एक बहुत बड़े पैमाने पर योजना बनानी पड़ेगी और धीरे धीरे हमें इस समस्या का समाधान करना होगा। मैं कांग्रेस का सदस्य हूं और हालांकि श्री सी० डी० देशमुख कांग्रेस टिकट पर नहीं खड़े हुए थे, लेकिन फिर भी इस बार उनको उम्मीदवार होने के कारण जनता से काफी सम्पर्क हुआ है और उन्होंने भी महसूस किया होगा कि सरकार द्वारा इतने धीरे धीरे क़दम उठाने से आज काम नहीं चल सकेगा। आज से सौ वर्ष पहले तो शायद यह क़दम उपयुक्त हो सकता था और उनका ऐसा कहना कि हमें धीरे धीरे इस दिशा में क़दम बढ़ाना होगा, उस समय ठीक हो सकता था, लेकिन आज की अवस्था में जब कि देश में करोड़ों आदमी बेकार हैं और बेकार रहने की वजह से उनको भर पेट खाना और कपड़ा नहीं मिल पाता, इस देश के अर्थ शास्त्र के वेत्ता यह कहें कि यह समस्या ऐसी है कि जिस में धीरे धीरे हम को क़दम बढ़ाना पड़ेगा, तो कहना पड़ेगा कि अर्थ मंत्री समय की गति और समस्या की तीव्रता को सही रूप में नहीं देख रहे हैं, हम लोग गांव के रहने वाले हैं, देहात की जनता के बीच में आते जाते हैं और उनके बीच कार्य करते हैं मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि जब हम वोट के सिलसिले में गांवों में गये तो जनता ने हम से बड़ा हिसाब किताब मांगा। अब गांव ऐसे नहीं रहे जहां कोई सवाल नहीं पूछता था सब जगह हम से यही सवाल किया गया कि ग़रीबी को दूर करने के लिये हमारे देश में क्या क्या प्रबन्ध हुआ है? हम ग़रीबों के लिए क्या क्या हो रहा है। मैं समझता हूं कि आज हमारी अर्थ नीति और अर्थ व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिये जिससे लोगों को भर पेट भोजन मिल सके और कोई बेकार न रहे, मैं कोई अर्थ शास्त्र का वेत्ता नहीं हूं, लेकिन ग़रीब होने के नाते और उनके बीच में रहने और काम करने के कारण मैं यही समझ पाया हूं कि आज देश की मुख्य समस्या रोटी के प्रश्न को हल करना है। इंडस्ट्रियल फ़ाइनेंस कारपोरेशन, रिहैबिलिटेशन कारपोरेशन और अन्य दूसरे कारपोरेशन का महत्व जनता की नज़र में तभी होगा जब जनता को भर पेट भोजन और तन ढांपने के लिए पर्याप्त वस्त्र मिल सके। मैं समझता हूं कि हमारे अर्थ मंत्री को इस बेकारी के सवाल की तरफ़ जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिये नहीं तो इस देश में एक ऐसा बवंडर उठ खड़ा होगा जिसमें सारी अर्थ नीति ठप्प पड़ जायगी और अर्थ शास्त्र के जो सिद्धांत हैं, वह सब चकनाचूर हो जायेंगे, क्योंकि आखिर में भूखा मनुष्य अर्थ शास्त्र के इन सब सिद्धान्तों को न तो मान सकता है और न इन पर विश्वास ही कर सकता है और इसलिये यह अति आवश्यक हो जाता है कि इस समस्या पर अति गम्भीरतापूर्वक हमारे अर्थ मंत्री जैसे चिंतामणि वह हैं, उसी चिन्ता के साथ विचार करेंगे और विचार करके जल्द से हिन्दुस्तान की सभी जनता को काम मिले, रोजी मिले, और जब तक सभी को काम नहीं दे सकेंगे उनके पास वस्तुओं को खरीदने की शक्ति नहीं होगी। जब उनके पास क्रय शक्ति नहीं होगी तो जो कपड़ा और दूसरे

[श्री एस० एन० दास]

सामान हम तैयार करते हैं उसकी खपत कैसे होगी। कपड़े के व्यवसाय को लीजिये पहले हिन्दुस्तान में खपने वाले कपड़े की एक तिहाई हम विदेश से मंगाते थे, एक तिहाई यहां के गांवों में हैंड लूमों पर बनता था और शेष एक तिहाई यहां के मिलों में बनता था। आज हम अपने देश में पूरा कपड़ा तैयार कर लेते हैं। क्या इससे हम कह सकते हैं कि हमारे देश में कपड़े के उपभोग में वृद्धि हुई है। अभी भी फी आदमी कपड़े का इस्तेमाल प्रति वर्ष १२ गज से अधिक नहीं पड़ता है। हमारी सारी दस्तकारी उद्योग धंधे किसान के कंज़म्पशन की शक्ति पर चलने वाले हैं जब उनके पास खाने के लिये अनाज, पहिनने के लिये कपड़ा, खरीदने के लिये पर्याप्त धन होगा, तभी कपड़े और दूसरे व्यवसाय चल सकेंगे, अन्यथा अति उत्पादन से व्यवसाय भी कम पड़ जायेंगे। करोड़ों लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो वे खरीदेंगे कहां से ?

अन्त में मैं एक बार फिर अपने अर्थ मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि वह अपने क़दम को ज़रा तेज़ करें, क्योंकि आज की अवस्था में धीरे धीरे क़दम बढ़ाने से समस्या हल होने वाली नहीं है, सौ वर्ष पहले इस तरह धीरे धीरे चलना शायद उपयुक्त हो भी सकता था, लेकिन आज की हालत में यह ठीक नहीं है। परिस्थिति विषम है। और इस में सुधार लाने के लिये शीघ्र क़दम उठाने की ज़रूरत है। भूख की ज्वाला क्या न क्या कर बैठती है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा कांग्रेस मंत्री मंडल समस्या को समझता है। मैंने अर्थ मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर इसी गरज़ से खींचा है जिससे शीघ्र से शीघ्र सही क़दम उठाया जाय, शरीर में हार्ट ठीक हो लेकिन जब तक आर्टरीज़ मे ब्लड का सरकुलेशन ठीक तरह से नहीं होगा तब तक शरीर के अंग प्रत्यंग ठीक और स्वस्थ नहीं होंगे। रक्त के विषम वितरण से शरीर नीरोग नहीं रह सकता। हो सकता है कुछ समय तक शरीर के एक भाग का विकास हो पर सम्पूर्ण शरीर का समुचित विकास नहीं होगा। फ़ाइनेंस विभाग राष्ट्रीय शरीर में हार्ट के समान है। उसका यह कार्य है कि वह देखे कि शरीर के भागों में रक्त का ठीक तरह से सरकुलेशन होता है। हमारे अर्थ मंत्री महोदय को इस बारे में प्रयत्नशील होकर ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये ताकि राजनैतिक शरीर के अंग प्रत्यंग ठीक और स्वस्थ रहें।

श्री आर० एन० एस० देव : मांग संख्या १२२ में अधिक-अन्न-उपजाओ, अज्ञात प्राकृतिक विपदाओं नदी घाटी योजनाओं तथा राज्यों को ऋण के लिए जो व्यवस्था की गई है उसके संबंध में मैंने कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। उन के पीछे मेरा उद्देश्य सिंचाई के प्रयोजनों के लिए ऋणों को देने की नीति और राज्यों को ऋण देने से पूर्व एक एकसूत्रित तथा एकीकृत विकास योजना की आवश्यकता पर सोच विचार करना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सिंचाई योजनाओं के संबंध में ऋण देने के विषय में सरकार की क्या नीति है। परन्तु बाद में नीति में संशोधन किया गया। १९५२-५३ में यह आर्थिक सहायता घटा कर नई योजनाओं के लिये दो-तिहाई और पुरानी परियोजनाओं के लिये आधी कर दी गई। १९५३-५४ में इस में पुनः संशोधन किया गया है और आर्थिक सहायता घटा कर लागत मूल्य का केवल २५ प्रतिशत कर दी गई है। यह कहा जाता है कि १९४९-५० से १९५२-५३ तक की अवधि में उड़ीसा में ३९९८ योजनायें आरम्भ की गई थीं जिन में से १५८६ पूरी हो चुकी हैं जिस के फलस्वरूप ५०,०००

टन चावल का अतिरिक्त उत्पादन होने लगा है। क्योंकि अब भी हमारे देश में अनाज की कमी है अतः सरकार को हर प्रकार से अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन देना चाहिये। किन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि सरकार की नीति में कोई स्थिरता नहीं है और आर्थिक सहायता देने की नीति निरन्तर बदलती रही है।

अब मैं बड़ी बड़ी नदी घाटी योजनाओं के लिये दिये गये ऋणों को लेता हूं। गत वर्ष के अन्त तक इन बड़ी बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं पर लगभग १३० करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। इस वर्ष और ५० करोड़ रुपये व्यय किये जाने की सम्भावना है। किन्तु प्रश्न यह है कि क्या इन नदी घाटी योजनाओं से सम्बद्ध राज्यों के लोगों को लाभ पहुंचेगा? उदाहरणार्थ, हीराकुड परियोजना के प्रश्न को ही लीजिये। जैसा कि आप जानते हैं इस योजना पर ९२ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे; पहिले प्रक्रम में इस योजना पर ६७ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। यह सब राशि केन्द्रीय सरकार उड़ीसा सरकार को ऋण के रूप में देती है। परन्तु मजूमदार समिति ने इस योजना के विद्युत् सम्बन्धी भाग की सफलता के बारे में सन्देह प्रकट किया है। यह योजना विद्युत् और सिंचाई की मिली-जुली योजना है। योजना के लागत-व्यय के बढ़ जाने के फलस्वरूप मजूमदार समिति ने विद्युत और सिंचाई के लिये लागत-व्यय के आवंटन का अनुपात २९ तथा ७१ से बदल कर २० तथा ८० कर देने की सिफारिश की है, इस से सिंचाई का लागत-व्यय बढ़ जायेगा और इसका बोझ काश्तकारों पर पड़ेगा। विकास योजनाओं के एकीकरण के सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया है। हीराकुड क्षेत्र में १९५५-५६ में पैदा होने वाली विद्युत् के प्रयोग के लिये जो औद्योगिक विकास किया जायेगा अभी तक तो उस का कोई चित्र हमारे सामने नहीं आया। आप जानते हैं कि खनिज संसाधनों में उड़ीसा सर्वप्रथम है और वन संसाधनों में द्वितीय है तथा कृषि संसाधनों से भी भरपूर है, किन्तु फिर भी यह भारत का सब से अधिक निर्धन और अविकसित राज्य है। अतः इस के औद्योगीकरण की ओर पर्याप्त ध्यान देना चाहिये। योजना आयोग ने भी पहिले पिछड़े हुए प्रदेशों तथा राज्यों के विकास की सिफारिश की है। किन्तु इस विषय में कोई प्रगति होती दिखाई नहीं देती।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह सिंचाई के लिये ऋण देने में स्पष्ट नीति अपनाये और इन बहुमुखी योजनाओं के लिये भी ऋण देने के सम्बन्ध में एक स्थिर नीति का अनुसरण करे। यदि समायोजित विकास नहीं होगा और यदि योजना से प्रत्याशित फल नहीं मिलेगा तो वह योजना उस राज्य की सम्पत्ति होने की अपेक्षा उस पर भार बन जायेगी। अतः, मेरा यह अनुरोध है कि सिंचाई तथा विद्युत् के साथ साथ रेलों तथा उद्योगों का भी विकास किया जाये।

श्री सी० आर० नरसिंहन् (कृष्णगिरि): कुछ वर्ष पहिले निम्न सरकारी कर्मचारियों को प्रिविलेज टिकट आर्डर (विशेषाधिकार के टिकट) की सुविधा मिली हुई थी। किन्तु हाल में संभवतः मितव्ययता के कारण यह सुविधा वापिस ले ली गई है। अतः मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि वह इस पर पुनःविचार करे कि यह सुविधा इसी रूप में या संशोधित रूप में फिर दी जा सकती है या नहीं। इस से केन्द्रीय सरकार के देश के भिन्न भिन्न भागों से आये हुए छोटे छोटे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।

श्री बी० शिवा राव (दक्षिण कनड़ा—दक्षिण): आय-व्ययक के अन्य पत्रों के साथ हमें जो व्याख्यात्मक ज्ञापन दिया गया है उस

[श्री बी० शिवा राव]

के पृष्ठ १२९ पर कुछ चीजें दी हुई हैं जोकि "सामूहिक विकास कार्यक्रमों के लिये असाधारण भुगतानों" की श्रेणी में आती हैं। सामूहिक कार्यक्रमों के लिये ६३३ लाख रुपये की एक राशि दी हुई है और "स्थानीय निर्माणकार्यों" के लिये तीन करोड़ रुपये की एक और राशि दी हुई है। इस के बाद सामाजिक कार्य करने वाली संस्थाओं को सहायतार्थ-अनुदान देने के लिये २५ लाख रुपये की तथा युवकों के शिविरों तथा श्रम-सेवाओं के लिये २० लाख रुपये की छोटी छोटी राशियां दी हुई हैं।

इस ज्ञापन में इन राशियों के व्यय करने के सम्बन्ध में बहुत थोड़ी जानकारी दी हुई है, किन्तु मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री जी कल वाद विवाद का उत्तर देते समय सदन को इस विषय में और अधिक जानकारी देंगे जिस से कि सदन इसे और अच्छी प्रकार समझ सके।

सामूहिक परियोजनाओं को सन्तोषजनक रूप से क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में एक बड़ी कठिनाई यह है कि एक या दो को छोड़ कर शेष राज्य सरकारों ने अब तक सामूहिक परियोजना पदाधिकारियों या कई निर्माण-कार्यों के प्रभारी जिला अधिकारियों और परियोजना क्षेत्रों में बनाई गई स्थानीय समितियों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिये हैं। मैं अपने अनुभव से बतला सकता हूं कि कम खर्च वाली, छोटी से छोटी तथा शीघ्र पूरी किये जाने योग्य योजनायें भी राज्य के मुख्य कार्यालयों से मंजूरी न आने के कारण कई सप्ताहों और महीनों तक रुकी पड़ी रहती हैं। यद्यपि लोगों ने सड़कें बनाने, तालाबों की सफाई करने तथा इसी प्रकार से अन्य सामाजिक कार्य करने में बड़ा उत्साह दिखाया है किन्तु यह भावना बढ़ती जा रही है कि सरकार इस में आवश्यक हिस्सा नहीं बटा रही है।

अतः मैं वित्त मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वे इस निराशा को दूर कर के शासन-व्यवस्था में सुधार कर के जनता के इस महान् उत्साह और शक्ति को रचनात्मक कामों में लगायें। मैं यह कहूंगा कि हमें इस बात का निश्चय करने के लिय कि कौन-सी योजना पहिले आरम्भ की जानी चाहिये और किसे अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये, स्थानीय लोगों तथा पदाधिकारियों को अधिक से अधिक स्वच्छन्दता देनी चाहिये। मुझे आशा है कि आगामी सप्ताह दिल्ली में सामूहिक परियोजनाओं के प्रादेशिक आयुक्तों का जो सम्मेलन होने वाला है उस में कोई ऐसे सामान्य सिद्धान्त बनाये जायेंगे जो कि सभी सामूहिक परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये लागू किये जा सकेंगे। वित्त मंत्री जी को इन सिद्धान्तों को तुरन्त लागू करवाना चाहिये क्योंकि फिर वर्षा ऋतु आ जाने पर श्रम दान का कार्य नहीं हो सकेगा।

इस के बाद मैं स्थानीय निर्माण कार्यों के लिये तीन करोड़ रुपये के व्यय को लेता हूं। इस के विषय में बहुत कम बताया गया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी इस राशि का क्या करेंगे और इसे कैसे बांटेंगे। राज्य सरकारों को स्थानीय अधिकारियों तथा स्थानीय समितियों को और अधिक शक्तियां देने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये। मेरे विचार में योजना आयोग को भी यह सुझाव दिया गया था कि दस या बीस हजार रुपये की लागत तक की योजनायें पूर्णतया स्थानीय अधिकारियों तथा स्थानीय समितियों की स्वेच्छा पर छोड़ देनी चाहियें। मैं यह नहीं कहता कि उन पर कड़ा वित्तीय नियंत्रण नहीं होना चाहिये, किन्तु हमें अत्यधिक कठोरता भी नहीं करनी चाहिये। अतः मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे व्यय

की मंजूरी की ऐसी नई प्रणाली निकालें जिस से कि काम में अधिक शीघ्रता आ सके ।

१९५२-५३ के प्रतिवेदन में महालेखापाल ने लिखा है कि हिसाब रखने की प्रणाली बहुत पुरानी हो गई है । अतः उन्होंने इस के नवीकरण का अनुरोध किया है । न केवल हिसाब रखने की प्रणाली में, अपितु प्रशासन प्रणाली में भी और सामूहिक परियोजनाओं या स्थानीय निर्माण कार्यों अथवा पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वित करने में लगे हुए अधिकारियों के दृष्टिकोण के भी नवीकरण की आवश्यकता है ।

गत वर्ष मैं ने कहा था कि इस योजना की सफलता बनाई गई सड़कों या पाठशालाओं या खोले गये चिकित्सालयों की संख्या से नहीं मापी जानी चाहिये । यह भी महत्वपूर्ण है, किन्तु मेरी दृष्टि में इस से भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने में भाग लेने के लिये कितने गैरसरकारी व्यक्तियों को प्रोत्साहन मिला । अत हमें व्यय के साथ साथ गैर-सरकारी व्यक्तियों के सहयोग का भी ध्यान रखना चाहिये ।

लगभग दो मास पूर्व, मैं ने माननीय रेल मंत्री को यह लिखा था कि वे प्लेटफार्मों को ऊंचा उठाने के लिये रेलवे बोर्ड या महाप्रबन्धकों की स्वीकृति लेने की अपेक्षा यह घोषणा कर दें कि जहां कहीं ग्रामीण लोग इस कार्य के लिये श्रम दान देने को तैयार होंगे वहां आवश्यक सामग्री और प्रौद्योगिक सहायता हम दे देंगे । मुझे आशा है कि यदि इस परीक्षण को एक वर्ष तक किया जाये तो रेल मंत्रालय उतने ही धन से दुगुने या तिगुने प्लेटफार्म ऊंचे कर लेगा । अन्त में मैं यही कहूंगा कि वित्त मंत्री जी को अधिक से अधिक जनता का सहयोग प्राप्त करना चाहिये ।

श्री कानावडे पाटिल (अहमदनगर-उत्तर) : पंचवर्षीय योजना में देश के कृषि विकास तथा इस की सामूहिक परियोजनाओं के लिये बहुत बड़ी राशि अलग रखी गई है । इस में वन रक्षण तथा मिट्टी की रक्षा भी सम्मिलित है । मेरा यह निवेदन है कि इन दोनों समस्याओं को हल करने के लिये योजना आयोग ने पर्याप्त धन नहीं दिया है । १२ करोड़ रुपये की बहुत थोड़ी सी राशि दी गई है । १९५३-५४ के आय-व्ययक में बनों की रक्षा तथा मिट्टी को कटने-फटने से बचाने के लिये मांग संख्या ४४ के अन्तर्गत केवल ३०,८४,००० रुपये की थोड़ी सी राशि दी गई है । देश में मिट्टी की अवस्था खराब होने पर खाद्य उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सकता है ?

वनों से हमें उत्पादन के लिये इमारती लकड़ी, प्लाईवुड, लकड़ी का कोयला तथा अन्य महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होती है और इन से पानी को बचाने तथा मिट्टी को कटने-फटने से रोकने में सहायता मिलती है ।

सरकार की वर्तमान वन सम्बन्धी नीति के अनुसार भूमि के कुल क्षेत्रफल का एक-तिहाई भाग वनों की रक्षा और विकास के लिये छोड़ दिया जायेगा और हिमालय, दक्षिण के पठार तथा अन्य पहाड़ी प्रदेशों की भूमि के कुल क्षेत्रफल का ६० प्रतिशत वनों के विकास के लिये सुरक्षित रखा जायेगा। देश में जल की भयंकर कमी का कारण वन की समस्या की ओर राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार का ध्यान न देना ही है । मेरा यह निवेदन है कि हमें वनों का जीव-विज्ञान तथा अर्थशास्त्र की दृष्टि से तुरन्त पर्यालोकन करवाना चाहिये । वनों के इस नग्नीकरण तथा सैंकड़ों मील भूमि के खाली पड़े रहने के कारण गत कुछ वर्षों में भारत में पर्याप्त वर्षा नहीं हुई । हम इस समस्या की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं । मैं समझता

[श्री कानावडे पाटिल]

हूं कि यह समस्या बहुत गम्भीर और महत्वपूर्ण है और इस की ओर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को उचित ध्यान देना चाहिये। किसानों को अपने वृक्ष काटने से रोकने के लिये वन सम्बन्धी अधिनियम अधिक कठोर बनाने चाहियें। वनों के नग्नीकरण के कारण हमारी भूमि को भी काफी क्षति पहुंची है। उदाहरण के लिये सारे भारत में अन्धाधुन्ध वनों के काटने के कारण गत १५-२० वर्षों से तापमान बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों से वनों के कट जाने के कारण मिट्टी कट फट गई है और पानी भूमि में ठहरता नहीं। बम्बई, दक्षिण तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के कुएं इसी कारण सूखते जा रहे हैं। यह बहुत गम्भीर स्थिति है। मैं स्वयं जानता हूं कि दिल्ली से लेकर दक्षिण तक की गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा आदि सभी बड़ी बड़ी नदियां प्रति वर्ष सूखती जा रही हैं। अहमदनगर जिले में एक मूला नदी है जिस के उद्गमस्थान पर प्रति वर्ष २०० इंच वर्षा होती थी, किन्तु अब वहां वनों के न रहने के कारण यह नदी भी सूखने लग गई है।

५ बजे सांयकाल

मेरा विश्वास है कि भारत तथा राज्य सरकार का कर्तव्य यह है कि इन जंगलात के मामले में विशेष ध्यान रखें तथा इनकी रक्षा के लिए भी काफी धन खर्च किया जाय।

भूमि परिरक्षण का प्रश्न भी बड़ा आवश्यक एवं महत्व का है। इसमें सावधानी बरतने की बात है। यदि हमारे पास जंगलों की संख्या काफी है तभी भूमि का परिरक्षण भी हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में २७·४ करोड़ कृषि योग्य भूमि में से १२·३ करोड़ भूमि से वृक्षों का कटाव किया गया है।

डा० लंका सुन्दरम् : मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि विस्थापितों की सहायतार्थ ऋण देने की मात्रा बढ़ाकर १४·५ करोड़ कर दी गई है तथा उसमें से ५·४ करोड़ लगभग २ लाख व्यक्तियों में ऋण स्वरूप बांट भी दिया गया है। विस्थापितों के बैंक से सम्बन्धित मांग संख्या २६ तथा ४२ के बारे में कटौती के प्रस्ताव रखे हैं। वास्तव में देखा जाय तो भारतवर्ष की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इन बैंकों की स्थिति बहुत ही छोटी है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच होने वाली समस्याओं में इन बैंक की समस्या का भी कुछ होना चाहिए। मुझे आशा है कि पाकिस्तान तथा भारत के प्रधानमंत्रियों के बीच होने वाली बातचीत इस सम्बन्ध म कुछ उचित परिणाम तक पहुंचेगी। यह तो आपको विदित है ही कि प्रारम्भ में ये विस्थापित बैंक लाहौर तथा पश्चिमी पाकिस्तान में खोले गये थे किन्तु अधिकतर ये बैंक आजक भारत में ही काम कर रहे हैं। पता चला है कि लगभग १४,७४,६०० लाख रुपया कार्यरत अस्तियां के रूप में ४,३५,२०,७०० करोड़ रुपया अवरुद्ध अस्तियां के साथ ही साथ पश्चिमी पाकिस्तान में रुक गया है। इन १२ बैंकों के अतिरिक्त ६ अन्य बैंक भी हैं जिनमें पंजाब नेशनल बैंक सब से बड़ा है। मुझे इनका व्यक्तिगत अनुभव है। आज इन बैंकों की बड़ी विचित्र दशा है इनका लगभग ४ १/२ करोड़ रुपया पाकिस्तान में पड़ा है जो अभी तक इनको नहीं मिल सका है। आपने देखा होगा कि विभाजन के उपरांत रुपया जमा करने वालों ने शीघ्र ही अपना रुपया भारतवर्ष के लिए परिर्वातित करा लिया जब कि इन बैंकों का धन वहीं रह गया। अतएव बैंकों की स्थिति कार्य करने के मामले में असंतुलित हो गई। प्रारम्भ

में ३ मास के लिए विलम्ब काल हो गया। हालांकि संवृत प्रणाली चालू करने तथा नयी प्रणाली चलाने के लिए उच्च न्यायालय की स्वीकृति थी। मुझे पता चला है कि इन विस्थापित बैंकों की ८० से ९० प्रतिशत संवृत प्रणाली की सम्पति इनको मिल गई है। शेष १० प्रतिशत के लिए यह विवादग्रस्त परिसमापन हो रहा है। लगभग ३ वर्ष पूर्व वित्त मंत्रालय ने विस्थापित बैंकों की उस प्रार्थना को जिसमें उन्होंने अपने कर्जदारों के अभियोग में अविधिसीमा वृद्धि मांगी थी, स्वीकार कर लिया था। आप को ज्ञात होगा कि सन् १९४९ में बैंक कम्पनी अधिनियम के अनुसार इन बैंकों में से बहुत से उन बैंकों को छूट दे दी थी जिन्होंने विस्थापितों को लाभ पहुंचाया था। आप देखते हैं कि आज पुनर्वास मंत्रालय विस्थापित व्यक्ति तथा विस्थापित बैंकों में विभिन्नता कर रहा है। वास्तव में विस्थापित व्यक्तियों की एक बहुत बड़ी संख्या इन बैंकों के धनी हैं। इन विस्थापित बैंकों के समाप्ति सम्बन्धी मामले न्यायालय में लम्बित हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि इन बारह बैंकों के, जिन्होंने अपना एक संघ बना लिया है और जिनका ४·५ करोड़ रुपया पाकिस्तान में रुका पड़ा है, यदि उसमें से २ आना प्रति रुपया के हिसाब से भी मिल जाता है तो शेष १० प्रतिशत धन को जो इन बैंकों को विस्थापित व्यक्तियों को देना है, दे सकेंगे। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री वैधानिक नियम बनाकर इन विस्थापित बैंकों को कुछ अधिक समय दे सकेंगे ताकि ये विस्थापित धनी व्यक्तियों को रुपया दे सकें। मेरा विचार है कि सदन भी इसे अवांछनीय प्रार्थना नहीं समझेगा।

अभी हमने बैंक विस्तारण कार्यवाही समिति का प्रतिवेदन देखा है। जब इस विषय पर प्रश्नोत्तर चल रहे थे तो मैंने एक पूरक प्रश्न पूछा था। वित्त मंत्री के सभासचिव यह नहीं बता सके थे कि क्या सरकार ने इन सिपारिशों की जांच कर ली है अथवा नहीं, क्या सरकार सिफारिशों को कार्यान्वित करना चाहती है अथवा नहीं। मैं वित्त मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह इस विषय में सहानुभूति पूर्ण नीति रखें।

इसका एक दूसरा वैकल्प भी है और वह यह है कि सरकार इन सभी बैंकों को ले लें और वे बैंक स्वयं अपना अवसाशन कर लें। आज इनकी यह हालत है कि न तो ये कार्य कर सकते हैं क्योंकि इनका धन पाकिस्तान में पड़ा है और न किसी प्रकार यह किसी को धन दे सकते हैं। अतएव मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि पाकिस्तान में इन बैंकों का जितना धन रह गया है उसका अनुमान कर लिया जाये और पाकिस्तान तथा भारत के बीच होने वाली सद्भावना बातचीत में इस बात पर प्रभाव डाला जाय कि कम से कम इन बैंकों को इतना धन तो मिल जाय जिससे कि बचा हुआ १० प्रतिशत धन ये अपने यहां रुपया जमा करन वालों को दे सकें। ताकि ये बैंक विस्तारण करने से अपने आपको बचा सकें। या दूसरी बात यह भी हो सकती है कि सरकार इन सभी बैंकों को ले लें और सभी कार्यवाहियों को अपने आप समाप्त कर दें। यह अच्छी बात होगी।

श्री जी० पी० सिन्हा (पालामाउ व हजारीबाग व रांची) : वित्त मंत्रालय की मांगों का मैं समर्थन करता हूं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरांत देश की आर्थिक स्थिति, शरणार्थी समस्या, बाढ़ तथा खाद्यान्न की कमी के कारण बडी गम्भीर हो गई है। आज केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों का ध्यान गांवों की ओर आकर्षित करना

[श्री जी० पी० सिन्हा]

है। देशोत्थान के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं हैं किन्तु जब तक गांवों के लिए कुछ नहीं किया जाएगा तब तक देश की उचित उन्नति नहीं हो सकेगी।

गांवों में दो बातें हैं -- एक तो वहा क्रयशक्ति प्राय समाप्त सी हो गई है, दूसरे गांवों में धन जमा करने की विचार धारा में कमी है। गांवों में जमींदार तथा महाजन ही रुपया रखने वाले आसामी थे। अतएव कृषि के लिये रुपये की बड़ी कमी हो गई है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् केन्द्रीय सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों ने छोटे छोटे अल्पकालीन ऋण सिंचाई ऋण, आदि आदि देने की व्यवस्था की थी किन्तु इनके विभाजन का ढंग बड़ा ग़लत है। मनुष्यों की वास्तविक आवश्यकता का उचित ज्ञा नहीं है। जहां कहीं बाढ़ आई या अनाज की कमी हुई तो सरकारी अभिकरण वहां पहुंच जाते हैं और वितरण कार्य शुरू कर देते हैं इस प्रकार जिन्हें वास्तविक आवश्यकता है वे इससे वंचित रह जाते जाते हैं। जिला पदाधिकार ही निर्धारित प्राधिकारी है, कोई सही रास्ता न होने के कारण उसे इस बात का ज्ञान नहीं रहता कि किस किस व्यक्ति को वास्तविक आवश्यकता है। गांव गांव में आर्थिक सहायता देने के लिए टुकड़ियां पहुंचनी चाहिये तभी गांव वासियों को प्रोत्साहन मिलेगा और वह अपन बचे हुए धन को दे सकेंगे।

बेकारी की समस्या के विषय में सभी सदस्यों ने अपनी व्यग्रता एवं चिंता प्रकट की है। कोई भी सरकार थोड़े समय में बेकारी की समस्या को दूर नहीं कर सकती। किन्तु इतना अवश्य सत्य है कि बेकारी की समस्या को पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत मुख्यता एवं प्राथमिकता देनी चाहिये। कुटीर उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन देना है। कुटीर उद्योग धन्धों की जब कभी चर्चा चलती है तो हमारा अभिप्राय केवल कपड़ा बनाने सम्बन्धी उद्योग धन्धे से होता है। यदि आज इन उद्योग धन्धों को अधिक सहायता एंव प्रोत्साहन दिया जाता है तो यह सत्य है कि कुछ अंश तक बेकारी की समस्या दूर हो जायगी। किन्तु इसके द्वारा हुए उत्पादन की खपत के लिये स्थान कौन सा होगा। अतएव अच्छी बात यह है कि विस्तृत उद्योग धन्धों तथा कुटीर उद्योग धन्धों के क्षेत्रों को अलग अलग कर देना चाहिए

निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र अलग २ हो गये हैं। उनके लिए निश्चित योजना बन गई है। दोनों की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि दोनों पर उचित नियंत्रण हो। सरकार का निजी क्षेत्र पर कोई नियंत्रण नहीं है। उद्योग विकास अधिनियम १९५१ के अन्तर्गत सरकार केवल उन्हीं उद्योगों को ले सकती है जो प्रायः समाप्त होने वाले हों। किन्तु फिर भी हमको उद्योगपतियों को अपनी मनमानी तथा अनर्यत्रित रवैया पर ध्यान रखना होगा और उसे प्रायः समाप्त करना भी होगा। उनके प्रबन्ध में सरकार को भी कुछ न कुछ उत्तरदायित्व पूर्ण भाग लेना चाहिए। प्रत्येक उद्योग में उनकी संचालन समिति में सरकार का एक प्रतिनिधि अवश्य हो। पुरानी प्रथा कि जिन्होंने धन लगाया है वही इसका प्रबन्ध कर सकते हैं अब समाप्त हो गई है।

सरकारी अधिकारियों को प्रबन्ध संबंधी बातों का कोई उचित ज्ञान नहीं है। चूंकि उन्हें कार्य संभालना है अतएव उन्हें प्रशिक्षित करना होगा। उन्हें कोई अनुभव नहीं होता,

यह माना कि उन्हें किताबी ज्ञान काफ़ी होता है। जब तक उन्हें उद्योग सम्बधी जानकारी नहीं कराई जायगी तब तक देश में उद्योगकरण का कोई लाभ नहीं है।

विदेशी पूंजी लगाने के बारे में सभी ने नाना प्रकार की आलोचना की है। किन्तु हमारा अनुभव ऐसा है कि जब तक विदेशी पूंजी को यहां नहीं लगाया जायगा तब तक हमारे उद्योगों का विकास नहीं हो सकता। विदेशी पूंजी लगाने से केवल पूंजी ही नहीं मिलती अपितु प्रावधिक जानकारी भी। बहुत से विदेशी पूजी लगाने वालों को केवल इसी आधार पर पूंजी लगाने की आज्ञा दी गई थी कि वह देशी पूंजी भी अपने उद्योगों में लगायेंगे। और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया था। यह बड़ी अच्छी बात है।

श्री शोभाराम (अलवर) : मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि वित्त आयोग ने सभी राज्यों को इतना अवसर दिया है कि वह अपनी आर्थिक स्थिति को उचित रूप से रख सकें। और यदि वहां आर्थिक स्थिति कुछ बिगड़ जाती है तो उसे शीघ्र ही समाप्त कर देना चाहिए।

राजस्थान सरकार के बारे में केन्द्रीय सरकार ने इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया था कि भारतीय राज्य वित्त जांच समिति के प्रतिवेदन के अनुसार संघ कर के अतिरिक्त पूर्जी, राजस्व, आर्थिक, तथा प्रावधिक सहायता दी जायगी। किन्तु भारतीय राज्य वित्त जांच समिति के प्रतिवेदन को मानने से संघीय कर में राजस्थान के लिए कोई वृद्धि नहीं हुई। आर्थिक एकीकरण समझौता के आधार पर राजस्थान सरकार को लगभग २,७९,००,००० रुपये की हानि हुई थी जबकि आय कर तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क स्वरूप राज्य को केवल २·६० लाख तथा राज्य में शिक्षा के लिये २० लाख रुपया अनुदान में मिला। इस प्रकार राजस्थान सरकार को कुछ भी नहीं मिला। इसके अतिरिक्त वित्त आयोग ने अकाल के लिये अनुदान देने के प्रस्ताव को प्रायः समाप्त सा कर दिया था। वित्त आयोग का कहना था कि पूर्व से ही ऐसा सोचना कि वहां अकाल पड़ेगा और उसमें इतने धन की आवश्यकता पड़ेगी बड़ा कठिन है। राजस्थान में अकाल पड़ना एक स्थायी बात हो गई है। राजस्थान में अन्य राज्यों की अपेक्षा अकाल अधिक पड़ते हैं। राजस्थान के २६ ज़िलों में से १० ज़िले ऐसे हैं जहां केवल एक ही बार अकाल पड़ा है। अन्यथा सभी ज़िलों में अकाल पड़ जाना एक स्थायी समस्या हो गई है। जैसलमेर में २० वर्षों में बड़ी मुश्किल से एक वर्ष ऐसा था जब कि वहां अकाल नहीं पड़ा और जिसे अच्छा कहा जा सकता है। शेष १९ वर्ष वहां अकाल पड़ा है।

अकाल स्थितियों के अतिरिक्त अन्य भी अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं। जोधपुर के कुछ जिलों में १४ से १५ मील दूर से पानी लाना पड़ता है। पीने के पानी के अतिरिक्त वहां की खाद्य स्थिति भी बड़ी शोचनीय है। यही कारण है कि जोधपुर से तमाम लोग मध्यभारत या उत्तर प्रदेश चले गए हैं। वर्ष के छः माह तो इन स्थानों में कुछ भी खाने को नहीं मिल पाता अतः लोग अधिकतर पेट पालने के लिये अन्य राज्यों या स्थानों में चले जाते हैं और उसके पश्चात् यदि वर्षा की कुछ सम्भावना जान पड़ती है तो फिर वापस लौट जाते हैं। इसी कारण राजस्थान को विशेष रूप से कुछ अनुदान दिया गया था। यदि हम राजस्थान तथा जोधपुर सरकार के पिछले कुछ वर्षों के आय-व्ययक के आंकड़े देखें तो स्पष्ट ज्ञात हो जायगा कि राजस्थान की राज्य सरकार

[श्री शोभाराम]

को अकाल सहायता कार्यों के लिये १ करोड़ रुपया वार्षिक व्यय करना पड़ता है ।

अतः यह समझ कर कि राजस्थान आर्थिक संकट में है या पिछड़ा हुआ है, अतः वहां विकास योजनाओं की अभी कोई आवश्यकता नहीं, उन्नति के लिये कोई उपाय न किये जायं । ऐसा समझना भूल होगी । वहां भी स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ राजनीतिक जागरूकता पनप उठी है । अतः एक विशिष्ट समिति द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिये और राजस्थान के लिये आर्थिक सहायता तथा अनुदान का प्रबन्ध होना चाहिये । पंचवर्षीय योजना सफल बनाने के लिये राज्य सरकार की आर्थिक सहायता किये बिना विकास की योजना बनाना व्यर्थ ही होगा । अतः यदि हम राजस्थान की उन्नति देखना चाहते हैं तो सरकार से सहायता का प्रबन्ध होना अनिवार्य है ।

अन्त में तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में मेरा विचार यह है कि ज्यों ही उसकी फसल तैयार हो जाय, उत्पादक को चाहिये कि वह निकट के उत्पादन शुल्क निरीक्षक को सूचित कर उसकी उपस्थिति में सारी फसल तुलवा कर उस पर शुल्क लगाना चाहिये । अभी तक होता यह है कि अधिकारी फसल तैयार होने के पूर्व जांच कर के अनुमान लगा कर शुल्क निर्धारित कर देता है । यह गलत तरीका है । इसे रोक देना चाहिये । माननीय मंत्री मेरे कुछ सुझावों से तो सहमत हैं कि उत्पादन शुल्क फसल तैयार होने पर ही निश्चित किया जाना चाहिये । यदि कोई उत्पादक ऐसा नहीं करता है तो केन्द्रीय उत्पादन पुस्तिका के नियम ९ के अन्तर्गत उस को दण्ड दिया जा सकता है । अतः यह कहना गलत है कि कुछ उत्पादक शुल्क दिये बिना ही फसल को बेच देते हैं । यह कहना भी कि कभी-कभी उत्पादक उत्पादन शुल्क निरीक्षक को सूचित नहीं कर पाता भी बिल्कुल तर्कशून्य जान पड़ता है । अतः होना यह चाहिये कि निरीक्षक एक सूचना पत्र लोगों को सही तरीका बताने के लिये प्रचारित करवा दे । केवल अनुमान से शुल्क निर्धारित करने में कभी कभी किसी उत्पादक को व्यर्थ ही परेशानी उठानी पड़ती है और कभी किसी को इससे खूब लाभ भी हो जाता है । अतः इस सम्बन्ध में सही तरीका काम में लाने की आवश्यकता है ।

संघीय वित्त संबंधी करार द्वारा यह तय हुआ था कि अन्तर्राज्य परिवहन शुल्क १ अप्रैल १९५५ तक बिल्कुल समाप्त कर दिया जायगा और विशेषकर राजस्थान में किन्तु अभी तक केन्द्रीय सरकार तथा राजस्थान सरकार के बीच कोई भी इस प्रकार की बातचीत नहीं चल रही है । केवल दो वर्ष का समय और शेष रह गया है । अतः राजस्थान सरकार को इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कार्यवाही करने की आवश्यकता है अन्यथा दो वर्ष पश्चात् तीन करोड़ रुपये की राशि इतनी अधिक हो जायगी कि जिसका भार राज्य सरकार सहन करने में समर्थ न हो सकेगी । यदि इसके पश्चात्, यदि अनुच्छेद ३०६ का सहारा लिया गया और अवधि-काल पांच और बढ़ा दिया गया तो इसका प्रभाव बड़ा बुरा पड़ेगा । अतः इस शुल्क को समाप्त कर देना ही हितकर होगा इस के लिये अभी से धीरे धीरे प्रयत्न शुरू कर दिये जाने चाहियें जिस से दो वर्ष बाद केन्द्रीय सरकार को और अधिक वित्तीय भार न सहना पड़े ।

श्री बुक्चिकोटिया (मसुलीपट्टनम) : हमारे दे का लाखों करोड़ों रुपया विदेशी

फर्मों तथा विशेषज्ञों के हाथों में चला जाता है। मैं समझता हूं कांग्रेस सरकार ने अंगरेजों वाली नीति में किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं किया है। भारत के जन साधारण तथा गरीब किसानों की आर्थिक अवस्था सुधारने के लिये सरकार क्या कर रही है? क्या देश की आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिये कुछ प्रयत्न किये जा रहे हैं? ये समस्याएं हमारे सम्मुख हैं जिन पर हमें विचार करना है। मुझे चतुर वित्त मंत्री को एक कहावत सुनानी है जिसका भाव यह है कि चरवाहे द्वारा चाहे कितने ही चतुर उपाय किये जायें किन्तु मेमने की पूंछें नहीं बढ़ सकतीं। ठीक यही दशा कांग्रेस सरकार की भी है। हमारे वित्त मंत्री अर्थ-शास्त्र का चाहे कितना ही सैद्धान्तिक ज्ञान रखते हों किन्तु व्यावहारिक ज्ञान के बिना वह अधूरा ही रहेगा और देश की आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन संभव नहीं हो सकता।

सर्वप्रथम, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अंगरेज़ भारत में व्यापारिक रूप में आये और बाद को शासक बन बैठे। उनका नीति थी उपभोक्ता के बल पर लाभ कमाना। आज कांग्रेस की नीति यह है कि देश के अनेक आवश्यक व्यवसायों एवं उद्योगों जैसे जूट, चाय, कहवा, सोना, अभरक तथा कोयला आदि में अंगरेज़ों का ६० प्रतिशत से लेकर ७० प्रतिशत तक अधिपत्य है। इस प्रकार हमारे वित्त मंत्री राष्ट्र का ७५ प्रतिशत लहू विदेशियों को चूसने के लिये अनुमति दे देते हैं। शेष २५ प्रतिशत भी राष्ट्र का अस्तित्व बनाये रखने के लिये काफी नहीं होता। उस पर कर समान नहीं है। ७५·१७ प्रतिशत राजस्व जन साधारण से वसूल किया जाता है। अन्न, वस्त्र, मिट्टी का तेल, दियासलाई, सिगरेट तथा बीड़ी आदि पर लगाकर एक चतुर बनिये की भांति कर वसूला जाता है और अपने भाई-भतीजों, बड़े-बड़े जागीरदारों तथा विदेशी एकाधिकारियों को छूट दी जाती है। सरकार ने जमींदारी उन्मूलन भी किया तो जन साधारण तथा गरीब किसानों के ही मूल्य पर। इसके अतिरिक्त उसे कृषि के औजारों तथा खाद के लिये कीमत भी कर रूप में ही चुकानी पड़ती है। अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के अन्तर्गत दी हुई भूमि पर राज्य सरकारों द्वारा बहुत अधिक कर लगा दिये गये हैं। अतः किसानों की अवस्था बड़ी दयनीय हो रही है।

कांग्रेस शासन काल में बड़े-बड़े उद्योग-पति, महाजन तथा साहूकार आदि मजदूरों को मजदूरी बहुत कम देते हैं। उनका स्तर नीचा होने एवं आय कम होने के कारण वस्तुओं की मांग कम है। कार्य कुशलता गिर जाने से उत्पादन भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। मुझे पंडित नेहरू के कुछ शब्द याद आते हैं जिनका भाव यह था कि अनेक समस्याएं जो हमें हल करनी हैं वे हैं अंगरेजों द्वारा उत्पन्न की गई। भारतीय राज्यों के शासकों के हित हमारे ऊपर लाद दिये गये हैं और वे उन की रक्षा के लिये चिल्लाते हैं जबकि करोड़ों की संख्या में दुःखी जनता की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है।

उपर्युक्त कथन को ध्यान में रखते हुए मैं कहता हूं कि क्या कांग्रेस सरकार की कर-नीति दोषपूर्ण नहीं है? क्या यह कांग्रेस की मर्यादा के विपरीत नहीं है? साधारण व्यक्ति शत प्रतिशत इससे सहमत है। मैं माननीय मंत्री से इसका उत्तर चाहूंगा कि ऐसी बात है या नहीं?

कुछ माननीय सदस्य : वह 'हां' कहते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

श्री बुच्चिकोटैय्या : इस संबंध में मेरे रचनात्मक सुझाव ये हैं :

(१) वे किसान जो कपास, धान, तम्बाकू तथा अन्य फसलें पैदा करते हैं या जो हमारे लिये विभिन्न प्रकार की उपभोग वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, तथा हमारे देशभक्त उद्योगपति हैं, करारोपण के पूर्व इनकी सम्मति ली जानी चाहिये ।

(२) कर-प्रणाली को तत्काल ही पूर्ण-रूपेण प्रगामी बनाने के लिये पुर्नविचार होना चाहिये ।

(३) महाराजाओं की अतुल धनराशि जो किसी समय राष्ट्र की थी, ले ली जानी चाहियें और जनता के उपयोग में लाई जानी चाहिये ।

(४) जमींदारों को दिया जाने वाला ५०० करोड़ रुपया रोक दिया जाना चाहिये और उसका उपयोग राष्ट्र के विकास के लिये किया जाना चाहिये ।

(५) जितनी विदेशी सम्पत्ति है उसको हड़प किया जाना चाहिये ।

(६) २०० करोड़ रुपया जो ब्रिटेन को प्रतिवर्ष व्याज तथा मुनाफे के रूप में दिया जाता है, बन्द कर दिया जाना चाहिये ।

(७) कृषि व्यवसाय मुख्य होने के कारण केन्द्र द्वारा राज्यों में भूमि राजस्व तरीके में परिवर्तन किये जाने चाहिये ।

(८) विदेशी सहायता के स्थान पर राष्ट्रीय टेकनीक तथा प्रतिभा का उत्पत्ति के सभी तरीकों में प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये ।

(९) गांधी जी के आर्थिक सिद्धान्तों के विख्यात अर्थशास्त्री श्री कुमारप्पा द्वारा बताये गये अमरीकी सहायता के भयंकर परिणामों पर विचार किया जाय ।

(१०) उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों तथा खेतिहरों की दशा सुधारने के लिये उचित कार्यवाही की जानी चाहिये ।

श्री एम० एल० द्विवेदी (जिला हमीरपुर) : मैं वित्त मंत्री महोदय को कहूं या नहीं कि वे धन्यवाद के पात्र हैं, किन्तु वे तो धन्यवाद के पात्र हैं ही । कारण जिन परिस्थितियों में और जिस समय उन्होंने वित्त मंत्रालय रूपी रथ के संचालन का भार संभाला था उस समय पर वह रथ किसी विशिष्ट पथ पर और किसी विशिष्ट दिशा पर अग्रसर हो चुका था । इसलिये जिस समय उन्होंने इस मंत्रालय का संचालन भार स्वीकार किया था उस समय उनके लिये यह मार्ग अवशेष नहीं था कि वह मार्ग बदल सकें अथवा किसी दूसरे रथ पर जा सकें । उन्हें तो उस रथ को उसी मार्ग पर चलाना था । हां उस में कुछ ऐसे सुझाव रखे जा सकते थे और दक्षता दिखलाई जा सकती थी कि वह तीव्र गति से चल कर निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच सकें । आप को याद होगा कि सन् १९५० में हमारी पंचवर्षीय योजना की नींव पड़ चुकी थी और उसी समय से पंचवर्षीय योजना की ओर हमारा देश निर्माण की दिशा में अग्रसर हो चला था । इसलिये वित्तीय विभाग की ओर से जो बड़ी बड़ी नीतियां थीं वह निर्दिष्ट हो चुकी थीं और ऐसी परिस्थितियों में वह इस सम्बन्ध में कुछ विशेष रूप से नहीं कर सकते थे । ऐसा उन के लिये सम्भव नहीं मालूम पड़ता था । फिर भी वह धन्यवाद के पात्र इसलिये हैं कि यद्यपि जान मथाई साहब, जो उन से पहले वित्त मंत्री थे और जिन की वित्तमंत्रणा सर्वसाधारण के प्रति उपेक्षा तथा उच्चतर श्रेणी के पक्ष में थी, के बजट के ही आधार पर वह रहे हैं और उस में कोई विशेष तबदीली नहीं की है फिर भी इस बजट में जो छोटे छोटे लोगों को उन्होंने थोड़ी सी सुविधायें दी हैं वे सराहनीय

हैं और इस से अनुमान लगाया जा सकता है कि उन का मस्तिष्क किस तरफ जा रहा है। फिर भी मैं एक बात उन से विशेष रूप से कहूंगा । उन्होंने अपनी बजट स्पीच के सिलसिले में इस सदन का ध्यान एक बात की ओर खींचा था । उन्होंने एक गरीब आदमी के पांच रुपये साल के दाम के बारे में बताया जो कि यह रुपया हर साल प्रदान करता है । मैं समझता हूं कि वह व्यक्ति यह पांच रुपया इसलिये नहीं देता है कि इससे कोई हमारे बजट में बहुत वृद्धि हो बल्कि वह इसलिये देता है कि उस की श्रेणी के जो लोग हैं उन की ओर आप का ध्यान जाय और बजट के समय स्मरण होने पर, उस वर्ग के लिये आप कुछ करें । मैं यह अवश्य कहूंगा कि आप ने पहली साल के बजट में उस वर्ग के लिये कोई विशेष सहायता देने का वक्तव्य नहीं दिया है और इस वर्ष भी उस वर्ग के लोगों को निराश रहना पड़ा है । इसके लिये खेद है । इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि जिस छोटे आदमी की तरफ से आप को पांच रुपया मिलते हैं उसके वर्ग के लोगों पर ध्यान दें और उन को आप सहायता दें तथा इसके लिये प्रचुर मात्रा में कुछ प्रयत्न करें ।

६ प० म०

सबसे बड़ी बात जो आपके बजट के भाषण में मालूम हुई वह यह है कि फाइनेन्स कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की है उसे गवर्नमेंट ने स्वीकार कर लिया है । इसके अनुसार मालूम हुआ है कि २१ करोड़ रुपया पूर्व वर्ष से अधिक आपने विशेष रूप से रियासतों में वितरण के लिये दिया है । लेकिन इतनी बड़ी रिपोर्ट पर, जो कि २०० पेज में है इस संसद् में कोई वाद विवाद नहीं हुआ और न कोई बहस हुई । मैं आप का ध्यान इस तरफ आकर्षित करूंगा कि जो छोटे छोटे से विधेयक सदन में प्रस्तुत होते हैं उनके ऊपर जनरल डिसकशन होता है फिर उन की धाराओं पर विवाद होता है और फिर अन्तिम विवाद होता है । लेकिन इस २०० पेज की रिपोर्ट पर इस सदन में कोई वाद विवाद नहीं हुआ । केवल यह सूचना दे दी गई कि सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है । मुझे खुशी है कि सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है लेकिन यह ज्यादा अच्छा होता अगर हमें इस फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने का अवसर मिल जाता और यही प्रजा-तंत्रिक प्रणाली से कार्य करने का ढंग है ।

हमने देखा है कि रियासतों के लिये और प्रदेशों के लिये जो आप ने पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पुनर्निमाण की योजना बनाई है या विविध और योजनायें हैं, उसमें यह ध्यान नहीं रखा गया है कि किस अंग को कितना पुष्ट करना चाहिये। सन् १९३५ में जब कि गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट पास किया गया था उस समय अंग्रेज़ सरकार के तत्वावधान में एक इंडियन फाइनेन्शिल इन्क्वायरी कमेटी बिठाई गई थी । उन्होंने भी यह महसूस किया था कि (यह पिछड़े हुए भागों में उन्नति संभवित करने के सम्बन्ध में है) :

"उसी के साथ यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कुछ राज्यों की आन्तरिक स्थिति अन्य राज्यों से अच्छी है तथा अतिरिक्त साधनों की उन्हें तत्काल ही इतनी आवश्यकता भी नहीं है और यह न्यायोचित एवं अवश्यंभावी भी है कि इस में कुछ सुधार के उपाय भी किये जायें चाहे कुछ राज्य इस स्थिति में हो गए हों कि वह प्रशासन के संबंध में उच्च स्तर रखते हों तो अब उन्हें चाहिये कि कुछ हद तक जरा धीरे-धीरे उन्नति करें ।"

ताकि जहां पर उन्नति नहीं हो पाई है वहां भी उन्नति हो सके । मैं आप से यह अर्ज करूंगा कि चाहे 'क' भाग की स्टेट हो, या 'ख' भाग की स्टेट हो या 'ग' भाग की स्टेट हो जगह जगह पर पिछड़े हुए इलाके

[श्री एम० एल० द्विवेदी]

और पिछड़े हुए लोग हैं। लेकिन आप ने क्या किया है कि जो लोग सम्पन्न हैं जिनका पेट भरा है उन से आप कहते हैं कि लीजिये थोड़ी भूख होगी रसगुल्ले खा लीजिये लेकिन जो भूखे मर रहे हैं उन से आप कहते हैं कि आप दुर्बल हैं आप का स्वास्थ्य तभी ठीक होगा जब आप एक हफ्ते या अधिक का उपवास और करें। आप की पुर्ननिमाण की नीति इस प्रकार की है कि जो सम्पन्न हैं उनको और सम्पन्न बनाया जा रहा है, लेकिन जिन के पास कोई साधन नहीं न रेलें हैं, न सड़कें हैं, न उद्योग हैं और न अन्य साधन हैं उनको आपने साधन देने की कोशिश नहीं की है। हमारे मित्र श्री एस० एन० दास साहब ने आपको कृषि के विषय में सुझाव दिये हैं। इसी सम्बन्ध में, मैं आप का ध्यान एक दोहे की तरफ दिलाना चाहता हूं जो यह प्रकट करता है कि जिस अधिकार में दूसरों का उत्तरदायित्व हो वह कैसे निर्वाह करे। दोहा यह है :—मुखिया मख सो चाहिये खान पान को एक, पालहिं पोषे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। इसका अर्थ यह है कि खाये तो मुंह लेकिन उस से सारे अंग का पालन पोषण हो। यदि ऐसा हो तो हमारा देश प्रगति-पथ पर अग्रसर हो सकता है। आपने बिड़ला जैसे लोगों को बाल बियरिंग इंडस्ट्री पर प्रोटेक्शन दिया है। यह एक व्यक्ति का उद्योग है। उसको आप ने संरक्षण दिया। लेकिन आप ने विद्यार्थियों के लिये रजिस्ट्री और पार्सल का खर्चा बढ़ा दिया है।

हमारे भारतवर्ष में कई करोड़ विद्यार्थी हैं और उन को आठ आने पारसल करने का देना पड़ेगा और छः आने देना पड़ेगा रजिस्ट्री करने का। इस तरह जिस किताब का मूल्य केवल एक रुपया है, उस का पैकिंग पोस्टेज और रजिस्ट्रेशन व्यय मिला कर दो रुपये हो जाते हैं। हम कहते हैं कि हम विद्या का प्रसार करना चाहते हैं। लेकिन क्या हम ने सोचा कि इस तरह से हम विद्यार्थियों की भलाई कर सकेंगे और इस तरह से विद्या का प्रसार करने में सहायता कर सकेंगे? नहीं।

इसी तरह और भी बातें हैं जिन की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कर सकता हूं। लेकिन सब से बड़ी बात जिसकी ओर जान मथाई और दूसरे मंत्रियों का ध्यान गया और आप का भी ध्यान गया वह है कि देश में जो टैक्स लेने के तरीके हैं उन पर गौर करना। आप ने कर-नीति अन्वेषण समिति नियुक्त की है। मुझे खुशी है कि आप ने किसी शुभ काम के लिये श्री गणेश किया है। वह अच्छा है, एक काम किया। एक और बात है आप ने अनेक प्रकार के टैक्स लगाये लेकिन आप का ध्यान एक ओर नहीं गया और वह बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखें कि इस देश में कई लाख कर्मचारी हैं और उन की जो परिस्थिति है वह आप जानते हैं। किन्हीं को अधिक तनख्वाहें मिलती हैं, किन्हीं को कम मिलती है। इसको आप ने समानता का रूप नहीं दिया। जबकि एक निश्चित स्तर पर रहने का समान अधिकार है। इसके अतिरिक्त सब से बड़ी गौर करने की बात ऊपर वाली आय की छिपी हुई आय जो हमारे महावीर त्यागी जी ने खोज कर के निकाली और उस पर इनकमटैक्स लगा दिया। यह तो ठीक हुआ। लेकिन आप ने क्या यह देखा है कि जब शादी वगैरह होती है तो लड़के वाले से पूछा जाता है कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी है तो मालूम होता है की ७५ रुपये। और पूछते हैं कि ऊपर की आमदनी क्या है तो ३५० रुपये। मैं पूछता हूं कि इस तरह की जो ऊपर की आमदनी है, जो इस तरह की आमदनी नौकरियों में लोगों को

होती है, उस पर क्या टैक्स लगाने की बात आप ने सोची है। क्या आप ने कभी यह भी सोचा कि इस तरह की आमदनी को कम करने का क्या तरीका है ? आप के सामने दो मार्ग हैं : या तो यह कि इस को बन्द करने के रास्ते निकालिये या इस पर भी टैक्स लगाइये।

श्री राधेलाल व्यास : जेल भेजना पड़ेगा।

श्री ऐम० ऐल० द्विवेदी : जेल भेजिये चाहे जो कीजिये। लेकिन जब तक आप इस किस्म की आमदनी को बन्द नहीं करेंगे तब तक देश का बहुत बड़ा हिस्सा आगे बढ़ने में असमर्थ रहेगा। इसलिये मैं आप का ध्यान इस आमदनी की ओर भी दिलाऊंगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे वित्त मंत्री ने बताया कि प्रति व्यक्ति पर कैपिटा टैक्स का प्रतिशत जो हमारे देश में लगाया जाता है वह दूसरे देशों की अपेक्षा कम है। लेकिन मैं उन से पूछना चाहता हूं कि पर कैपिटा आमदनी, प्रति व्यक्ति की जो आमदनी दूसरे देशों में है और जो प्रति व्यक्ति आमदनी हमारे देश भारतवर्ष में है, उस में क्या अनुपात है और उस अनुपात को लगाकर आप देखिये कि जो टैक्स लगता है उस में क्या अनुपात है। मैं कहता हूं कि ५० रुपये तनख्वाह वाले आदमी पर अगर आप दो रुपये टैक्स लगाते हैं और एक हज़ार रुपये तनख्वाह वाले से भी दो रुपये लेते हैं तो उस पचास रुपये वाले के लिये तो यह होगा कि दो रुपये लेंगे तो उस के सिर पर लगाने का तेल नहीं आवेगा, या वह नमक नहीं खरीद सकेगा या दाल नहीं खरीद सकेगा, जब कि एक हज़ार रुपये पाने वाले के लिये दो रुपये या पांच रुपये की कोई बात नहीं है वह आसानी से उसे दे सकता है और उसकी किसी आवश्यकता पर कोई रोक न लगेगी। जब तक नीचे के स्तर के लोगों की आमदनी का स्तर आवश्यकताओं के धरातल तक नहीं पहुंचती तब तक इस कर नीति से देश का कल्याण नहीं।

आप का उद्योग को बढ़ाने की तरफ ध्यान गया। आप ने गृह-उद्योग की तरफ भी ध्यान दिया है। लेकिन क्या आप ने इस ओर भी ध्यान दिया है कि देहाती क्षेत्रों की क्या हालत है। देहात में हर क्षेत्र में जब तक आप ध्यान नहीं देंगे, जब तक उन की वृद्धि के लिये आप कोई उपाय नहीं करेंगे, जब तक उन की आर्थिक परिस्थिति को ठीक करने की ओर आप ध्यान नहीं देंगे, तब तक समूचा देश आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक देश का देहाती क्षेत्र आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक शहर के क्षेत्रों की चाहे कितनी उन्नति हो, सारा देश आगे नहीं बढ़ सकता इस में कोई उल्टी बात नहीं है, यह कटु सत्य है।

एक दूसरी बात यह है कि आज जो आई० सी० एस० और अन्य कर्मचारीगण हैं उन की क्या परिस्थिति है इस को आप देखिये। मुझे एक वाक्य याद आगया है, एक बड़े आदमी ने कहा था और हमारे फायनेंस मिनिस्टर साहब जानते हैं कि वह कौन व्यक्ति है। आपने बताया था कि हम राष्ट्रीयकरण अभी एकदम नहीं कर सकते। राष्ट्रीयकरण करने की बातें बहुत आती हैं, लेकिन राष्ट्रीयकरण करने में कई बातें हैं। इस सम्बन्ध में जो हमें दो मिसालें दी गई वे बहुत ही मज़ेदार हैं। वह यह है कि अगर एक मिल में या दुकान में आग लग जाती है तो रात को वहां का जो मालिक है वह क्या करता है। वह उस का व्यक्तिगत मामला है। वह एक मामूली व्यक्ति है वह रात को दो बजे भी आग लगेगी तो दौड़ कर आग बुझाने जायेगा और तन मन धन से बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन आप के जो कर्मचारीगण हैं, उन में क्या कोई भी जो बड़ी तनख्वाह पाने वाला है, वह गवर्नमेंट के

[श्री ऐम० ऐल० द्विवेदी]

कार्यालय में इतनी तन्मयता रखता है कि आग लगने की खबर मिलने पर और आग लगने पर क्या वह दौड़ेगा और आग बुझाने का इसी प्रकार प्रयत्न करेगा ? कदापि नहीं तो जब तक आप अपने कर्मचारियों में इस तरह की भावना पैदा नहीं करेंगे, देश आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक देश में लोग केवल तनख्वाह का ख्याल करने वाले होंगे जिन को तनख्वाह का पहले ख्याल होगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता और न ऐसे कर्मचारियों से देश आगे बढ़ सकता है। इसलिये आप का वर्तमान में यह प्रथम कार्य होना चाहिये कि आप के जो कर्मचारी हैं उन में ऐसी चेतना पैदा करें कि वे अपनी नयी परिस्थिति को समझें। अंग्रेज़ यहां से चले गये और उन के साथ वह पुरानी भावना खत्म हो गई। आज तो हमारे देश में संविधान लागू हुआ है। इसलिये उस के आधार पर जो परिस्थिति पैदा हो गई है उस के अनुसार हमारे कर्मचारी मंडल को बदलना पड़ेगा। आप उन की वेश भूषा, उन के रहन सहन को देखिये और एक साधारण नागरिक की वेश भूषा और रहन सहन को देखिये उन में ज़मीन आसमान का अन्तर है। जब तक हमारे देश के बड़े व्यक्ति और जो हमारे देहात का नागरिक है वे समान स्तर पर नहीं आ जाते हैं, उन के रहन सहन के वातावरण में जब तक तब्दीली नहीं होती, तब तक आप के बजट के आंकड़ों से काम नहीं चल सकता। आप देखिये कि हमारे देहात में कितनी अनवृत्ति (अनएम्पलायमेंट) है, कितना वहां जीवन का स्तर नीचा है। इसका क्या कारण है ? क्या इस असमानता को दूर करना हमारा कर्त्तव्य नहीं है ? इसलिये मैं आप का ध्यान इस तरफ़ भी आर्कषित करता हूं कि जब कभी आप बजट का मसौदा बनायें, तो ऐसा मसौदा भी बनायें, आप एक ऐसा आयोग (कमीशन) भी बनायें कि जो इस क़िस्म का काम ठीक तरीके से चला सके जिस से ऊंच नीच की खाई मिट सके।

कृषि (एग्रीकल्चर) के बारे में मैं यह कहने के लिये बाध्य हूं कि सरकार की नीति इस सम्बन्ध में साफ़ नहीं है और एक भ्रम उत्पन्न करने वाली नीति है। बड़े बड़े मिनिस्ट्रों के बंगलों पर खेती का काम होता है और काफ़ी रुपया उन जगहों पर खेती करने के वास्ते खर्च किया जाता है। हम ने ट्रैक्टरों के लिये लोगों को तक़ावी दी और भी दूसरे बड़े बड़े काम किये, लेकिन मैं आप से पूछना चाहता हूं कि दस हज़ार रुपया जो एक व्यक्ति को दिया जाता है और वह ट्रैक्टर खरीदने के लिये उस को दिया जाता है, वह ट्रैक्टर तो ख़रीद लेता है, मगर उस को चलाना नहीं जानता और २०० एकड़ ज़मीन भी उससे नहीं जोत पाता और नतीजा यह होता है कि वह दस हज़ार रुपया बेकार चला जाता है, इस के विरुद्ध मैं आपको बतलाऊं कि आज २०० रुपये में एक बैल आता है और एक गरीब किसान को अगर एक बैल की ज़रूरत होती है तो आप उस को एक बैल के लिये रुपया नहीं देते, नतीजा यह होता है कि ट्रैक्टर तो एक तरफ बेकार पड़ा रहता है और बैल के लिय अगर उसे २०० रुपये आपसे मिल जाते तो वह पांच एकड़ ज़मीन प्रति आदमी के हिसाब से जुत सकती थी और एक की अपेक्षा पचास आदमियों को अगर आप वही रुपया दे कर बैल दिला सकते तो २५० एकड़ ज़मीन अधिक जोती जा सकती थी, वह भी नहीं जुत पाती है। एक किसान जिस का एक बैल मर गया हो अगर दो सौ रुपये उसे दिये जायें तो वह खेती कर सकता है और ज़मीन की जुताई कर सकता है, लेकिन ट्रैक्टराइज़ेशन

की नीति से यह हो रहा है कि एक तो किसान लोग ट्रैक्टरों को चलाना नहीं जानते और दूसरे यहां पर उसके लिये कोई वर्कशाप्स नहीं हैं, और अगर उसका कोई पुर्जा बिगड़ जाता है तो सब काम ठप्प हो जाता है और बम्बई से इंजीनियर बुलाना पड़ता है जिसका खर्चा क़रीब २५० रुपये से भी अधिक बैठता है और इसलिये जब तक उसके लिये वर्कशाप्स न हों और उस के पुर्जों की जानकारी न हो तब तक उस का चलाया जाना कोई लाभप्रद नहीं सिद्ध होता और उल्टे काम ठप्प हो जाता है । व्यय तो दस हज़ार हुआ लेकिन फल नगण्य ही रहा । कृषि में आशातीत उन्नति न होने और सरकार के प्रति अप्रियता बढ़ने का यह एक कारण है । उदाहरण के लिये मैं बतलाऊंगा कि विंध्य प्रदेश ही में करीब २९ लाख एकड़ ज़मीन ऐसी पड़ी है जो कृषि के काबिल है और वहां पर खेती नहीं हो रही है, लेकिन हम देखते हैं कि मिनिस्टरों के बंगलों में गेहूं इत्यादि की खेती हो रही है, मैं यह नहीं कहता कि बंगलों में खेती नहीं होनी चाहिये, हमें वहां गेहूं उगाना चाहिये । लेकिन २९ लाख एकड़ ज़मीन जो कृषि क़ाबिल है, वहां आप के यह ट्रैक्टर्स क्यों नहीं पहुंचते और वहां उन के द्वारा खेती क्यों नहीं कराई जाती है, आप के सेंट्रल ट्रैक्टर्स आरगनाइजेशन का ध्यान उधर क्यों नहीं जाता इस तरह से आप का ध्यान इसी प्रकार के दूसरे खेती योग्य हिस्सों की तरफ़ जाना चाहिये ।

मैं वित्त मंत्री का बहुत आभारी हूं जो उन्होंने इनकमटैक्स के मामले में सुविधा (रिलीफ़) दी है और दूसरे मामलों में भी जो उन्होंने छोटे आदमियों का ख्याल रक्खा है, उसके लिये मैं उनका हृदय से आभारी हूं । इससे यह सिद्ध हो जाता है कि उनको गरीब आदमियों का ख्याल है और वह उनकी सहायता भी करना चाहते हैं, लेकिन वह ऐसी संकुचित परिस्थितियों में घिरे हुए हैं कि कुछ विशेष कर नहीं पाते, यह पंचवर्षीय योजना जो हमारे सामने है, इसको देखते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह इस पांच साल के बीच में ऐसे नये उपाय और हल अवश्य खोजने में समर्थ होंगे जिससे देश वास्तव में आगे बढ़ सके और जनता की अवस्था में वांछित सुधार हो ।

अन्त में मैं सारी मांगों का पूर्ण समर्थन करते हुए और आप को धन्यवाद देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री लोकनाथ मिश्र (पुरी) : मैं अपने राज्य उड़ीसा के संबंध में कहना चाहता हूं कि मेरे राज्य में केवल एक करोड़ रुपये की वर्ष में बचत होती है जबकि १७ करोड़ रुपये राज्य की योजनाओं पर व्यय करना है । अन्य किसी वस्तु पर बिक्री कर अथवा अन्य कोई कर लगाने की भी गुंजाइश नहीं है और योजना कार्यान्वित करनी ही है । साधारणतः हम कमी वाले क्षेत्रों को जौ भेजते हैं । अतः लोग यह समझते हैं कि उड़ीसा राज्य में जौ का अत्यधिक बाहुल्य है किन्तु इतना नहीं है जितना लोग समझते हैं । धान बेचना इसलिये पड़ता है कि अन्य आवश्यकताएं भी पूरी करनी पड़ती हैं । केन्द्र की मांग भी पूरी करनी ही पड़ती है । माननीय खाद्य-मंत्री श्री किदवई ने एक रुपया प्रति मन सहायता या अनुदान के रूप में देने का वचन दिया था जब वह दौरे पर वहां गए थे किन्तु उन्होंने वापस आते ही उसे भी भुला दिया ।

उड़ीसा में खनिजपदार्थ तथा जंगलों की बाहुल्यता है । जो अभरक हम एक रुपय टन पर बेचते हैं बाजार में वह १२० प्रति टन बिकती है । यदि हम अन्य किसी के हाथ बेचना चाहें तो उस पर प्रतिवन्ध

[श्री लोकनाथ मिश्र]

लगा दिया जाता है । इसी प्रकार गन्ना तथा जूट से भी राज्य सरकार को काफी आय हो सकती है । इतनी बड़ी-बड़ी योजनाओं को चलाने से कोई लाभ नहीं जब तक राज्यों का सहयोग न प्राप्त हो । अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन चला किन्तु जब उड़ीसा राज्य को, जो धान इतनी अधिक संख्या में उपजाता है, कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता तो किस प्रकार यह योजना सफल हो सकती है । शीघ्र ही वहां की धान की उत्पत्ति गिरती चली जायगी ऐसी सम्भावना है ।

अब हीराकुड योजना को लीजिये । इसके लिये १०० करोड़ रुपया दिया जा रहा है जिसमें व्याज भी सम्मिलित है । जनलेखा समिति ने इस योजना को सदन में वास्तविक रूप में रखा है । इसके अतिरिक्त अभी इस योजना के सफल होने में भी संशय है या जिस हद तक सोचा गया है वहां तक इसे सफलता न मिल सके । सब से बड़ी बात तो यह है कि युद्ध काल से हमने कुप्रबन्ध तथा चोरबाजारी को ग्रहण किया है । इस योजना से गरीब लोग और भी गरीब होते जा रहे हैं और अमीर दिन प्रति दिन अमीर । धन बुरी तरह व्यय किया जा रहा है या उसका अपव्यय किया जा रहा है । जो थोड़े धन वाले एकाएक अमीर बन जाते हैं वे निश्चय ही दुराचारी हो जाते हैं । उनके चारों ओर के लोग भी उस दुराचार से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते और उनकी आकांक्षायें भी बढ़ती जाती हैं । इससे देश में नैतिक पतन की अभिवृद्धि होती है । परन्तु वर्तमान परिस्थिति में वे अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते । इसलिये यह जोखिम है कि धन उन लोगों के हाथों में न आ जाय, जो इसका सदुपयोग करना नहीं जानते । अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से इस पर विचार करने की प्रार्थना करूंगा । हम वास्तव में ही ठीक योजना नहीं बनाते, कि शक्ति जो पैदा की जायगी, उस का कैसे प्रयोग किया जायगा । हीराकुड बन्द पर इतना धन खर्च किया गया, और उड़ीसा में लोहे तथा इस्पात की फैक्ट्री लगाने की योजना थी । परन्तु अब सुना गया है कि उद्योग-केन्द्रों को शक्ति सस्ती नहीं मिल सकेगी । यदि हीराकुड और उड़ीसा इसके लिये उपयुक्त स्थान नहीं थे, तो इतने बड़े प्रौजेक्ट की योजना क्यों बनाई गई । अब उड़ीसा प्रान्त की यदि केन्द्र सहायता न करे, तो वह निर्धन हो जाय, और देश को इतनी भारी हानि हो ।

मेरे राज्य को औद्योगिक निगम बनाने के लिये २० करोड़ रुपये की आवश्यकता है । उसने केन्द्र से सहायता मांगी, परन्तु वह अस्वीकृत हो गई । मेरा निवेदन है कि देश एक है, और जिस भाग में कोई उद्योग अधिक उन्नति करे, उसे वहीं पर स्थापित किया जाना चाहिये, परन्तु इस प्रकार, कि सर्वत्र देश में उन्नति और वृद्धि हो । परन्तु विशेष भय की बात यह है कि जो अधिक शोर मचाते हैं, वहां सब कुछ हो जाता है, और आसाम तथा उड़ीसा जैसे बेचारे प्रान्तों की कोई नहीं सुनता । नेताओं और जनता के प्रतिनिधियों में ही इतना अन्तर है, तो नेताओं और लोगों के अन्तर का क्या कहना ? जब तक इस अन्तर को दूर नहीं किया जाता, लोकतंत्र नहीं चल सकता, और देश के धन का अपव्यय होता रहेगा । अतः मैं वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे उड़ीसा की समस्याओं का विचार करें, और इन का निधान करने की योजना बनाएं ।

अब राज्य परिषद के सदस्य १० दिन से कुछ नहीं कर रहे हैं । इस प्रकार देश का हजारों रुपया नष्ट होता है । यह समय है कि राज्य परिषद को समाप्त किया जाय ।

हमें धीर और उदात्त दिल वाला होकर, निर्भयता से कोई कार्यवाही करनी चाहिये। परम्परा और पुरानी बातों के चक्कर में ही नहीं पड़े रहना चाहिए। ऐसा करते रहने से चारित्रिक उन्नति नहीं हो सकती, और देश उन्नति नहीं कर सकता, चाहे कितना भी विदेशी धन क्यों न लगाया जाय।

सभापति : कुमारी एनी मस्करीन ।

श्री आर० के० चौधरी (गोहाटी) : उठ खड़े हुए—

सभापति महोदय : व्यवस्था । उन्हें बुलाया गया है, और श्री चौधरी को उनके स्थान पर नहीं बोलना चाहिए ।

श्री श्यामनन्दन सहाय : आपको धीर होना चाहिये । (**अन्तर्बाधा**)

कुमारी एनी मस्करीन (त्रिवेंदरम) : वित्त देश का प्रमुख अंग है, जिस पर विवाद होना आवश्यक है । जैसे शरीर में रक्त का संचार हृदय द्वारा होता है, वैसे ही वित्त विभाग सब विभागों का संचालन करता है । अतः राष्ट्रीय वित्तों की ध्यानपूर्वक जांच पड़ताल होनी चाहिए । यदि किसी भाग को अधिक दिया जाय, और किसी को कम, तथा प्रबन्ध की अयोग्यता और राष्ट्रीय धन का अनुचित बंटन हो, तो इन के कारण ही गड़बड़ होती है, जैसे जम्मू का सत्याग्रह, आंध्रा की गड़बड़ी आदि वित्त के ठीक ठीक न बांटे जाने के कारण ही तो हैं ।

एक सदस्य : जी नहीं ।

कुमारी एनी मस्करीन : वित्त मंत्री की योग्यता में सन्देह नहीं किया जा सकता, परन्तु राष्ट्र-निर्माण के लिये जनता का सहयोग प्राप्त न किया जाकर विदेशी धन के द्वारा राष्ट्र हितों को हानि पहुंच रही है ।

एक सदस्य : प्रश्न ।

कुमारी एनी० मस्करीन : पांच वर्षीय योजना जो विदेशी धन पर आश्रित है, वह अभिमान के साथ रखी गई है । आय व्यय प्राक्कलनों में जो आंकड़े दर्शाये गये हैं, उन के पीछे हमारा घाटा और दीवाला छिपा हुआ है । बजट में सब ढोंग और चालाकी से काम लिया गया है । मुझे हैरानी है कि वित्त मंत्री जो रिजर्व बैंक का नियंत्रण सफलता से कर सकते हैं, वे अब राष्ट्र के वित्तों का नियंत्रण करने में असफल रहे हैं । वे राष्ट्रीय कर्ज़े को दूर करने के लिये कोई उपबन्ध नहीं कर सके । और दूसरे खर्च प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है । असैनिक प्रबन्ध पर पांच गुना खर्च हो गया है । इसका कोई नियंत्रण नहीं किया जाता । राज्य परिषद को स्थगित करने से दो लाख रुपये की हानि हुई है । संसदीय मामलों के लिये मंत्री और उसके कर्मचारी क्या करते हैं ? सदन का यह मत है कि वित्त मंत्री संसदीय कार्यक्रमों की योजना ठीक नहीं बना सके ।

श्री के० के० बसु : वे यहां नहीं हैं ।

कुमारी एनी मस्करीन : पहली फरवरी को यदि सदन की बैठक बुलाई जाती, तो इतनी हानि न होती । संसदीय मामलों के मंत्री का होना भी व्यर्थ का खर्च है ।

एक सदस्य : उपमंत्रियों के सम्बन्ध में क्या ?

कुमारी एनी मस्करीन : प्रत्येक विभाग पर खर्च अधिक होता है; रेलवे की धांधली से लाखों रुपये की क्षति हुई । रुपये की कमी हो रही है, और अधिक कर लगाये जा रहे हैं। कांग्रेस जिस बात को कहती है, उसे करती नहीं, यही तो दुःख की बात है । पर वित्त मंत्री जी कहते हैं कि साधारण व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सुधरी हुई है । वित्तीय-कुप्रबन्ध को छिपाने के लिये वित्त मंत्री बजट को बड़ी चालाकी से रखते हैं । और घाटे को पूरा

[कुमारी एनी मस्करीन]

करने के लिये अनेक प्रकार के कर लगाये जाते हैं । रिक्शा वाले से लाइसैंस के तीन रुपये, तथा इसी प्रकार के अनेक नवीन कर लगाये जाते हैं ।

पंडित के० सी० शर्मा : परन्तु विवाह-कर नहीं :

कुमारी एनी मस्करीन : कर की वृद्धि के कारण ही भूत और वर्तमान में राष्ट्र नष्ट हुए हैं । जर्मनी का पतन, फ्रांस की क्रान्ति, तथा इंगलैंड का संसदीय संघर्ष सब कर-प्रथा के आधिक्य के कारण हुए । हमें गणतंत्र बनने पर इस कर-प्रथा पर विचार करना चाहिए, ताकि योग्य वातावरण उत्पन्न हो सके ।

श्री आर के० चौधरी :कुमारी एनी मस्करीन का भाषण मधुर था, परन्तु उसमें बतलाये गये तथ्य हृदय पर प्रभाव डालने वाले नहीं हैं ।

श्री श्यामनन्दन सहाय : आप पर तो कम से कम उनका प्रभाव पड़ना ही चाहिए ।

श्री आर० के० चौधरी : उनके भाषण की बातों पर, मेरा मतलब है, वित्त मंत्री को काम करना चाहिए । वित्त मंत्री द्वारा आसाम प्रान्त में एक सूती धागे का मिल स्थापित करने की प्रतिज्ञा की गई थी, परन्तु यह कार्य रूप में न आई । मुझे यह समझ में नहीं आता कि जब दूसरे राज्यों को सहायता दी जाती है, तो आसाम को ही क्यों वंचित रखा जाता है । आसाम की स्त्रियां बुनने में प्रवीण हैं, अतः वहां बुनने का काम आवश्यक है । परन्तु वित्त मंत्रालय ने उनकी परवा न की । क्योंकि इस में दो विधुर सज्जन हैं । अब उन में से एक विवाहित हो गये हैं, और अब अविवाहितावस्था का वायुमण्डल अधिक देर नहीं रह सकता । अब आसाम की नारी जाति की मांग है कि उन को बुनने के लिये अधिक धागा दिया जाय, जिस की पूर्ति के लिये मैं निवेदन करता हूं ।

श्री श्यामनन्दन सहाय : आपको आसाम की नारियों की ओर से बोलने का क्या अधिकार है ?

सभापति : व्यवस्था ।

श्री आर० के० चौधरी : मैं वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि औद्योगिक-वित्त-निगम आसाम के समान निर्धन प्रान्तों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता । जब हम बड़ी रकम उधार मांगते हैं, तो वे अपनी असमर्थता प्रकट कर देते हैं, और जब हम २५००० के लगभग मांगते हैं, तो उत्तर मिलता है कि इतनी छोटी रकम की स्वीकृति नहीं दी जा सकती । हम न इधर के रहे न उधर के । वित्त निगम को निर्धन प्रान्तों की अधिक सहायता करनी चाहिये । आसाम में सूती कपड़े का और पटसन का कोई कारखाना नहीं है, जबकि पटसन यहां बहुत होता है । भारत सरकार ने उस प्रान्त से सब सहायता खींच ली है । और जब हम केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगते हैं, तो वे मीठी मीठी बातें करती है, परन्तु आसाम राज्य को देती कुछ नहीं । आसाम सरकार कहती है कि हमें केन्द्र ने पर्याप्त धन नहीं दिया । यह आसाम के लोगों का कष्ट है । इस मंत्रालय में प्रचार की कमी है । जब टिड्डी दल आया तो जहाजों द्वारा उनको रोका गया और उन पर काबू पाया गया । जहाजों द्वारा खुराक पहुंचाई गई । जहाजों द्वारा एक ऐसा काम किया गया, जिस के विषय में पहले कभी सुना भी नहीं गया था । हमारे वित्त मंत्री ने जो कुछ किया है, उसके लिये हम उन्हें धन्यवाद देते हैं, और उनसे अधिक की आशा रखते हैं ।

कुमारी एनी मस्करीन : वह आपका विचार है ।

श्री आर० के० चौधरी : मुझे पता लगा है कि संकट काल में स्थिति सुधार के लिये तीन करोड़ रुपये दिये जायेंगे। मेरा निवेदन है कि आसाम में सदा ही बाढ़ और भूचाल आते रहते हैं, अतः तीन करोड़ रुपये केवल आसाम के लिये दिये जायें, और यदि कभी दुर्भाग्यवश किसी प्रान्त में ऐसी बुरी स्थिति हो जाय, तो उसके लिये अतिरिक्त अनुदान वित्त मंत्रालय से दिये जायें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय और प्रधान मंत्री आसाम का दौरा करते रहते हैं। मुझे आशा है कि इस प्रकार से आसाम भी बाकी प्रान्तों के समान हो सकेगा। और जब तक आसाम उन्नति नहीं करता, देश भी अपने उचित गौरव को प्राप्त नहीं कर सकता ।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला बनारस—मध्य) : हमारे वित्त मंत्री महोदय ने जो एक समरी सब लोगों को दी है, उसमें पैरा ग्यारह में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बारे में जो शुभ कामनाएं प्रकट की हैं उनके वास्ते मैं आप को धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ मैं आप से यह निवेदन करूंगा कि जो शुभ कामनाएं आपने प्रकट की हैं उन्हीं के अनुसार आचरण भी होना चाहिये ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक मंगलवार, ७ अप्रैल १९५३ के दो बजे तक के लिए स्थगित हुई ।